

INTRODUCTION

As per IREC-Chapter 8-Para 802A & 803

A-21. The main objective of the Staff Benefit Fund shall be to provide a benefit which shall be by way of a gratuity or pension to the employees of the Railway.

President in this behalf.

**कर्मचारी हित निधि पर मार्गदर्शिका - 2012**  
**A GUIDE ON STAFF BENEFIT FUND - 2012**

As per IREC-Chapter 8-Para 802A & 803

Credits to the Fund. Credit to the fund shall be credited as under:-

1. All receipts from fines, and

2. All receipts from donations, etc., from the employees of the Railway.

3. The Government of India shall contribute to the fund an amount of Rs. 1000 lakhs per annum.

4. The Government of India shall contribute to the fund an amount of Rs. 1000 lakhs per annum.

5. The Government of India shall contribute to the fund an amount of Rs. 1000 lakhs per annum.

मु. सं.	क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
(ए)	भूमिका		2
1..	ए-1	कर्मचारी हित निधि का मुख्य उद्देश्य	2
2..	ए-2	निधि में जमा की जानेवाली राशि	2
3..	ए-3	निधि का प्रबंध	3
4..	ए-4	समिति का गठन	4
5..	ए-5	प्रधान कार्यालय में केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति	4
6..	ए-6	प्रधान कार्यालय/मंडल/कारखाना उप समिति	5
7..	ए-7	केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि के कार्य	6
8..	ए-8	पश्चिम रेलवे पर उप-समिति का क्षेत्राधिकार	7
(बी)	शिक्षा शीर्षक के तहत प्राप्त निधि		9
9..	बी -1	शिक्षा	9
10..	बी -2	ग्रेड पे रु. 1800/- एवं उससे कम के कर्मचारियों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति	11
11..	बी -3	ग्रेड पे रु. 1800/- एवं उससे कम के कर्मचारियों के बालकों के लिए छात्रवृत्ति	12
(सी)	खेल-कूद के अलावा मनोरंजन शीर्षक के तहत प्राप्त निधि		12
12..	सी -1	रेलवे इन्स्टीटयुट के लिए सहायता	12
13..	सी -2	सामुदायिक भवन	13
14..	सी -3	पुनःस्वास्थ्य लाभ गृह	13
15..	सी -4	कर्मचारी शिविर	14
16..	सी -5	बच्चों के लिए शिविर	16
17..	सी -6	रेलवे स्कूलों में मनोरंजन की सुविधाएँ	17
(डी)	सांस्कृतिक गतिविधियाँ शीर्षक के तहत प्राप्त निधि		17
(ई)	विपत्ति, गंभीर बीमारी आदि में सहायता शीर्षक के तहत प्राप्त निधि		18
18..	ई-1	कैंसर, किडनी, एड्स एवं बाइपास मरीजों को वित्तीय सहायता	18
19..	ई -2	बीमार कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता	18
20..	ई-3	दंतावली के लिए वित्तीय सहायता	19
21..	ई-4	अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए अनुदान	19
(एफ)	महिला सशक्तीकरण शीर्षक के तहत प्राप्त निधि		19
(जी)	विविध शीर्षक के तहत प्राप्त निधि		19
(एच)	खेल-कूद संबंधी गतिविधियों के शीर्षक के तहत प्राप्त निधि		20
(आई)	स्काउट्स संबंधी गतिविधि शीर्षक के तहत प्राप्त निधि		20
(जे)	होम्योपथिक सहित देशज पद्धति की चिकित्सा शीर्षक के तहत प्राप्त निधि		20

## INDEX

M. No.	Sr. No.	Subject	Page No.
(A)		<b>INTRODUCTION</b>	2
1.	A-1	The main objective of the Staff Benefit Fund.	2
2.	A-2	Credits to the Fund	2
3.	A-3	Management of the Fund	3
4.	A-4	Formation of Committee	4
5.	A-5	Central Staff Benefit Fund Committee in HQ office	4
6.	A-6	HQ/Div/W-Shop Sub Committee	5
7.	A-7	Functioning of SBF Committee	6
8.	A-8	Jurisdiction of Sub Committee on WR	7
(B)		<b>FUND RECEIVED UNDER EDUCATION HEADS</b>	9
9	B-1	Education	9
10	B-2	Scholarship to Girl Children of staff in grade pay Rs. 1800/- & below	11
11	B-3	Scholarship to male Children of staff in grade pay Rs. 1800/- & below	12
(C)		<b>FUND RECEIVED UNDER RECREATION OTHER THAN SPORTS HEAD</b>	12
12	C-1	AID TO RAILWAY INSTITUTES	12
13	C-2	COMMUNITY HALLS	13
14	C-3	CONVALESCENT HOME	13
15	C-4	STAFF CAMP	14
16	C-5	CHILDREN CAMP	16
17	C-6	RECREATION FACILITIES IN RAILWAY SCHOOL	17
D)		<b>FUND RECEIVED UNDER CULTURAL ACTIVITIES</b>	17
E)		<b>FUND RECEIVED UNDER RELIEF OF DISTRESS, SERIOUS SICKNESS HEAD</b>	18
18	E-1	FINANCIAL ASSISTANCE TO CANCER, KIDNEY, AIDS & BY-PASS PATIENTS	18
19	E-2	MAINTAINANCE ALLOWANCE TO SICK EMPLOYEES	18
20	E-3	Financial Assistance for Denture	19
21	E-4	GRANT OF FUNERAL RITES	19
(F)		<b>FUND RECEIVED UNDER WOMEN EMPOWERMENT HEAD</b>	19
(G)		<b>FUND RECEIVED UNDER MISCELLANEOUS HEAD</b>	19
(H)		<b>FUND RECEIVED UNDER SPORTS ACTIVITIES HEAD</b>	20
(I)		<b>FUND RECEIVED UNDER SCOUT ACTIVITIES HEAD</b>	20
(J)		<b>FUND RECEIVED UNDER INDIGENOUS SYSTEM OF MEDICINE INCLUDING HOMEOPATHY HEAD</b>	20

विषय सूची

मु. सं.	क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
22.	(जे) -1	होम्योपैथिक दवाखाने की सूची	20
23.	(जे) -2	आयुर्वेदिक दवाखाने की सूची	20
24.	(जे) -3	होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सक की नियुक्ति	21
	(के)	प्राकृतिक विपत्तियों के समय उससे पीड़ित कर्मचारियों को तुरंत राहत शीर्षक के तहत प्राप्त निधि	24
	(एल)	रेल कर्मचारियों के शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपंग बच्चों विशेषकर लड़कियों को व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण शीर्षक के तहत प्राप्त निधि	24
	(एम)	अदत्त वेतन	24
25.	(एम)1	अदत्त वेतन कर्मचारी हित निधि में जमा करना	25
	(एम-II)	दिनांक 01-04-2012 से शुरु कि जानेवाली अन्य कल्याणकारी गतिविधियाँ	26 से 28
26.	एन -1	अवकाश गृह / पुनःस्वास्थ्यलाभोन्मुख (स्वास्थ्य लाभ) गृहो की सूची	29
27.	एन-2\	समाज कल्याण केन्द्र की सूची	32
28.	एन-3	बाल मंदिर की सूची	32
29.	एन-4	पालना घर की सूची	33
30.	एन-5	सामुदायिक केन्द्र की सूची	33
31.	एन-6	रेलवे स्कूल की सूची	33
32.	एन-7	सीनियर एवं जूनियर रेलवे इंस्टीट्यूट की सूची	34
33.	एन -8	सांस्कृतिक एवं कला संगठन की सूची	34

(ओ) प्रपत्र

34.	(ओ) 1	छात्रवृत्ति	1--5
35.	(ओ) 2	समुह "घ" के कर्मचारियों के पुत्र एवं पुत्रियों के लिए छात्रवृत्ति	6--10
36.	(ओ) 3	अवकाश गृह	11
37.	(ओ) -4	भरण-पोषण भत्ता	12--13
38.	(ओ) -5	कठिनाई एवं बीमारी आदि में राहत	14--16
39.	(ओ) -6	रेल कर्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक विकलांग बच्चों की व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने लिए विशेषकर लड़कियों को प्रशिक्षण	17--20
40.	(ओ) -7	कृत्रिम अंग के लिए	21--23
41.	(ओ) -8	शिविर	24--25
42.	(ओ) -9	वाथ्य लाभ गृह	26--27
43.	(ओ) -10	प्राकृतिक आपदा के समय "त्पन्न परिस्थिति में तत्काल राहत	28--29
44.	(ओ) -11	दंतावली	30--31
45.	(ओ) -11	गुमशुदा कर्मचारी	32--33

## INDEX

M. No.	Sr. No.	Subject	Page No.
22.	J-1	LIST OF HOMEOPATHIC DISPENSARIES	20
23.	J-2	LIST OF AYURVEDIC DISPENSARIES	20
24.	J-3	ENGAGEMENT OF HON. HOMEOPATH/AYURVEDIC DOCTOR	21
	K)	FUND RECEIVED UNDER IMMEDIATE RELIEF IN TIMES OF CRISES ARISING OUT OF NATURAL CALAMITIES HEAD	24
	L)	FUND RECEIVED UNDER TRAINING FOR DEVELOPING OCCUPATIONAL SKILLS OF PHYSICALLY AND MENTALLY CHALLENGED WARDS ESPECIALLY GIRL CHILD OF RAILWAY EMPLOYEES HEAD	24
25.	(M)	UNPAID WAGES	24
	(M-II)	Schemes to be introduced w.e.f. 01-04-2012	26 to 28
26.	N -1	List of Holiday Homes / Convalescent Homes	29
27.	N-2	List of Social Welfare Centres	32
28.	N-3	List of Bal Mandir	32
29.	N-4	List of Creches	33
30.	N-5	List of Community Halls	33
31.	N-6	List of Railway School	33
32.	N-7	List of Sr. & Jr. Railway Institutes	34
33.	N-8	List of Fine Arts & Associations	34

### (O) FORMS

34.	O -1	SCHOLARSHIP	1--5
35.	O -2	SCHOLARSHIP TO MALE/GIRL CHILDREN OF GR.'D' STAFF	6--10
36.	O -3	HOLIDAY HOMES	11
37.	O -4	MAINTANANCE ALLOWANCE	12--13
38.	O -5	RELIEFE OF DISTRESS , SICKNESS etc.	14--16
39.	O -6	TRAINING FOR DEVELOPING OCCUPATIONAL SKILLS OF PH & MR WARDS OR SERVING RAILWAY EMPLOYEES	17--20
40.	O -7	FOR ARTIFICIAL LIMB	21--23
41.	O -8	CAMP	24--25
42.	O -9	CONVALESCENT HOMES	26--27
43.	O -10	IMMEDIATE RELIEF IN TIMES OF CRISES ARISING OUT OF NATURAL CALAMITIES	28--29
44.	O -11	DENTURE	30--31
45.	O -12	MISSING EMPLOYEE	32--33

## पश्चिम रेलवे कर्मचारी हित निधि-2012

### भूमिका :-

भारतीय रेल मेन्युअल के अध्याय 8 पैरा 801 के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर कर्मचारी हित निधि रखी जानी चाहिए। पूर्वकाल के तमाम वर्ग 'ग' व 'घ' के गैर राजपत्रित कर्मचारी, रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी सहित कर्मचारी हित निधि के लाभार्थी है। (संदर्भ : रेलवे बोर्ड पत्र संख्या .ई.(डब्ल्यू)97/एफयू -1/3 दिनांक 24.09.1997).तदनुसार पश्चिम रेलवे पर कर्मचारी हित निधि का प्रारंभ 28 फरवरी 1941 से किया गया।

**ए-1)** कर्मचारी हित निधि का प्रमुख निम्नानुसार उद्देश्य है कि वे गतिविधियों जिन्हें सीधे रेल राजस्व अनुदान से पूरा नहीं किया जा सकता है।

(अ) कर्मचारियों को उनके परिवारों को शैक्षणिक सहायता जहाँ भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग- II, के अध्याय - XXII, भाग-अ (रेल कर्मचारी के बच्चों को शैक्षणिक सहायता ) में कोई स्कूली अनुदान का प्रावधान सामान्य या अध्यक्ष के नाम पर विशेष जारी न किया गया हो।

(ब) यदि समिति कर्मचारियों के हित के लिए किसी और मद पर भी व्यय करना चाहती है तो, समिति इस संबंध में महाप्रबन्धक के पास मामला प्रस्तुत करेगी।

(क) कर्मचारी हित निधि का उपयोग भारतीय रेल स्थापना संहिता के नियम 805 (1) में दर्शाए के अलावा राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। (संदर्भ: अग्रिम शुद्धि पत्रक संख्या 53)

(ड) बीमारी एवं प्रसूति व्यवस्था /योजना के रेलवे कर्मचारियों के परीवार के लिए लाभ जो कि चिकित्सा सेवा एवं इलाज नियम तहत देय न हो। (संदर्भ: अग्रिम शुद्धि पत्रक संख्या 53)

( प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का दिनांक 13/10/1999 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)97/एफ यू-1)(संदर्भ:- भारतीय रेल स्थापना संहिता अध्याय 8 पैरा 802 एवं 803)

**ए-2) निधि क्रेडिट करना : निधि को निम्नानुसार क्रेडिट की जाए :-**

(I) जुमनि से प्राप्त सभी प्राप्तियाँ और

(II) राजपत्रित रेल कर्मचारियों से जब्त किए गए बोनस के सिवाय जब्त किए गए भविष्य निधि, बोनस से प्राप्त।

(III) पूर्ववर्ती वर्ष में रेल कर्मचारियों के बच्चों को उनकी तकनीकी शिक्षा के लिए दी गई छात्रवृत्ति की राशी को प्रत्येक रेलों द्वारा व्यय में 50% तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(IV) वर्ष के अंतमें सरकार / रेलवे के पास जमा बकाया राशि पर रेलवे राजस्व से 2 प्रतिशत की दर से व्याज अंशदान में जोड़ा जायेगा। (संदर्भ:- भारतीय रेल स्थापना संहिता अध्याय 8 पैरा 804 एवं 805)

(V) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल में रेलवे राजस्व नियम 804 अनुसार गैर राजपत्रित कर्मचारी के 31 मार्च के रोज के स्थायी एवं अस्थायी स्विकृत सर्वग संख्या (बकाया पद केपीटल को चार्ज) के आधार पर वार्षिक अंशदान रु. 500/- की दर से अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक एक अप्रैल को पिछले वर्ष एक अप्रैल को भुगतान की गई राशी के बराबर

## WESTERN RAILWAY STAFF BENEFIT FUND-2012

### A. INTRODUCTION :-

As per IREC- Chapter 8- Para 801 a Staff Benefit Fund shall be maintained for Indian Zonal Railway. All the non-gazetted staff of erstwhile group 'C&D' including RPF Personnel is eligible for SBF beneficiaries. (Ref: RB letter No.E.(W)97/FU-1/3 dated 24.09.1997).

On Western Railway the Staff Benefit Fund was introduced from 28th February 1941.

#### A-1) The main objective of the Staff Benefit Fund is as under i.e. those activities which cannot be directly met out of the Railway Revenue Grants.

- (a) Education of the staff and their children when no assistance is admissible under the provisions laid down in IREM-Chapter-XXII, Section-A (Educational assistance for children of Railway Servants) of Indian Railway Establishment Manual Volume-II, provided that no grant shall be made to a school which is not in accordance with any general or special orders issued by the President in this behalf.
- (b) If the Committee desire to incur expenditure, on any other object which in their opinion is for the benefit of the staff, Committee shall refer the matter to the General Manager for final decision.
- (c) No part of the fund shall be used for the benefit of gazetted railway servant, except as provided in Rule 805(1) of IREC. (Ref: Advance Correction Slip No. 53)
- (d) Such schemes for sickness or maternity benefits to the families of the staff as are not covered by the Medical Attendance and Treatment Rules.(Ref: Advance Correction Slip No.53)

(Ref: IREC- Chapter 8-Para 802 & 803) (Authority: Railway Board's letter No. E (W)97/FU-1/4dt.13.10.1999).

#### A-2) Credits to the Fund: Credit to the fund shall be credited as under :-

1. All receipts from fines; and
2. All receipts from forfeited Provident Fund bonuses, of non-gazetted railway servants.
3. The fund shall also augmented to the extent of 50% of expenditure incurred by the respective railways on grant of scholarships to the children of railway employees for Technical education of their children during the preceding year.
4. Interest at 2 per cent per annum shall be credited on the balance at the credit of the Fund lying with the Government/Railway and will be taken in reduction of the annual contribution from the revenues of the railway. (Ref: IREC-Chapter-8-Para 804 & 805 )
5. In addition to the credits to the Fund detailed in rule 804, there shall be credited to the Fund on the 1st April of each financial year an annual grant from the revenues of the railway at a per capita rate of Rs. 500/- based on the sanctioned strength of non-gazetted Railway employees, permanent and temporary, as on the 31st March, posts charged to capital being excluded.

अंतिम रूप से भुगतान किया जाता है। आवश्यक संशोधन के बाद सही राशी को निर्धारित किया जाता है। रु. 500/- का वितरण विभिन्न गतिविधियों में निम्नानुसार है।

शीर्ष / गतिविधियाँ	प्रति कर्मचारियों वार्षिक अंशदान रुपये
(I) सामान्य गतिविधिया जैसे कि, शैक्षणिक, मनोरंजन, प्रमोद, सांस्कृतिक, विपत्ति, बीमारी आदि में सहायता मद :-	
(a) (1) शैक्षणिक	72.75
(a) (2) ग्रेड पे रु. 1800/- एवं उससे कम के कर्मचारियों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति रु. 1200/- प्रतिमाह	100.00
(a) (3) ग्रेड पे रु. 1800/- एवं उससे कम के कर्मचारियों की बालकों के लिए छात्रवृत्ति @ रु. 1000/- प्रतिमाह	60.00
(b) खेल के अलावा, मनोरंजन	22.25
(c) सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन	10.50
(d) (1) विपत्ति, बीमारी आदि में सहायता	50.00
(d) (2) विपत्ति, बीमारी आदि में सहायता ग्रेड पे रु. 1800/- एवं उससे कम के कर्मचारियों के लिए	50.00
(e) महिला सशक्तिकरण गतिविधिया बालिकाओं की उच्च शिक्षण सहित	23.00
(f) विभिन्न	10.50
(II) खेलकूद गतिविधिया **	20.00
(III) स्काउट गतिविधिया **	13.50
(IV) होम्योपथिक सहित देशज पद्धति की चिकित्सा	22.50
(V) प्राकृतिक विपत्तियों के समय उससे पीड़ित कर्मचारियों को तुरंत राहत **	18.00
(VI) रेल कर्मचारियों के शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपंग बच्चों विशेषकर लड़कियों का व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण	27.00
<b>कुलयोग</b>	<b>500.00</b>

\*\* खेलकूद गतिविधियाँ एवं स्काउट गतिविधियाँ के प्रोत्साहन के लिए प्रति कर्मचारियों वार्षिक अंशदान क्षेत्रिय रेल्वो / उत्पादन ईकाईयाँ आदि पर निधि का आबंटन शिखर संस्था जैसे कि रेलवे खेलकूद परिषद, रेलवे स्काउट एवं गार्ड बोर्ड से सलाह करके रेलवे बोर्ड द्वारा क्रमशः रु. 20.00 एवं रु. 13.50 की दर से अंशदान जारी किया जायेगा। उपरोक्त मद (V) के अनुसार प्राकृतिक विपत्तियों से उत्पन्न संकट के समय उससे पीड़ित कर्मचारियों को तुरंत राहत राशि भी प्रति कर्मचारियों रु. 18.00 की दर से, रेलवे बोर्ड द्वारा दी जायेगी। (संदर्भ : रेलवे बोर्ड पत्र संख्या. ई.(डब्ल्यू)2010/एफयू -1/4 दिनांक 26.04.2010 व मुख्यालय पत्र सं. ई.एसबीएफ/1075/ओ भाग IV दिनांक 11.05.2011 पी.एस. सं. 67/2010) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या. ई.(डब्ल्यू)2010/एफयू -1/4 दिनांक 23.05.2011(आरबीई-73/2011)

### ए-3) निधि प्रबंधन :-

रेलवे के प्रधान कार्यालय में निधि का प्रबंधन, अध्यक्ष होने के नाते मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। अध्यक्ष के अलावा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- (i) मुख्य कार्मिक अधिकारी



The fund shall be credited provisionally on the 1st April each year with an amount equal to the contribution for the previous year, the necessary adjustment being made as soon as the correct amount of the contribution has been determined. The distribution of Rs. 500/- among different activities are as under:

Head/Activity	Annual Allocation per capital Rs.
(I) General activities viz. Education, recreation, amusement, cultural, relief of distress, sickness and miscellaneous items:-	
(a) (1) Education	72.75
(a) (2) Scholarship for higher education of girl children of Staff in Grade Pay Rs. 1800 & Below @ Rs. 1200/-pm	100.00
(a) (3) Scholarship for higher education of male children of Staff in Grade Pay Rs. 1800 & Below @ Rs. 1000/-pm	60.00
(b) Recreation other than sports	22.25
(c) Promotion of Cultural Activities	10.50
(d) (1) Relief of distress, sickness, etc.	50.00
(d)(2) Relief of distress, sickness, etc. for Staff in Grade Pay Rs.1800 & Below	50.00
(e) Women empowerment activities including higher education for girls	23.00
(f) Miscellaneous	10.50
(II) Sport activities**	20.00
(III) Scouts activities**	13.50
(IV) Indigenous system of medicine including Homeopathy	22.50
(V) Immediate relief in times of crises arising out of natural calamities**	18.00
(VI) Training of developing occupationally skills of physically/mentally challenged wards especially girls of railway employees	27.00
<b>Total</b>	<b>500.00</b>

\*\* Allotment of funds to various Zonal Railways/Production Units etc. for promotion of Sports and Scouts activities based on the revised overall per capita contribution of Rs.20.00 and Rs.13.50 respectively and will be continued to be made by the Railway Ministry in consultation with Apex Bodies concerned, viz. Railway Sports Control Board, Railway Scouts and Guides Board i.e. Immediate relief in time of crises arising out of natural calamities, i. e. Rs.18.00 per capita will also be made by the Railway Board as per Item No. V above.

( Ref: Railway Board's letter no. E/W/2010 FU-1/4 dated 26/04/2010 )(HQ's letter No.E/ SBF/1075/0 Vol. IV dt.11/05/2010 P.S.No.-67/2010) (Ref: RB Letter No. E(W)2010/FU-1/4 dated 23.05.2011) (RBE-73/2011).

### A-3) MANAGEMENT OF THE FUND:-

The fund shall be managed by a Committee at the Headquarters of the Railway presided over by the Chief Personnel Officer. Besides Chairman, the committee shall consist of the following:

- (i) The Chief Personnel Officer;

(II) मुख्य चिकित्सा निदेशक

(iii) मुख्य इंजीनियर

(iv) महाप्रबंधक द्वारा नामित कल्याण अधिकारी, समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और

(III) मान्यता प्राप्त यूनियनों से तीन-तीन, कुल छः प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।

**नोट:-** उत्पादन यूनियों में, जहाँ स्टाफ काउन्सिल कार्य करती है, के सदस्यों को केन्द्रिय स्टाफ काउन्सिल द्वारा चुना जाता है। वे कर्मचारी हित निधि समिति का कार्य करेंगे।

(संदर्भ:- भारतीय रेल स्थापना संहिता अध्याय - 8 पैरा 807)

( प्राधिकार- रेलवे बोर्ड का दिनांक 13/10/1999 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)97/एफ यू-1/4)

#### (IV) निधि से व्यय :-

महाप्रबंधक द्वारा व्यापक पर्यवेक्षण के अधीन, कर्मचारी हित निधि से समस्त व्यय को आई आर ई सी के नियम 808 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त समिति द्वारा या उप समिति द्वारा किया जाएगा।

रेल मंत्रालय के निर्णय के अनुसार, स्टेशनरी फार्म प्रिन्ट करने का प्रभार, पोस्टेज चार्ज और इस निधि से संबंधित अन्य व्यय को रेल राजस्व वहन करेगा।

कर्मचारी हित निधि समिति की बैठक के दौरान हुए मनोरंजन खर्च को कर्मचारी हित निधि से किया जाएगा।

(संदर्भ:- भारतीय रेल स्थापना संहिता अध्याय - 8 पैरा 806)

( प्राधिकार- रेलवे बोर्ड का दिनांक 10/05/1960 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू) 59 एफ यू 1-12 तथा दिनांक 12/02/1960 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू) 60 एफ यू 1-3)

#### (V) निधि का पुनर्विनियोजन :-

रेलवे बोर्ड ने विभिन्न क्षेत्रीय रेलों /उत्पादन ईकाईयों में कार्यरत केन्द्रिय कर्मचारी हित निधि समितियों को शिक्षा, खेल-कूद और स्कॉउट गतिविधियों के जलावा कर्मचारी हित निधि के तहत गतिविधियों के अन्य शीर्षों के तहत राशी में से 25% से कम का पुनर्विनियोजन करने का अधिकार दिया है।

(प्राधिकार-रेलवे बोर्ड का दिनांक 29/01/2009 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2008 एफ यू-1/2 )

#### ए-4) समिति का गठन :-

पश्चिम रेलवे पर केन्द्रिय कर्मचारी हित निधि समिति में प्रशासन की ओर से मुख्य कार्मिक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, मुख्य कार्मिक अधिकारी (औ.सं.) सह- अध्यक्ष के रूप में, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (कल्याण)- सचिव के रूप में और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य इंजीनियर, उप महाप्रबंधक (सा.) और वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे और दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनों वे.रे.ए.यूनियन (ए आय आर एफ) एवं वे.रे म. सं.(एन एफ आय आर ) प्रत्येक से तीन सदस्य होंगे।

#### ए-5) प्रधान कार्यालय में केन्द्रिय कर्मचारी हित निधि समिति के सदस्य :-

##### (I) प्रशासन द्वारा नामित सदस्य :-

(क) मुख्य कार्मिक अधिकारी - अध्यक्ष

- (ii) The Chief Medical Officer;
- (iii) The Principal Chief Engineer;
- (iv) A Welfare Officer to be nominated by the General Manager who shall act as the Secretary of the Committee; and
- (v) Six members shall be from recognised unions, to be equally divided amongst the recognised unions.

(Ref: IREC Chapter 8- Para 807) (Authority: Railway Board's letter No. E(W)97/FU-1/4 dated 13.10.99).

**i) Expenditure from the fund :-**

Subject to the general supervision of the General Manager, all expenditure from the Staff Benefit Fund shall be authorised by the Committee or by a Sub-Committee duly appointed under the provisions of 808 IREC.

As per Railway Ministry's decision, the cost of stationary, printing charges of forms, postage charge and other contingent expenses relating to the fund should be met from the Railway revenues.

Expenditure on entertainment during the meetings of the Staff Benefit Fund Committee should be met from the fund itself.

(Ref. IREC-Chapter-8- Para 806) (Authority: Railway Board's letter No. E(W)59/FU-1/12 dt.10.05.1960 & E(W)60/FU/1-3 dt.12.02.1960)

**ii) Re-appropriation of funds :-**

It has been decided by the Railway Board to empower the Central SBF Committees functioning in the various Zonal Railways/ Production Units etc. to re-appropriate funds not exceeding 25% of the amount amongst different head 'activities under SBF, except 'Education', 'Sports activities', 'Immediate relief in times of crises arising out of natural calamities' and 'Scouts' activities.

(Authority: Railway Board's letter No. E(W)2008/FU-1/2 dt.29/01/2009)

**A-4) FORMATION OF COMMITTEE :-**

On Western Railway the Central Staff Benefit Committee is headed by CPO as the Chairman, CPO(IR) as the Co-Chairman, Dy.CPO(W) Secretary and CMD, PCE, DGM(G) and FA&CAO as Members from administration side and three each members from two recognized unions i.e. WREU (AIRF) & WRMS (NFIR).

**A-5) CENTRAL SBF COMMITTEE IN H.Q. OFFICE:-**

(i) Members nominated by the Administration:-

(a) CPO : Chairman

- (ख) मुख्य कार्मिक अधिकारी (औ.सं.)- सह अध्यक्ष
- (ग) उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (कल्याण)-सचिव
- (घ) मु.चि.नि. द्वारा नामित उप मुख्य चिकित्सा निदेशक (त.प्र.) - सदस्य
- (ङ) मुख्य इंजीनियर द्वारा नामित उप मुख्य इंजी. (योजना)-सदस्य
- (च) उप महाप्रबंधक (सा.)-सदस्य
- (छ) वि.स.एवं मुलेधि द्वारा नामित ए.एफ.ए.(पी.एफ) -सदस्य

**(II) मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों अर्थात् वे.रे.ए.यू और वे.रे.म.सं. के 3-3 सदस्य**

(संदर्भ:- भारतीय रेल स्थापना संहिता अध्याय -8, पैरा-807)

**ए-6) प्रधान कार्यालय /मंडल / कारखाना उप समिति :-**

केन्द्रिय कर्मचारी कल्याण निधि समिति की सहायता के लिए प्रधान कार्यालय /मंडल /कारखाना स्तर पर उप समिति बनाई गई है।

**(I) प्रधान कार्यालय उप समिति:-**

- (क) उप मु.का.अ.(कल्याण)-अध्यक्ष
- (ख) मुख्य कल्याण निरीक्षक- सचिव
- (ग) मु.चि.नि. द्वारा नामित मं.चि.धि./स.मं.चि.धि.-सदस्य
- (घ) वे.रे.ए.यू. द्वारा नामित 02 सदस्य
- (ङ) वे.रे.म.सं. द्वारा नामित 02 सदस्य
- (च) क.हि.नि. से संबंधित लेखा विभाग के एक वरि.अनु.अधि./अनु.अधि.-विशिष्ट तौर पर एटीसी के लिए (केन्द्रीय क.हि.नि. के निर्णयानुसार)

**(II) मंडल स्तर पर उप समिति:-**

- (क) वरि.मं.का.धि./ मं.का.धि.- मंडल अध्यक्ष
- (ख) मुख्य कल्याण निरीक्षक- मंडल सचिव
- (ग) सी. एम. एस./वरि.चि.अ. द्वारा नामित मं.चि.अ./स. मं. चि.अ.- सदस्य
- (घ) वे.रे.ए.यू. द्वारा नामित 02 सदस्य
- (ङ) वे.रे.म.सं. द्वारा नामित 02 सदस्य
- (च) क.हि.नि. से संबंधित लेखा विभाग के एक वरि.अनु.अधि./अनु.अधि.-विशिष्ट तौर पर एटीसी के लिए (केन्द्रीय क.हि.नि. के निर्णयानुसार)

**(III) कारखाना उप समिति:-**

- (क) मु.का.प्र./का.प्र./उप मु.यां.इंजी.- अध्यक्ष
- (ख) वरि.का.धि./सहा.का.धि./सहा.का.प्र. - सचिव

- |                                   |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| (b) CPO (IR)                      | : | Co-Chairman |
| (c) Dy.CPO (W)                    | : | Secretary   |
| (d) Dy. CMD (TA) nominee of CMD   | : | Member      |
| (e) Dy. CE(PIg) nominee of PCE    | : | Member      |
| (f) DGM(G)                        | : | Member      |
| (g) AFA (PF) as nominee of FA&CAO | : | Member      |

(ii) Members nominated by the recognized Trade Unions:-

3 members each of recognised trade unions i. e. WREU & WRMS

(Ref: IREC Chapter 8- Para 807)

#### A-6) HEAD QUARTER/DIVISIONAL/WORKSHOP SUB COMMITTEE:-

At Headquarter/Divisional/Workshop level a Sub Committee is assisting the Central Staff Benefit Fund Committee.

##### i) HEADQUARTER SUB COMMITTEE:-

- |  |   |  |
|--|---|--|
| (a) Dy.CPO (W)                                 | : | Chairman   |
| (b) Chief Staff & Welfare Inspector/CWLI/CPI   | : | Secretary  |
| (c) DMO/ADMO nominated by CMD                  | : | Member   |
| (d) 02 members nominated by WREU               | : | Members  |
| (e) 02 members nominated by WRMS               | : | Members  |
| (f) 01 Sr, SO/SO from Account dealing with SBF | : | Exclusively for ATC (As per CSBF Committee decision) |

##### ii) DIVISIONAL SUB-COMMITTEE:-

- |   |   |  |
|---|---|--|
| (a) Sr.DPO/DPO  | : | Chairman   |
| (b) Chief Staff & Welfare Inspector/CWLI/CPI          | : | Secretary  |
| (c) DMO/ADMO nominated by }<br>CMS on behalf of DRM } | : | Member   |
| (d) 02 members nominated by WREU                      | : | Members  |
| (e) 02 members nominated by WRMS                      | : | Members  |
| (f) 01 Sr,SO/SO from Account dealing with SBF         | : | Exclusively for ATC (As per CSBF Committee decision) |

##### iii) WORKSHOP SUB-COMMITTEE :-

- |                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| (a) CWM/Dy. CME/WM | : | Chairman  |
| (b) SPO/APO/AWM    | : | Secretary |

- (ग) सी. एम. एस. /वरि.चि.अ. द्वारा नामित मं.चि.धि. /स. मं. चि.धि.- सदस्य
- (घ) वे.रे.ए.यू. द्वारा नामित 02 सदस्य
- (ङ) वे.रे.म.सं. द्वारा नामित 02 सदस्य
- (च) क.हि.नि. से संबंधित लेखा विभाग के एक वरि.अनु.अधि./अनु.अधि.-विशिष्ट तौर पर एटीसी के लिए (केन्द्रीय क.हि.नि. के निर्णयानुसार)

**नोट:-**

1. मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन द्वारा कर्मचारी हित निधि के सदस्य के रूप में किसी सेवा निवृत्त कर्मचारी को नामित नहीं किया जाएगा।
  2. निलंबित सदस्य बैठक में भाग नहीं ले सकता है जब तक नामित सदस्य भाग नहीं ले सकता है तब तक एवजी कर्मचारी को अनुमति दी जा सकती है।
  3. सदस्यों को अप्रैल से मार्च तक के लिए नामित किया जाता है और उन्हें पुनः नामित किया जा सकता है।  
[संदर्भ:- भारतीय रेल स्थापना संहिता अध्याय-8, पैरा 807 एवं 808]
- (प्राधिकार रेलवे बोर्ड का दिनांक 13/10/99 का पत्र सं. ई. (डब्ल्यू) 97 एफ यू 1/4)

**ए-7) केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के कार्य :-**

पश्चिम रेलवे पर कर्मचारी हित निधि के कार्य संचालन पर केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति का नियंत्रण रहेगा और उप समितियों के संदेहों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करेगी। केन्द्रीय हित निधि समिति द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। केन्द्रीय हित निधि समिति वार्षिक बजट को अंतिम रूप देगी। केन्द्रीय हित निधि समिति प्रत्येक महीने में एक या दो बार निम्नांकित कार्रवाई पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक बुलाएगी।

**निम्नांकित गतिविधियों के लिए केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति अनुदान की मंजूरी प्रदान करेगी।**

**(I) सामान्य गतिविधियाँ मदे :-**

- (क) (i) शिक्षा (पूर्व के वर्ग 'ग' कर्मचारी के लिए)
- (ii) कर्मचारी जिनका ग्रेड पे रु.1800/- या उससे कम है, उनकी लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति @ रु.1200/- प्रति माह। (पूर्व के वर्ग 'घ' कर्मचारी के लिए चाहे उन्हें एमएसीपी में उच्च ग्रेड पे दिया गया है)
- (iii) कर्मचारी जिनका ग्रेड पे रु.1800/- या उससे कम है, उनके लड़कों के उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति @ रु. 1000/- प्रति माह। (पूर्व के वर्ग 'घ' कर्मचारी के लिए चाहे उन्हें एमएसीपी में उच्च ग्रेड पे दिया गया है)
- (ख) खेल-कूद के अलावा अन्य मनोरंजन
- (ग) सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना
- (घ) आकस्मिक विपदाओं, बीमारी इत्यादि में राहत (कर्मचारी जिनका ग्रेड पे रु.1800/- या उससे कम है, उन कर्मचारियों को दुःख,संकट,बीमारी इत्यादि में सहायता)
- (ङ) महिला सशक्तिकरण गतिविधियाँ (लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति)
- (च) विविध

- |     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| (c) | DMO/ADMO nominated by CMS/Sr.DMO on behalf of CWM | : | Member   |
| (d) | 02 members nominated by WREU                      | : | Members  |
| (e) | 02 members nominated by WRMS                      | : | Members  |
| (f) | 01 Sr. SO/SO from Account dealing with SBF        | : | Exclusively for ATC (As per CSBF Committee decision) |

**NOTE:**

- (i) The retired employees will not be nominated as members of SBF Committee by the recognized Trade Union.
- (ii) The member under suspension will not be in the position to take part in the meetings. However, a substitute is allowed till a nominated member remains disqualified.
- (iii) Members will be nominated for the year from April to March and can be re-nominated.

(Ref: IREC- Chapter 8-Para 807 & 808)(Authority: Railway Board's letter No. E(W)97/FU-1/4 dated 13.10.99)

**A-7 FUNCTIONING OF THE CSBF COMMITTEE:-**

The Central SBF Committee will have overall control over the functioning of SBF on the Western Railway and to issue clarifications in regards to doubts of Sub-Committees. The decisions given by Central SBF Committee shall be final. The CSBF Committee will finalize Annual Budget. CSBF committee should meet once in a month for two days to transact the business of SBF related to all issues and send their minutes to all SBF units for guidance. A special meeting can be called if find necessary looking to the circumstance & fund utilisation within allotted year.

The grants are sanctioned by the Central SBF Committee for the following activities:

**(I) General activities items:-**

- (a) (i) Education (i.e. erstwhile old group C staff).
- (ii) Scholarship for higher education of girl children of Staff in Grade Pay Rs. 1800 & Below @ Rs. 1200/-pm. (old erstwhile Group 'D' staff by designation & even though higher GP granted under MACP)
- (iii) Scholarship for higher education of male children of Staff in Grade Pay Rs. 1800 & below @ Rs. 1000/-pm. (old erstwhile Group 'D' staff by designation & even though higher GP granted under MACP)
- (b) Recreation other than sports
- (c) Promotion of Cultural Activities
- (d) Relief of distress, sickness, etc.
- (e) Relief of distress, sickness, etc to staff in grade pay Rs. 1800/- (old erstwhile Group D staff by designation) and below.
- (f) Women empowerment activities including higher education for girls.
- (g) Miscellaneous

- (II) होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक सहित देशी दवाएं।
- (III) शारीरिक एवं मानसिक विकलांग बच्चों की व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण विशेषकर लड़कियों को वित्तीय सहायता।
- (IV) प्रधान कार्यालय का मंडल/उत्पादन यूनिटों के उप समिति के आबंटित निधि पर पूरा नियंत्रण होगा लेकिन निधि को एक लेखा शीर्ष से दूसरे लेखा शीर्ष में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। उप समिति विभिन्न संस्थानों जैसे - कैन्टिन, होली डे होम, सांस्कृतिक संगठनों, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक दवाखानों, रेलवे इन्स्टीट्यूट इत्यादि की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगी।
- (V) उप समितियाँ वित्तीय वर्ष के अंत में बच गई पूरी निधि /अंशदान को केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति को पुनः निधि / अंशदान स्विकृति के लिए लोटायेगें। (संदर्भ:- ई/एसबीएफ/1075/104 भाग IV दिनांक 02.06.2011)
- (VI) उप समितियाँ कर्मचारी हित निधि समिति को किसी प्रकार का बैंक खाता मंडल / कारखाना / मुख्यालय स्तर पर खुलवाने का अधिकार नहीं है। यदि कोई अनियमितता ध्यान में आती है तो तुरंत रोक दे। (संदर्भ:- ई/एसबीएफ/1075/सीएसबीएफ मितिग दिनांक 02.06.2011).

**प्रधान कार्यालय/मंडल/कारखाना उप समितियाँ निम्नांकित कार्यों के संबंध में महीने में एक बार बैठक आयोजित की जाएगी और केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति को उसका कार्यवृत्त भेजेगें।**

- रख-रखाव भत्ता की मंजूरी /छात्रवृत्ति का दावा सिफारीश करना / केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के निर्णय अनुसार आर्थिक मदद करना एवं केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि के अन्य व्यवहार
- विभिन्न संस्थानों, होम्योपैथिक /आयुर्वेदिक दवाखानों इत्यादि जिन्हें कर्मचारी हित निधि से अनुदान दिया जाता है, उनकी गतिविधियों का पर्यवेक्षण और उनके लिए वार्षिक अनुदान की सिफारिश करना
- लेखा-जोखा की तिमाही विवरणी की जाँच की जाए और प्रधान कार्यालय को भेजी जाए।
- कैम्प जैसे कर्मचारियों के लिए कैम्प (पूर्व के वर्ग 'ग' व 'घ' कर्मचारी अलग-अलग कैम्प), महिलाओं के लिए कैम्प (पूर्व के वर्ग 'ग' व 'घ' कर्मचारी संयुक्त कैम्प) और बच्चों के लिए कैम्प में जाने वाले कर्मचारियों का चयन (लड़के व लड़कियों के अलग-अलग कैम्प)।

**ए-8 पश्चिम रेलवे पर उप समिति का क्षेत्राधिकार :-**

**कर्मचारी हित निधि उप समिति के क्षेत्राधिकार हेतु निम्नांकित यूनिटों को एक साथ ग्रुप में रखा जाता है:-**

**ए. प्रधान कार्यालय उप समिति:-**

प्रधान कार्यालय में विस एवं मुलेधि, मुख्य खंजाची और रेल सुरक्षा बल, निर्माण संगठन मुंबई उपनगरीय क्षेत्र आते हैं। अन्य क्षेत्र जो मंडल एवं कारखाना क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं।

**बी. मंडल एवं कारखाना उप समितियाँ:-**

- मुंबई सेंट्रल मंडल, एवं रेल सुरक्षा बल, निर्माण संगठन का क्षेत्राधिकार।
- बडोदरा मंडल नया यार्ड, टी आर एस के एस एम एम (भण्डार) के कर्मचारियों सहित एवं मंडल के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल, निर्माण संगठन का क्षेत्राधिकार।
- अहमदाबाद मंडल एवं मंडल के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल, निर्माण संगठन का क्षेत्राधिकार।
- रतलाम मंडल एवं मंडल के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल, निर्माण संगठन का क्षेत्राधिकार।
- राजकोट मंडल एवं मंडल के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल, निर्माण संगठन का क्षेत्राधिकार।



- (II) **Indigenous system of medicine including Homeopathy & Ayurvedic.**
- (III) **Training of developing occupationally skills of physically/mentally challenged Wards especially girls of Railway employees.**
- (IV) The Headquarter, Division, Workshop, Sub Committees will have full control over the funds allotted to the Divisions, workshops units but are not authorised to appropriate funds from one head to the other. The sub committees will also supervise the activities of various institutions such as Canteen, Holiday Homes, Cultural Associations, Homeopathic & Ayurvedic Dispensaries, Railway Institutes, etc. headed by SBF.
- (V) Sub-committees will submit all the un-utilised funds/grants balance at the end of financial year to CSBF for re-sanction of fund/grant. (Ref: No. E/SBF/1075/104 Vol. IV dated 02.06.2011).
- (VI) Sub-committees are not empowered to open any bank account at division/workshop/HQ level on SBF account. If any irregularities noticed then it should be stopped immediately. (Ref: No. E/SBF/1075/CSBF Meeting dated 02.06.2011).

The HQ/Divisional/Workshop Sub Committees should meet once in a month to transact the following business and send their minutes to CSBF Committee every month.

1. Sanction of Maintenance allowance/recommend scholarships claim / financial assistance in various decisions of CSBF & other business related to SBF.
2. To supervise the activities of various institutions, Homeopathic /Ayurvedic dispensaries etc. to which SBF aid is given and to recommend for annual grant.
3. To verify and submit quarterly statement of accounts to Headquarters.
4. Selection of campers for Camps i.e. Staff Camp (erstwhile group D & C staff separately); Ladies Camp (Jointly of erstwhile group D & C staff) and Children's Camp (Boys & Girls separately).
5. To prepare planning & arrange programmes of SBF activities within jurisdiction.

**A-8) JURISDICTION OF SUB COMMITTEE ON WESTERN RAILWAY:-**

Following units are grouped together for the purposes of jurisdiction of SBF Sub-Committee:

**(a) Headquarters Sub Committee:-**

Headquarters Offices including FA&CAO office, Chief Cashier, Construction organizations, Dy.CAO(TA)-All, DKZ, RPF staff of HQ office-CCG & other staff not included in Division / workshop SBF units.

**(b) Divisional & Work Shops Sub Committees:-**

1. Jurisdiction of BCT Division, RPF & Construction organization within division.
2. Jurisdiction of BRC Division including Staff of SMM (Store) of Nava Yard TRS, RPF & Construction organization within division.
3. Jurisdiction of ADI Division, RPF & Construction organization within division.
4. Jurisdiction of RTM Division, RPF & Construction organization within division.
5. Jurisdiction of RJT Division, RPF & Construction organization within division.

- (vi) भावनगर मंडल एवं मंडल के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल, निर्माण संगठन का क्षेत्राधिकार।
- (vii) परेल कारखाना एवं मु.का.प्र.-परेल के प्रशासनिक नियंत्रण में यानि उप मु.सा.प्र (भण्डार.लेखा (डब्ल्यू एवं एस), बिजली और यांत्रिक कर्मचारी, महालक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस का क्षेत्राधिकार।
- (viii) दाहोद कारखाना एवं मु.का.प्र.-दाहोद के प्रशासनिक नियंत्रण यानि उप मु.सा.प्र.वरि.ए.एफ.ए. (डब्ल्यू एवं एस), बिजली और चिकित्सा कर्मचारी का क्षेत्राधिकार।
- (ix) साबरमती कारखाना एवं कारखाना प्रभारी के प्रशासनिक नियंत्रण में भण्डार.सिगनल कारखाना,लेखा इत्यादि का क्षेत्राधिकार ।
- (x) प्रतापनगर कारखाना एवं मु.का.प्र - प्रतापनगर के प्रशासनिक नियंत्रण में यानी स.सा.प्र.(भण्डार), लेखा (डब्ल्यू एवं एस),बिजली कर्मचारी का क्षेत्राधिकार।
- (xi) भावनगर कारखाना एवं कारखाना प्रभारी का प्रशासनिक नियंत्रण का क्षेत्राधिकार।

X--X---X---X---X

6. Jurisdiction of BVP Division, RPF & Construction organization within division.
7. Jurisdiction of PL Workshop & Administrative control of CWM-PL i.e. Dy.CMM (Store); Account (W&S); Electrical, Mechanical staff EMU workshop Mx. & Printing Press etc.
8. Jurisdiction of DHD Workshop & Administrative control of CWM-DHD i.e. Dy.CMM(store); Sr.AFA(W&S); Electrical, Medical staff etc.
9. Jurisdiction of SBI Workshop including store & Administrative control of workshop in-charge i.e. Engg & Signal workshop & associated staff.
10. Jurisdiction of PRTN Workshop i.e. AMM(Store); Account(W&S); Electrical staff & Administrative control of workshop in-charge.
11. Jurisdiction of BVP Workshop including store & Administrative control of workshop in-charge.

x--x---x---x---x

Technical

Non-Technical

Graduation courses

Technical

Non-Technical

Graduation courses

Technical

Non-Technical

Graduation courses

Technical

Non-Technical

Graduation courses

Technical

Non-Technical

Graduation courses

बी. रेलवे बोर्ड से विभिन्न मदों के अंतर्गत प्राप्त निधि :-

बी ) शिक्षा :-

बी -1) छात्रवृत्ति :-

ए-) कर्मचारी हित निधि योजना के तहत रु. 1800/- से अधिक ग्रेड पे (पूर्व के वर्ग 'ग' कर्मचारी) प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को और आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती है। ये छात्रवृत्तियाँ केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा निश्चित पात्रता मानदंडों के अनुसार पात्र छात्रों को दी जाती है। अधिवर्षिता की आयु पर सेवा निवृत्ति के बाद पुनः तैनात कर्मचारी, और इस रेलवे पर गैर रेलवे से प्रति नियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

(संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दिनांक 19/11/1985 का पत्र सं.ई/डब्ल्यू/85 एफ यू-1/4, रेलवे बोर्ड का दिनांक 29/10/1991 का पत्र सं.ई/डब्ल्यू/91 एफ यू-1/4, रेलवे बोर्ड का दिनांक 27/01/1999 का पत्र सं.ई/डब्ल्यू/98 एफ यू-1/4, रेलवे बोर्ड का दिनांक 13/04/2007 का पत्र सं.ई/डब्ल्यू/2007 एफ यू-1/4, रेलवे बोर्ड का दिनांक 26/04/2010 का पत्र सं.ई/डब्ल्यू/2010 एफ यू-1/4)

निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी एवं राशी निधि की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति प्रत्येक वर्ष तय करती है (इस संबंध में प्रतिवर्ष मई जून में अधिसूचना जारी कि जाती है।)

(ए) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम :-

तकनीकी पाठ्यक्रम-

गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम- (एमए,एमकॉम,एमएससी,एमएड,एलएलएम व समकक्ष )

(बी) स्नातक पाठ्यक्रम :-

तकनीकी पाठ्यक्रम-

गैर-तकनीकीपाठ्यक्रम- (बीएससी,बीए,बीकॉम,बीबीए,बीसीए,बीएमएम,बीएमएस,पीटीसी,बीएड,सीपीई आदी )

(सी) सभी चिकित्सा संबंधी पाठ्यक्रम :-

एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.

अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रम-

फार्मास्युटीकल पाठ्यक्रम - (डी. फार्मा, बी. फार्मा व एम फार्मा )

(डी) एम.सी.ए./एम.बी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.ए./सी.एस./पीजीडीबीएम/ पीजीडीबीए व समकक्ष :-

(ई) सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एक वर्ष से कम नहीं) (10+2 के तीसरे वर्ष में एवं 12वीं के बाद) :-

(एफ) सेवारत कर्मचारीयो द्वारा प्रशासन की परवानगी से उच्च शिक्षा :-

(संदर्भ:- भारतीय रेल स्थापना संहिता अध्याय -8, पैरा-802).

## B. FUNDS RECEIVED FROM RAILWAY BOARD UNDER VARIOUS HEADS :-

### (B-1) EDUCATION / SCHOLARSHIP :-

- (i) Under the Staff Benefit Fund Scheme, to promote Education amongst the children / wards of the Railway employees, Scholarships are awarded to children of Railway employees in grade pay Rs. 1900/- & Above (i.e. erstwhile group 'C' staff). These scholarships are awarded to the eligible students as per eligibility criteria decided by the CSBF Committee. Re-employed employees after superannuation and employees of non-railway department on deputation to Railways are not eligible for this scheme.

( Ref: Railway Board's letter No. E(W)85/FU-1/4 dt.19/11/1985; E(W)91/FU1-1 dt.29/10/1991; E(W)98/FU-1/4 dt.27/01/1999; E(W)2007/FU-1/4 dt.13/04/2007 & E/W/2010 FU-1/4 dated 26/04/2010 )

Scholarship is awarded for the following courses & amount thereof as decided by CSBF every year looking into the availability of fund. To this effect, notification are issued every year in the month of May/June.

- a) Post graduation courses:

Technical

Non-Technical (MA, M.Com, M.Sc., M.Ed., LLB, LLM & equivalent)

- b) Graduation courses:

Technical

Non-Technical (B.Sc., BA, B.Com, BBA, BCA, BMM, BMS, PTC, B.Ed., CPED, etc)

- c) **All Medical courses :-**

MBBS/BDS

Other Medical Courses:

Pharmaceuticals Courses: (D.Pharma, B.Pharma & M.Pharma)

- d) **MCA/MBA/ICWA/CA/CS/PGDBM/PGBDA & other equivalent :-**

- e) **All Diploma courses - not less than one year- (3rd year in 10+2) & after 12th standards.**

- f) **Serving Employee for any higher study with permission of Administration (Ref: IREC-Chapter 8-Para 802).**

## टिप्पणी :-

- (1) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जिन्हें पुनः तैनात किया गया है, वे कर्मचारी जो किसी और विभाग से रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर आए हैं को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। हालांकि कैन्टिन कर्मचारी को (स्थायी/अस्थायी) देय है।
- (2) तकनीकी शिक्षा में महा-निदेशक शिपिंग द्वारा आयेजित मरीन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम, आई.एन.एस.राजेन्द्र शीप में प्रशिक्षण शामिल है।
- (3) चिकित्सा, तकनीकी एवं स्पर्धात्मक पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति सिर्फ उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जिन्होंने उक्त पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते वक़्त 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जैसे कि, 12वीं कक्षा, स्नातक पाठ्यक्रम के लिये स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये।
- (4) छात्रवृत्ति /नवीनीकरण पात्रता के लिए छात्र उपरी कक्षा में दाखिला एटीकेटी के साथ या बिना लिया है तो छात्रवृत्ति देय है। जो पूर्व के ग्रुप 'ग' तथा 'घ' के लिये लागू है (संदर्भ केन्द्रीय कहनि मिटींग दि. 05-06-12-2012)
- (5) चिकित्सा, तकनीकी एवं स्पर्धात्मक पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति के लिए 60% की सीमा नहीं है (जैसेस्पर्धात्मक पाठ्यक्रम से दाखिला उदाहरण तौर पर गुजकेट, पीएमईटी, आईईईई, सीईटीई, एमईटी, एमईटी, सीएट, जीएटी, आदि फार्मास्टिकल पाठ्यक्रम जैसे, डी. फार्मा /बी.फार्मा /एम. फार्मा के सहित।
- (6) उपरोक्त छात्रवृत्तियाँ उन छात्रों के लिए स्वीकार्य होंगी जो विश्वविद्यालयों से संबद्ध संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं।
- (7) रेल कर्मचारियों के आश्रित जो आर्थिक सहायता प्राप्त रेलवे छात्रावासों में रहते हैं उन्हें भोजन का पूरा प्रभार भुगतान करना है यदि वे कर्मचारी हित निधि से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
- (8) छात्रवृत्ति की पात्रता निधि की उपलब्धता पर केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा तय किया जायेगा एवं वह अंतिम माना जायेगा।
- (9) कथित पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत छात्रवृत्ति एक बार शुरु हो जाने पर उस पाठ्यक्रम के समापन तक जारी रहेगी। तथापि कर्मचारी के सेवा से त्याग पत्र देने पर उसके आश्रित की छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी।
- (10) अराजपत्रित संवर्ग के कर्मचारी का राजपत्रित संवर्ग में पदोन्नति होने पर उसके आश्रित को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी।
- (11) यदि प.रे.म.स.से.स., राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार आदि जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त छात्रवृत्ति राशी कर्मचारी हित निधि के अनुदान से कम है तब समिति यह निर्णय ले सकती है कि ऐसे मामलों में शेष राशी की मंजूरी की जानी है या नहीं।
- (12) अन्य स्रोत से वजीफा करने वाले छात्र कर्मचारी हित निधि से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- (13) द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश: जो छात्र क्रमशः डिप्लोमा या 12वीं पास करने के आधार पर द्वितीय वर्ष की डिग्री और डिप्लोमा के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं उन पर विचार किया जाएगा बशर्ते उन्होने पिछली 12वीं की अंतिम परीक्षा या डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में 60% या अधिक अंक प्राप्त किया हो।
- (14) जो छात्र 10 वी. के आधार पर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश करता है तो वह तृतीय डिप्लोमा में छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। क्योंकि वह शैक्षणिक भत्ता (रेलराजस्व) के लिए अपात्र हैं, यह सुनिश्चित किया जाय के उसे दोहरा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।
- (15) कर्मचारी हित निधि में बच्चों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए लागू नहीं है।

**Note:-**

- 1) Re-employed employees after superannuation and employees of non Railway department on deputation to Railway department are not eligible for this Scheme. However, Canteen staff (Statutory/Non Statutory) are eligible.
- 2) Technical education includes training in INS Rajendra ship, Marine Engineering course conducted by Director General of Shipping.
- 3) Except medical, technical & competitive exams courses, The Scholarship will be admissible to only those students studying in other courses provided they secure 60% and above marks at the time of seeking admission in the above courses i.e. 12th for Graduation courses & Graduation for Master courses etc except given below.
- 4) The eligibility criteria for scholarship for continual study/renewal will be joining higher class with or without ATKT as well as without any percentage restrictions for Erstwhile group 'C' & 'D' staff. (Ref: CSBF meeting dated 05-06.12.2011).
- 5) There will be no rider of securing 60% marks in HSC for the purpose of granting scholarship for Medical Courses, technical courses, (i.e. admission taken based on competitive exams, e.g. GUJCAT, PMET, AIEEE. CETE, MET, CAT, GATE etc including Pharmaceutical Courses viz. D.Pharm / B. Pharm / M. Pharm.
- 6) The above scholarships will be admissible to students who are undergoing studies at the institutions affiliated to Universities of any Government Technical/Medical/Education Board.
- 7) The wards of Railway employees who are accommodated in subsidized Rly hostels has to pay full messing charges if they are getting Scholarship from Staff Benefit Fund.
- 8) The eligibility for Scholarship will be decided by CSBF on availability of funds which will be final.
- 9) Scholarship once given will continue till the completion of the said courses for which Scholarship is granted. However, when the employee resigns from the service Scholarship to the ward will not be renewed.
- 10) The employees promoted to Gazetted cadre, the scholarship if any granted to their ward while they were in Non-Gazetted cadre will be discontinued.
- 11) If the scholarship amount received from other sources such as WRWSSC, National merit award etc, is lesser than the grant of SBF, the committee can decide whether the balance amount in such cases is to be sanctioned or not.
- 12) Students getting stipends from other source are not eligible for scholarship from SBF.
- 13) Direct admission to II Year: Students who seek admission directly to second year of degree and diploma course by virtue of passing their diploma or 12th standard respectively will be considered provided they secure 60% or above marks in previous final examination of 12th std. or final year of Diploma.
- 14) Student seeking admission in Diploma course on 10th base are eligible for scholarship from 3rd year of Diploma as he is ineligible for education allowance from revenue but student in no case both the benefits are given. (Ref: CSBF meeting dated 05-06.12.2011).
- 15) Restriction of number of children is not applicable for scholarship under SBF.

- (16) केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के पास किसी भी दावे को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (17) किसी भी प्रकार के पाठयक्रम /राशि/के दावा में संसय हो तो स्थानीय कर्मचारीहित निधि के सुझाव केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि को भेजा जाए।
- (18) छात्रवृत्ति की पात्रता पर विचार पिछली कक्षा के शैक्षिक रिकार्ड के आधार पर किया जायेगा और छात्र चालू वर्ग में पढाई कर रहा हो।
- (19) चुकी यह शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता है इसलिये फीस रसीद जोडने की आवश्यकता नही है।
- (20) छात्रवृत्ति का निम्नलिखित प्रतिशत निम्न के लिए आरक्षित है:
- |     |                  |       |
|-----|------------------|-------|
| (क) | समूह 'घ'         | 05%   |
| (ख) | अनुसूचित जाति    | 15%   |
| (ग) | अनुसूचित जन जाति | 07.5% |
- (21) बालिकाओं को जारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कर्मचारी हितनिधि के महिला सशक्तीकरण शीर्ष में गणना होगी।

**बी-2) ग्रेड पे रु. 1800/- एवं उससे नीचे के कर्मचारियों की पुत्रियों के लिए छात्रवृत्ति :-**

उपरोक्त छात्रवृत्ति के अलावा रेलवे बोर्ड ने ग्रेड पे रु. 1800/- एवं उससे नीचे के कर्मचारियों की बालिकाओं के लिए (पूर्व के वर्ग 'घ' कर्मचारी के लिए चाहे उन्हे एमएसीपी में उच्च ग्रेड पे दिया गया है) छात्रवृत्ति की शुरुआत की है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं अर्थात् मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्व विद्यालयों से कोई भी डिग्री और डिप्लोमा पाठयक्रम करना चाहती है जो एक वर्ष से कम का न हो। ग्रेड पे रु. 1800/- एवं उससे नीचे के कर्मचारियों (पूर्व के वर्ग 'घ' कर्मचारी के लिए चाहे उन्हे एमएसीपी में उच्च ग्रेड पे दिया गया है) की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना का तरीका निम्न प्रकार है:-

- (i) ग्रेड पे रु.1800/- एवं उससे नीचे के ग्रेड में कार्यरत कर्मचारी जिन्हें एम ए सी पी का लाभ नहीं मिला है और जिनका पदनाम और वरिष्ठता ग्रेड पे रु. 1800/- और नीचे के ग्रेड में हो उनकी बालिकाओं को ही केवल इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगी।
- (ii) पूर्वकाल के वर्ग 'घ' कर्मचारी के लिए चाहे उन्हे एमएसीपी में उच्च ग्रेड पे दिया गया है जिनका पदनाम और वरिष्ठता / पद ग्रेड पे रु. 1800/- में है जैसे एमएसीपी में जारी उच्च ग्रेड पे कर्मचारी हित निधि के लाभ के लिए ध्यान में नहीं लिया जाए। [संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दि.15/02/2011 का पत्र सं.ई/डब्ल्यू/2010 एफ यू-1/4] (आरबीई -22/2011)
- (iii) उच्च शिक्षा का तात्पर्य मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालयों से कोई भी डिग्री और डिप्लोमा पाठयक्रम करना है जो एक वर्ष से कम का न हो।
- (iv) प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि प्रतिमाह रु. 1200/- होगी।
- (v) इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले को कर्मचारी हित लाभ निधि के अंतर्गत कोई अन्य इसी तरह का लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी।
- (vi) छात्रवृत्ति राशि का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।
- (vii) छात्रवृत्ति राशि का भुगतान बच्ची के नाम पर खाता पेयी चेक के माध्यम से किया जाएगा।

ये आदेश 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। [संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दि.17/08/2009 का पत्र सं.ई/डब्ल्यू/2009 एफ यू-1/4]

[प्र.का. का पत्र दि. 04/09/2009 का पत्र सं.-ई/डब्ल्यू ई एल/1075/0/भाग IV पी एस सं.157/2009]



- 16) Any doubt about courses/amount claim, may be referred to CSBF with the remarks of local SBF committee for further decision. Nursing, Hotel Management & equivalent professional courses are eligible for scholarship.
- 17) The Staff Benefit Fund committee reserves the right to reject any claim.
- 18) Scholarship claim is accepted based on last year educational records & studying in current year.
- 19) No fees receipts is required with scholarship claim as it is Financial assistance to Student/Education.
- 20) Following percentage of scholarship is reserved for:
 

(a)	Erstwhile Group "D"	05%
(b)	Scheduled Caste*	15%
(c)	Scheduled Tribe*	07 ½%
- 21) Higher education scholarship to Girl child is chargeable to Women Empowerment activities/Head of SBF.

**(B-2) SCHOLARSHIP TO GIRL CHILDREN OF STAFF IN GRADE PAY RS. 1800 & BELOW:-**

Railway Board has introduced Scholarship for only Girl children also of the employees in grade pay Rs. 1800/- & below seeking higher education i.e. All degree and diploma courses/ Programmes of not less than one year from recognized Institute / Universities.

The modality for the scheme of "Scholarship for higher education of Girl of staff in Grade Pay Rs. 1800/- & below" are as under:-

- (i) Only girl children of the serving employees in Grade Pay Rs. 1800/- & below shall be eligible for the scholarship under the scheme.
- (ii) Erstwhile group 'D' staff can claim, benefit of Grade pay Rs. 1800/- even though Higher Grade pay granted in MACP's for SBF benefit based on his / her basic post (designation) i.e. MACPS Grade pay not to be considered for SBF benefits. (Ref: RB letter No. E(W)2010/FU-1/4 dated 15.02.2011 (RBE-22/2011)).
- (iii) The term higher education shall mean all Degree and Diploma programme of not less than one year from recognized Institute/Universities.
- (iv) The amount of scholarship shall be Rs. 1200/- per month.
- (v) On availing benefit under this scheme, any other similar benefit under SBF will not permissible.
- (vi) The payment of Scholarship amount shall be made on quarterly basis.
- (vii) The payment of the Scholarship amount shall be made through an account payee cheque in the name of the child.  
These orders are effective from 1st April, 2009.

( Ref: Railway Board's letter no. E/W/2009 FU-1/4 dated 17/08/2009 )  
HQ's letter No.E/SBF/1075/0 Vol. IV dt.04/09/2009 P.S.No157/2009.

**बी-3) ग्रेड पे रु. 1800/- एवं उससे नीचे के कर्मचारियों के बालकों के लिए छात्रवृत्ति :-**

उपरोक्त छात्रवृत्ति के अलावा रेलवे बोर्ड ने ग्रेड पे रु. 1800/- एवं उससे नीचे के कर्मचारियों के बालकों के लिए (पूर्व के वर्ग 'घ' कर्मचारी के लिए चाहे उन्हें एमएसीपी में उच्च ग्रेड पे दिया गया है) छात्रवृत्ति की शुरुआत की है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं अर्थात् मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्व विद्यालयों से कोई भी डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना चाहते हैं जो एक वर्ष से कम का न हो। ग्रेड पे रु. 1800/- एवं उससे नीचे के कर्मचारियों (पूर्व के वर्ग 'घ' कर्मचारी के लिए चाहे उन्हें एमएसीपी में उच्च ग्रेड पे दिया गया है) की बालकों के लिए छात्रवृत्ति योजना का तरीका निम्न प्रकार है:-

- (i) ग्रेड पे रु. 1800/- एवं उससे नीचे के ग्रेड में कार्यरत कर्मचारी जिनका पदनाम और वरिष्ठता ग्रेड पे रु. 1800/- और नीचे के ग्रेड में हो उनकी बालकों को ही केवल इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा।
  - (ii) पूर्व के वर्ग 'घ' कर्मचारी के लिए चाहे उन्हें एमएसीपी में उच्च ग्रेड पे दिया गया है जिनका पदनाम और वरिष्ठता / पद ग्रेड पे रु. 1800/- में है जैसे एमएसीपी में जारी उच्च ग्रेड पे कर्मचारी हित निधि के लाभ के लिए ध्यान में नहीं लिया जाए। [संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दि.15/02/2011 का पत्र सं.ई/डब्ल्यू/2010 एफ यू-1/4] (आरबीई -22/2011)
  - (iii) उच्च शिक्षा का तात्पर्य मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालयों से कोई भी डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना है जो एक वर्ष से कम का न हो।
  - (iv) प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि प्रतिमाह रु. 1000/- होगी।
  - (v) इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले को कर्मचारी हित लाभ निधि के अंतर्गत कोई अन्य इसी तरह का लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी।
  - (vi) छात्रवृत्ति राशि का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।
  - (vii) छात्रवृत्ति राशि का भुगतान बच्चे के नाम पर खाता पेयी चेक के माध्यम से किया जाएगा।
- ये आदेश 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। [संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दि.17/08/2009 का पत्र सं.ई/डब्ल्यू/2009 एफ यू-1/4] [प्र.का. का पत्र दि. 11/05/2010 का पत्र सं.-ई/डब्ल्यू ई एल/1075/0/भाग IV पी एस सं.67/2010]

**सी) खेल-कूद के अलावा मनोरंजन शीर्ष तहत सहायता :-**

**सी-1) रेलवे इन्स्टीटयुट के लिए सहायता :-**

पूरे पश्चिम रेलवे के विविध मंडलों /कारखानों पर ये इन्स्टीटयुट कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यरत हैं। ये इन्स्टीटयुट प्रबंधन समिति द्वारा चलाए जाते हैं इसमें मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के दो सदस्य, प.रे.ए.यू. और प.रे.म.सं. प्रत्येक से एक एक सदस्य शामिल होते हैं। सभी रेल कर्मचारी इसकी सदस्यता के हकदार हैं। समिति द्वारा नाम मात्र का शुल्क निर्धारित किया जाता है। इन्स्टीटयुट सदस्यों को पुस्तकालय, अंतरंग खेल जैसे बिलियर्ड, कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि सभी मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करता है। कभी-कभी फिल्म प्रदर्शन, नाटक, वादकृवंद, रात्री कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और अन्य बहिरंग खेलों को हर संभव प्रोत्साहित करने के लिए इन खेलों को खेलने और अभ्यास करने के लिए सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। कर्मचारियों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छोटी जगह पर स्थित इन्स्टीटयुट वरदान है यदि वहां पर क्लब या मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। कर्मचारी हित निधि, इन्स्टीटयुट के लिए अनुदान मंजूर करता है बशर्ते निधि उपलब्ध हो ताकि वे उचित तरीके से और बिना किसी रुकावट के कार्य कर सकें। इन्स्टीटयुट के लिए अनुदान की मंजूरी संस्थानों के लेखा-परीक्षित लेखों और निधियों की उपलब्धता के अधीन है। इन्स्टीटयुट के नियमावली अलग से जारी की जा रही है। केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि सदस्य इनका निरीक्षण करने के अधिकारी है।

### **(B-3) SCHOLARSHIP TO MALE CHILDREN OF STAFF IN GRADE PAY RS. 1800/- & BELOW :-**

Railway Board has introduced Scholarship for Male children also of the employees in grade pay Rs. 1800/- & below seeking higher education i.e. all Degree and courses / Programmes of not less than one year from recognized Institute / Universities.

The modality for the scheme of "Scholarship for higher education of Male children of staff in Grade Pay Rs. 1800/- & below" are as under:-

- (i) Only male children of the serving employees in Grade Pay Rs. 1800 & below shall be eligible for the scholarship under the scheme.
- (ii) Erstwhile group 'D' staff can claim, benefit of Grade pay Rs. 1800/- even though Higher Grade pay granted in MACPS for SBF benefit based on his / her basic post (designation) i.e. MACPS Grade pay not to be considered for SBF benefits. (Ref: RB letter No. E(W)2010/FU-1/4 dated 15.02.2011 (RBE-22/2011).
- (iii) The term higher education shall mean all degree and diploma programme of not less than one year from recognized institute/universities.
- (iv) The amount of scholarship shall be Rs. 1000/- per month.
- (v) On availing benefit under this scheme, any other similar benefit under SBF will not permissible.
- (vi) The payment of Scholarship amount shall be made on quarterly basis.
- (vii) The payment of the scholarship amount shall be made through an account payee cheque in the name of the child.

These orders are effective from 1st April, 2010.

(Ref: Railway Board's letter no. E/W/2010 FU-1/4 dated 26/04/2010 )  
HQ's letter No.E/SBF/1075/0 Vol. IV dt.11/05/2010 P.S.No.67/2010

### **C) RECREATION OTHER THAN SPORTS:-**

#### **C-1 AID TO RAILWAY INSTITUTES:-**

On the entire Western Railway Institutes are functioning on various Divisions / Workshops etc., to cater the needs of staff. The institutes managed by a Managing Committee in which two members of recognized trade unions, one each from WREU and WRMS are included.

All Railway employees are entitled for its membership. Nominal fees are fixed by the Committee. The Institute provides to the members all recreational facilities such as library, indoor games like billiards, carom, chess, table tennis, badminton etc. Occasionally, orchestra & night shows, dramas etc., can also be organized. Facilities are also provided for playing and practicing badminton, table tennis and other outdoor games to promote these games in every possible way. Staff should be encouraged to avail of these facilities. An Institute is boor if situated in small place where there is no club or any source of recreation. The SBF sanctions grant to Institutes, provided funds are available, so that they can function properly and smoothly. The sanction of grants to Institutes is subject to having the Audited accounts of Institutes and availability of funds. By laws of Institutes is being issued separately. CSBF members are empowered to inspect institutes.

## सी-2) सामुदायिक भवन :-

वर्तमान में सामुदायिक भवन बलसाड रतलाम, भावनगर, उज्जैन, साबरमती और राजकोट में है जो विवाह समारोह और अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। सामुदायिक भवन का संचालन प्रबंधन समिति द्वारा होता है। इसमें मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के दो सदस्य, प.रे.ए.यू. और प.रे.म.सं. प्रत्येक से एक एक सदस्य शामिल होते हैं। सामुदायिक भवन के लिए अनुदान की मंजूरी सामुदायिक भवन के लेखा-परीक्षित लेखों और निधियों की उपलब्धता के अधीन है। सामुदायिक भवन के नियमावली अलग से जारी की जा रही है। केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि सदस्य इनका निरीक्षण करने के अधिकारी है।

## सी-3) स्वास्थ्य लाभ गृह:-

कर्मचारी सुख सुविधा के रूप में स्वास्थ्य लाभ गृह उन रेल कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए दिनांक 01/03/1958 से पाली हिल, बांद्रा में खोला गया है जिनके पास अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनुकूल आबोहवा को कोई साधन नहीं है। यह गृह, अवकाश गृह के तल मंजिल पर स्थित है और इसमें अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 4 सूट (3 पूर्व के वर्ग 'ग' कर्मचारी के लिए + 1 पूर्व के वर्ग 'घ' कर्मचारी के लिए) का समावेश है। स्वास्थ्य लाभ गृह अवकाश गृह के तर्ज पर है। सामान्य स्थिति में आवास की अधिकतम अवधि 15 दिनों की है जिसे अति विशिष्ट मामलों में कुल एक माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते प्रतीक्षा सूची पर कोई अन्य आवेदक न हो। कमरों के आवंटन के लिए आवेदन उप मुकाधि (कल्याण)-चर्चगेट को संबोधित किया जाना चाहिए और निम्नलिखित को दर्शाते हुए रेलवे डॉक्टर मंचिधि/समंचिधि से चिकित्सा प्रमाण-पत्र साथ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए:-

- (i) बीमारी का किस्म
- (ii) मांगी गई अवधि
- (iii) आवासीय पता
- (iv) आबोहवा बदलना अपेक्षित है या नहीं

अवकाश गृह की तरह संक्रामक बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ गृह में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस गृह में रहने वाले कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं नजदीक की रेलवे स्वास्थ्य ईकाई पर उपलब्ध है।

## C-2. COMMUNITY HALLS:-

Presently, there are Community Halls constructed at Valsad Ratlam, Bhavnagar, Ujjain, Sabarmati and Rajkot which are utilized for performing marriages and other social activities. The Community Halls are managed by a Managing Committee in which two members of recognized trade unions i.e. one each from Western Railway Employees Union (WREU) and Western Railway Mazdoor Sangh (WRMS) are included. The sanction of grants to Community Halls is subject to having the Audited accounts of Community Hall and availability of funds, By laws of community hall is being issued separately. CSBF members are empowered to inspect community halls.

## C-3. CONVALESCENT HOME:-

As a staff amenity, a convalescent home has been opened since 01/03/1958 at Pali Hill, Bandra (Mumbai) for the benefit of convalescing Railway employees who have no means for a change of air to recoup their health. This home is situated on the ground floor of the Holiday Home building and consists of 4 suites (3 for erstwhile group 'C' + 01 for erstwhile group 'D') for non-gazetted staff. Suites in the convalescent Home are on the same pattern of Holiday Homes. The maximum period of occupation is 15 days in the normal course which may be extended up to a total period of one month only in very special cases, provided there are no other applicants on the waiting list.

Application for allotment of suites should be addressed to Dy.CPO (W) CCG and must be accompanied by a Medical certificate from Railway Doctor DMO/ADMO indicating the following:

- i. Nature of sickness
- ii. Period for which required
- iii. Residential address
- iv. Whether required for change of air

Just as in the case of Holiday Home, staff suffering from contagious infectious diseases, will not be allowed to occupy the convalescent home.

Medical facilities for the staff occupying this home are available at the nearby Railway Health unit.

सी-4) कर्मचारी शिविर :-

प्रत्येक वर्ष कर्मचारी शिविर आयोजित किया जाता है। प्रधान कार्यालय मंडलों और कारखानों से कोटा निर्धारित किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए शिविर में रहने वालों को अपनी छुट्टी और पास /पी.टी.ओ. लेना पड़ता है। इस प्रयोजन के लिए शिविर शुल्क के रूप में नाम मात्र की राशि ली जाती है। शेष राशि की आर्थिक सहायता कर्मचारी हित निधि के खेल-कूद के अतिरिक्त मनोरंजन, शीर्ष से दी जाती है। आवेदन करते समय कर्मचारियों को निर्धारित फार्म में स्वास्थ्य संबंधी घोषणपत्र संलग्न करना आवश्यक है कि वह शिविर में शामिल होने एवं स्वतंत्र रूप से सभी कार्यविधियाँ करने में सक्षम हैं। मुख्यालय, मंडलो एवं कारखानो का कोटा निम्नानुसार है।

क्रम सं. Sr. No.	मंडल / क.हि.नि.ईकाई Division/SBF Units	आवेदन किसे अग्रसित करना है Application to be sent to	आंबंटित कोटा की सं. No. of Quota allotted
1)	मुख्यालय-वरि.लेखा प्रबंधक, डीके.झेड, उपमु.लेखा अधिकारी (टीए)-अजमेर, मु.ई.(एस एण्ड सी), स्वतंत्र भंडार सहित	उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (कल्याण)-मुख्यालय	07
2)	मुम्बई मंडल	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी- मुम्बई	11
3)	वडोदरा मंडल / रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी -वडोदरा	07
4)	अमदावाद मंडल	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी -अमदावाद	08
5)	रतलाम मंडल	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी -रतलाम	08
6)	राजकोट मंडल	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी -राजकोट	03
7)	भावनगर मंडल	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी - भावनगर	03
8)	प्रतापनगर कारखाना	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी -BRC	02
9)	साबरमती कारखाना	CWM(EW)- साबरमती	02
10)	परेल, महालक्ष्मी कारखाना व प्रिन्टींग प्रेस	CWM- परेल	03
11)	दाहोद कारखाना	CWM-दाहोद	02
12)	भावनगर कारखाना	सहायक कार्मिक अधिकारी (कारखाना)- भावनगर	02
13)	जगजीवनराम होस्पिटल मुम्बई	वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी - मुम्बई	02
		<b>कुल</b>	<b>60</b>

टिप्पणी : आंबंटित कोटा के समान प्रतिक्षासूचि रखी जा सकती है। वे किसी भी ईकाई / मंडल के कमी को उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (कल्याण)-मुख्यालय व केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि सदस्य की अनुमति से शामिल किये जा सकते है बशर्ते कुल कोटा से अधिक न हो। अंतिम समय शामिल करने का नियंत्रण कर्मचारीहितनिधि अनुभाग-मुख्यालय करेगा एवं अंतिम शामिल की सूचि कोच निरीक्षक को देंगे जीसे अंतिम मानी जायेगी।

(i) शिविर का प्रबंधन:-

- 1) शिविर के प्रबंधन के लिए शिविर अधिकारी के रूप में नामन की तिथी को उस अधिकारी की सेवा निवृत्ती के लिए यथा संभव न्यूनतम सेवा शेष होनी चाहिए। अध्यक्ष केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि द्वारा शिविर अधिकारी नामित किया जायेगा जो कार्मिक अधिकारी होगा।
- 2) प्रत्येक शिविर के लिए मुख्य चिकित्सा निदेशक एक चिकित्सा अधिकारी, एक नर्सिंग सिस्टर को नामित करेंगे और उनके नाम शिविर प्रारंभ होने से पहले अग्रिम में सूचित करेंगे।
- 3) समिति, शिविर पर निगरानी रखने के लिए और अग्रिम पार्टी प्रधानतः प्रका से निरीक्षक सहित प.रे. ए.यू. और प.रे.म.सं. से केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि सदस्य का नामांकन करेगी।कोच एवं शिविरार्थी के साथ एक निरीक्षक चक्रानुक्रम में मंडल /कारखाना से होगा।
- 4) शिविर प्रबंधन समिति में शिविर अधिकारी,डॉक्टर, नर्सिंग सिस्टर, केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि सदस्य और निरीक्षक तथा एक पूर्व के वर्ग ख घ कर्मचारी प्रधानतः प्रका से शिविर में रहने वालों के साथ होंगे।

## C-4 STAFF CAMP:-

Every year a Staff Camp is organized. Campers have to take their own leave and Pass/PTO for this purpose. A very nominal amount as camp fee is charged for this purpose, the balance being subsidized from the "Recreation other than sports" head of Staff Benefit Fund. An employee has to enclose self Health Declaration for Attending Camp & to perform all the activities independently in prescribed form at the time of application. Quota fixed for Headquarter, Divisions and Workshops are as under:

Sr.No.	Division/SBF Units	Application to be sent to	No. Of Quota allotted
1)	HQ CCG including the staff of Sr.AFA, DKZ, Dy.CAO(TA)-All, CE(S&C), All independent Stores	Dy.CPO(W)-CCG	07
2)	BCT Division	Sr.DPO-BCT	11
3)	BRC Division / RSC BRC	Sr.DPO-BRC	07
4)	ADI Division	Sr.DPO-ADI	08
5)	RTM Division	Sr.DPO-RTM	08
6)	RJT Division	Sr.DPO-RJT	03
7)	BVP Division	Sr.DPO-BVP	03
8)	PRTN Workshop	Sr.DPO-BRC	02
9)	SBI W/Shop	CWM(EW)-SBI	02
10)	Parel, MX workshop & Printing press	CWM-PL	03
11)	Dahod Workshop	CWM-DHD	02
12)	BVP Workshop	APO(W)-BVP	02
13)	JRH-BCT	Sr.DPO-BCT	02
Total			60

Note: Waiting list is allowed up to equal number of Quota. They can be adjusted against short fall of other units/divisions with permission of CSBF members & Dy.CPO(W)-CCG but it should not exceed than total allotted quota. Adjustment is controlled by SBF-section of HQ. SBF-CCG section will issue final list of campers & adjusted campers to coach Inspector & which will be treated as Final list.

### i) Management of the camp:-

1. For management of the camp, one Camp Officer will be nominated by the Chairman, CSBF Committee. The Camp Officer may be (Personnel Officer) having as far as possible minimum service left for retirement on the date of his nomination as Camp Officer.
2. For every camp CMD will nominate one Medical Officer, one Nursing Sister and intimate their names well in advance before commencement of camp.
3. The Committee will nominate CSBF member from WREU and WRMS for survey of camp and for advance party along with Staff & Welfare Inspector preferably from HQs. One Inspector with coach & campers will be from Division / Workshop / Units on rotation basis.
4. The Camp managing committee consisting of Camp Officer, Doctor, Nursing Sister, CSBF members, Welfare Inspector and one erstwhile group 'D' staff preferably from HQs will accompany the campers.

5) शिविर की प्रबंधन समिति के लिए नामित अधिकारी और कर्मचारी चक्रानुक्रम में आने चाहिए और एक ही कर्मचारी के नामांकन से बचना चाहिए।

## (ii) शिविर में रहने वालों का चयन

शिविर में शामिल होने वाले लोगों का चयन निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित मंडल/कारखाना कर्मचारी हित निधि उप समिति द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है:-

- 1) जो कर्मचारी अगले शिविर से पहले सेवानिवृत्त होगा उसे (किसी एक शिविर के लिए) सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
- 2) कोटा का निर्धारण इस गार्ड के सी-4 के आधार पर किया जाता है और प्रका से समय-समय जारी होनेवाली अधिसूचना में जारी किया जाता है।
- 3) शिविर में रहने वालों का चयन करते समय स्टैंड बाय सूची भी बनाई जानी चाहिए और विभिन्न कारणों से चयनित हुए शिविर में रहने वालों का अंतिम क्षण में निरस्तीकरण होने के मामले में सूची के अनुसार स्टैंड बाय सूची से कड़ाईपूर्वक बारी के अनुसार शिविर में शामिल किया जाएगा। प्रतिक्षासूचि के शिविरार्थी किसी भी ईकाई / मंडल के कमी को उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (कल्याण)-मुख्यालय व केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि सदस्य की अनुमति से शामिल किये जा सकते हैं बशर्ते कुल कोटा से अधिक न हो। अंतिम समय शामिल करने का नियंत्रण कर्मचारी हित निधि अनुभाग-मुख्यालय करेगा एवं अंतिम शामिल होनेवाले शिविरार्थी की सूचि कोच निरीक्षक को देंगे जो अन्तिम होगी।
- 4) कर्मचारी या उसका बच्चा पूरी सेवा के दौरान शिविर में केवल एक बार भाग ले सकता है

## (iii) सर्वे टीम का कार्य:-

- (1) सर्वे टीम जिसमें एक नामित अधिकारी, केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि के दोनो यूनियन के एकएक सदस्य एवं सचिव केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि द्वारा नामित कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (पूर्व में कल्याण निरीक्षक/कार्मिक निरीक्षक एवं अन्य ) कैम्प स्थल का आवश्यक समय पहले सर्वे करने एवं होटल, लाने-ले जाने - साईट सीईंग परिवहन, एवं अन्य प्रयोजनों के कोटेशन प्राप्त करेंगे।
- (2) एक अग्रिम टीम जिसमें केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि के दोनो यूनियन के एकएक सदस्य एवं सचिव केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि द्वारा नामित निरीक्षक जहाँ तक हो सके तो जो सर्वे में गये है वे आवास, भोजन, परिवहन, - एवं अन्य प्रयोजन आदि की प्रारंभिक व्यवस्था करने के लिए नियमित शिविर से आवश्यक समय पहले जाएगा।

## (iv) कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक के कार्य:-

1. महिला निरीक्षक, महिला शिविरार्थी की देखभाल करेगी। वे महिला शिविरार्थी को अकेला नहीं छोड़ेंगी। उनके ठहरने के संबंध में यथा संभव अलग व्यवस्था की जाएगी।
2. बच्चों के शिविर में प्रत्येक मंडल से एक निरीक्षक अपने मण्डल /कारखाना / कर्मचारी हितनिधि ईकाई के क्षेत्राधिकार से आनेवाले शिविरार्थीयों की देखभाल के लिए उत्तरदायी होंगे।
3. निरीक्षक शिविरार्थी /ऑन ड्यूटी स्टाफ से शिविर फीस एकत्रित करके लेखा-जोखा शिविर अधिकारी को सौंपेंगे। निरीक्षक बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगा। वे वाहन में बच्चों के साथ होंगे। रात्रि के समय कोई भी बच्चा शिविर से बाहर नहीं जा सकेगा। वे शिविरार्थी में पूर्ण अनुशासन बनाए रखेंगे और उनका पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे।
4. बच्चों का शिविर मंडल मुख्यालय स्टेशन से शुरू होगा एवं मंडल मुख्यालय स्टेशन पर पुरा होगा जबकि कर्मचारी का शिविर, अंतिम रेलवे स्टेशन जहाँ से शिविर स्थल चालू होता है एवं खत्म शिविर स्थल के प्रथम रेलवे स्टेशन पर होगा।
5. शिविर के दौरान निरीक्षक शिविरार्थी को भोजन परोसने में स्टाफ की सहायता करेंगे।
6. शिविर में शामिल निरीक्षक सीधे शिविर अधिकारी के नियंत्रणाधीन होंगे तथा को किसी भी गैर हरकत को शिबीर अधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा।



5. The Officers and staff nominated for managing committee of the camp should be on rotation basis and nomination of the same staff should be avoided.

**ii) Selection of the campers:**

The selection of campers is made on the respective divisional/workshop by SBF Sub Committees, as per the following guidelines whose decision stands final:

1. The employees, who will be retiring before the next camp, will be given top priority (for either camp).
2. The quota are decided in clause C-4 of this booklet & issued in notifications from time to time.
- 3: While selecting campers, list of stand-by should also be made of equal numbers and in case of last minute cancellation of the selected campers due to various reasons stand-by will be included in the camp strictly according to turn as per the list. Stand-by campers can be adjusted against short fall of other units/divisions with permission of CSBF members & Dy.CPO(W)-CCG but it should not exceed the total allotted quota of Camp. Adjustment is controlled by SBF-section of HQ. SBF-CCG section will issue final list of campers & adjusted campers to coach Inspectors & it is final.
4. An employee or his / her child can participate in the camp only once in the entire service.

**iii) Functioning of Survey Team :-**

- (a) Survey Team consisting of one nominated officer, two members of CSBF from each unions & one S&WLI (erstwhile, WLI, PI & IHER) CWLI /PI nominated by Secy CSBF will proceed to decide camp point / location well in advance to survey & collect quotations of hotel, transportation of pick up-drop -sight seeing & other purposes.
- (b) One advance team consisting of one member of CSBF from each unions & S&WLI nominated by Secy CSBF preferably who was involved during survey will proceed in advance of the regular camp for making preliminary arrangements for lodging, boarding, transportation, sight seeing, any other requirements, etc.

**iv) Functioning of Staff & Welfare Inspector:-**

1. The lady S & WLI will look after the female campers. They should not leave the female campers alone. Regarding accommodation, separate arrangements as far as possible for female campers will be made by them.
2. In children camp, the S & WLI from each Division will be responsible for looking after the campers of his respective division / Workshop / SBF units of jurisdiction.
3. S & WLI will submit the accounts to the Camp Officer of the amount collected from the campers/ staff on duty as camp fees. The Inspector will not leave children alone. They should be with the children in the transport. During night time, no children should be allowed to leave the camp. They will maintain absolute discipline among the campers and should take care of their well being.
4. Children camp starts from their Divisional Head quarter station & closed at Divisional Head quarter station where as staff camps will start from drop of last station of railway of camp site & closed at restart of journey from first railway station.
5. S & WLI will assist the staff in serving food to the campers during the camp period.
6. S & WLI accompanying the camp will be under direct control of camp officer. Any misconduct on part of S & WLI will be seriously viewed by camp officer.

(v) शिविर में सी.एस.बी.एफ. कमेटी के सदस्यों की भूमिका:-

चूंकि केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि सदस्य शिविर प्रबंधन के ही अंग होते हैं अतः उन्हें शिविर के प्रबंधन व्यवस्था एवं लेखा से पूरी तरह संबद्ध होना चाहिए। शिविर अधिकारी को शिविर प्रेक्षक के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाना चाहिए। केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि सदस्य यह सुनिश्चित करें कि शिविरार्थी इस कैंप से हर संभव संतुष्ट होकर जाए। वे अपने महत्वपूर्ण सुझाव अध्यक्ष, केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि समिति को लिखित में भेज सकते हैं।

(VI) शिविर में पूर्व के वर्ग 'घ' कर्मचारी की भूमिका:-

शिविर में शामिल पूर्व के वर्ग 'घ' कर्मचारी सीधी तौर पर शिविर अधिकारी के नियंत्रणाधीन होंगे। पूर्व के वर्ग 'घ' कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी दुराचरण की सूचना मिलने पर शिविर अधिकारी इसकी गंभीरता से समीक्षा करेंगे।

(vii) शिविर में अनुशासन और शिष्टता का पालन:-

ऑन ड्यूटी अधिकारी/कर्मचारी एवं सी. एस. बी. एफ. के सदस्य के परिवार के किसी भी सदस्य को शिविर शामिल होने की अनुमति नहीं है। शिविर की पूरी अवधि में ऑन ड्यूटी स्टाफ को पूर्ण रूप से अनुशासन एवं शिष्टता का पालन करना होगा। ऑन ड्यूटी स्टाफ द्वारा सेवा आचरण, नियमों के विरुद्ध की गई कोई भी भूल या गलती के लिए उनके विरुद्ध प्रचलित नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सी-5) बच्चों के लिए शिविर:-

प्रत्येक वर्ष लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शिविर का आयोजन किया जाता है। बच्चों की संख्या [केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि समिति द्वारा निर्धारित कोटा के अनुसार] किसी भी स्थान पर केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि समिति द्वारा निर्धारित की जाती है इसके लिए शिविर शुल्क के रूप में नाम मात्र की धनराशी प्रभारित की जाती है, शेष राशी कर्मचारी हित निधि के मनोरंजन - खेल शीर्ष के अलावा के मद से सहायता- स्वरूप में ली जाती है। इसका व्यापक स्तर पर प्रचार- प्रसार किया जाता है। बच्चों का चयन जन्म तिथि के आधार पर किया जाता है। लड़के तथा लड़कियों की अलग व्यवस्था की जाती है।

(I) बच्चों को शिविर में भाग लेने हेतु पात्रताएँ :-

(क) रेल कर्मचारियों के बच्चे [पुत्र या पुत्रियाँ]

(ख) आयु-12 वर्ष से 16 वर्ष के बीच या केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि समिति द्वारा निर्धारित आयु।

(ग) प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक बच्चा ही इस शिविर में शामिल होने के लिए पात्र होगा। पूर्व में इस शिविर में हिस्सा ले चुके बच्चों को फिर से इस शिविर में शामिल होने की अनुमति नहीं है।

(घ) शिविर के आरंभ होने से पहले चुने गए शिविरार्थी को अपने-अपने स्कूल प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित फोटो प्रस्तुत करना होगा।

(II) स्वास्थ्य संबंधी हिदायत:-

शिविर हेतु चुने गए लड़के और लड़कियों को आवेदन करते समय कर्मचारियों को नियमानुसार शिविर में शामिल होने को स्वास्थ्य संबंधी तथा शिविर से जुड़ी सभी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने में समर्थ है का स्वयं का एवं बच्चे का निर्धारित घोषणा पत्र संलग्न करना जरूरी है। बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों को बच्चों की शिविर यात्रा शुरू होने से पहले शिविर इंचार्ज के पास ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शिविर के लिए चिकित्सक का प्रमाणपत्र जरूरी नहीं है।

v) **Role of CSBF Committee Members in the Camp:-**

Since CSBF members are the part of the Camp Management Committee therefore they should be fully associated with the management, arrangement, accounts etc. of the camp. The Camp Officer should give due recognition to their role as 'Observers of the Camp'. CSBF members should ensure that campers are well satisfied to the best possible extent. They may send their valuable suggestion in writing to the Chairman, CSBF Committee.

vi) **Duty of erstwhile group 'D' staff in the Camp:-**

The erstwhile Group 'D' staff accompanying the camp will be under the direct control of the Camp Officer. He will do all the work assigned by camp officers/CSBF members/Coach & Camp Inspectors. Any misconduct on the part of erstwhile Group 'D' staff reported will be viewed seriously by the camp Officer.

vii) **Discipline and decorum to be maintained in the Camp:-**

No family members of the officers /staff on duty and CSBF members are allowed to accompany the camp.

Staff deputed on duty is required to maintain absolute discipline and decorum in the entire duration of the camp. Any act of omission or commission by the staff on duty against service conduct rules will render them liable for Disciplinary action under the extant rules.

**C-5. CHILDREN CAMP:-**

Every year Children Camp is also organized separately for Boys and Girls. Number of children (as per quota decided by CSBF Committee) is taken at any place decided by the Central SBF Committee. A very nominal amount as camp fee is charged for this purpose, the balance being subsidized from the Recreation other than sports head of Staff Benefit Fund. Wide publicity is given. Selection of children is decided as per date of birth separate arrangement for girls and boys are made at every stage.

i) **WHO CAN ATTEND THE CHILDREN'S CAMP:**

- a) Wards (Sons and Daughters) of Railway Employees.
- b) Age between 12 to 16 years or as decided by CSBF Members.
- c) Only one child of each employee will be entitled to attend this camp. Any child having attended the children's camp previously is not allowed to join any further camp again.
- d) Selected campers will have to produce their photographs duly attested by their school authorities before the commencement of the camp.
- e) SBF section of CCG will prepare final list of children after consultation of each SBF units for concession at various purposes duly stamped & signed by Dy.CPO(W)-CCG.

ii) **HEALTH PRECAUTIONS:-**

All the campers including Boys and girls selected for the camp shall have to fill up self health certificates to be attached with application form. A self health certificate will be submitted by Self or & parent/Guardian (in case of children camp) to the Camp In charge before their wards undertake journey for the camp. No medical certificate is required for campers in any camp. Self health certificate format is given with Form No. 8 in this guide.

## (VII) पास एवं अन्य मुद्दे :-

बच्चों के शिविर के लिए सभी लड़के और लड़कियों को विशेष पास जारी किये जाते हैं जो उनके माता पिता के पास खाते से डेबिट नहीं किए जायेंगे। लड़कियों की देखभाल के लिए विशेषतौर पर महिला कर्मचारी द्वारा अलग से व्यवस्था की जाती है। शिविर में अपने बच्चों को भेजने के इच्छुक कर्मचारी अधिसूचित तारीख से पहले निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य शिविर शुल्क के साथ अपने आवेदन भेजें।

मंडल/कारखाना के कार्मिक अधिकारी अपने ईकाई के चुने हुए बच्चों की सूची के अनुसार उनके आवेदन अधिसूचित तारीख से पहले प्रारूप के अनुसार विवरण देते हुए शिविर शुल्क के साथ उप मुकाधि (कल्याण)-चर्चगेट के पास भेजेंगे ताकि किसी यूनिट द्वारा अप्रयुक्त कोटा को उन यूनिटों को आबंटित किया जा सके जाहं से कोटा से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं।

पर्यवेक्षक कर्मचारी और कार्मिक निरीक्षक /कर्मचारी हितनिधि स्टाफ का यह कर्तव्य है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अधीन कर्मचारियों का ध्यान इस सुविधा की ओर आकर्षित करें ताकि बड़ी संख्या में कर्मचारियों के बच्चों प्रधान कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना पर नियत स्थल के भ्रमण का लाभ उठा सके। कल्याण / निपटारा /कार्मिक निरीक्षकों की मदद से प्रत्येक स्टेशन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र एवं कार्यालयों में पोस्टरों के जरिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जाए।

## (IV) चयन का तरीका :-

मंडल/कारखाना के समस्त अराजपत्रित कर्मचारी जो शिविर में शामिल होने के इच्छुक हैं वे स्वयं एवं अपने बच्चों के लिए निर्धारित फार्म में अपने आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद संबंधित राजपत्रित अधिकारी अपनी ईकाईयों से कर्मचारियों के नाम का चयन करना है और उनका पूर्ण विवरण जैसे:- नाम, पदनाम, वेतन दर आदि को दर्शाते हुए इसे अप्रेषित करता है, प्रत्येक यूनिट से कर्मचारी का चयन संख्या के आधार पर किया जाता है। अंतिम चयन दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय /कर्मचारी हितनिधि समिति द्वारा किया जाएगा और चुने हुए कर्मचारियों को शिविर हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, जो चुने गए शिविरार्थी द्वारा शिविर में शामिल न होने की स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा।

मंडल /कारखाना / ईकाई के पात्र उम्मीदवारों की सूची अनिवार्य रूप से अग्रिम तौर पर शिविर शुल्क के साथ प्रधान कार्यालय को भेजें।

## (सी-6) रेलवे स्कूलों में मनोरंजन की सुविधाएं :-

1. प्रत्येक वर्ष समस्त रेलवे स्कूलों में अच्छे बाहरी खेल संबंधी गतिविधियां जैसे:- हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक आदि को बढ़ावा देने की दृष्टि से कर्मचारी हित निधि से पर्याप्त धनराशी मंजूर की जाती है। यह राशी रेलवे बोर्ड से अलग से प्राप्त होती है।
2. फुटबॉल और हॉकी जैसे:- खेलों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाता है और अन्तर रेलवे स्कूल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।
3. इसी प्रकार अच्छे एथलीटों को अंतरी रेलवे एथलेटिक मीट में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

## (डी) सांस्कृतिक गतिविधियाँ:-

रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारजनों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी हितनिधि समिति प्रतिवर्ष पश्चिम रेलवे ललित कला एवं सांस्कृतिक संगठन और मंडल / ईकाई /कारखाना को आर्थिक सहायता दे रही है। इसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है।

1. सांस्कृतिक गतिविधियाँ पश्चिम रेलवे ललित कला एवं सांस्कृतिक संगठन नामक एक निकाय द्वारा प्रोत्साहित की जाती है।
2. इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष कर्मचारी हित निधि से पर्याप्त अनुदान आबंटित किया जाता है।

**iii) PASSESS AND OTHER ISSUES :-**

Special passes (which will not be debited from the Pass account of their parents) are issued in favour of all boys and girls for children camp and arrangement made to escort and look after the girls separately, preferably by ladies staff.

Employees desirous of sending their children to attend the camp should send their applications together with requisite camp fees in the prescribed proforma before the notified date.

Personnel Officers for Divisions, Workshop may submit applications to Dy.CPO (W) CCG giving a list of selected children from their Units giving details as per proforma by the notified date together with camp fees, so that any quota not utilized by any unit is allotted to the units that have received applications in excess of their quota.

It is the duty of Supervisory staff and Inspectors / SBF dealing staff to bring this facility to the notice of the staff under their jurisdiction so that a large number of employee's children may avail of the benefit of children camp. Possibility may be explored to wide publicity through posters at each station, Hospitals, health units & offices with help of S&WLI.

**iv) MODE OF SELECTION :-**

All Non-Gazetted staff of Division/Workshop who desire to take advantage of the opportunity of Camp for themselves and their ward may submit their applications in prescribed form on or before specified date mentioned in the notification. Then Gazetted Officer concerned select the names of staff from their Units and forward the same giving details such as name designation, rate of pay etc. Selection of staff from each unit is made on the basis of Quota allotted by CSBF committee. The final selection will be done by Local SBF Committee as per the guidelines, and selected ones has to deposit the due Camp Fees which will be non refundable if the selected Campers do not attend the Camp.

The divisions/Workshop/Unit should submit the list of eligible candidates to the Head Quarter along with the camp fees without fail in advance.

**C-6) RECREATIONAL FACILITIES IN RAILWAY SCHOOLS :-**

1. Every year, a substantial amount is received from Railway Board separately, is sanctioned from the Staff Benefit Fund to promote healthy outdoor sports activities like hockey, football, athletics etc in all the railway schools.
2. Games like football and hockey are encouraged a great deal and Inter Railway Schools tournament are organized.
3. Similarly good athletes are encouraged to participate in the Inter Railway Athletic Meets.

**D) CULTURAL ACTIVITIES :-**

To promote cultural activities amongst the railway employees and their families, SBF is giving aid to Western Railway Fine Arts & Cultural Association and divisions/units /workshops, every year. The details are as follows :

1. The cultural activities are encouraged by a body known as "Western Railway Fine Arts and Cultural Association".
2. A substantial grant from the Staff Benefit Fund is allotted every year to promote these activities.

3. नाटक, गायन, आर्कस्ट्रा, संगीत, नृत्य आदि पूरे रेलवे पर मंचित किया जाता है।
4. यह समस्त रेलकर्मियों और उनके परिवारजनों के लिए है, जो भी इसमें भाग लेने के इच्छुक हैं।
5. विविध कलाओं में अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर और प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
6. अंतर मंडलीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्रति वर्ष कर्मचारी हित निधि से पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाती है और इसकी आडिटेड रिपोर्ट केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि समिति को प्रेषित की जाती है।

**(ई) विपत्ति, बीमारी आदि में सहायता :-**

**ई -1. वित्तीय सहायता**

रेल कर्मियों एवं उनके बीमार आश्रित सदस्य को पास नियम के अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जीवन में एक बार वित्तीय सहायता दी जाती है। निर्धारित राशी इस प्रकार है:-

(i) कैंसर, किडनी और एड्स / एच.आई.व्ही. रु. 30.000/- दिनांक 01-04-2012 से लागू

(ii) बाइपास सर्जरी रु. 10.000/-

- नोट :**
1. दि.17/18/-06-2011 को आयोजित केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि समिति की बैठक में गंभीर बीमारी के शीर्ष के अंतर्गत एंजियोप्लास्टी को शामिल न करने का निर्णय लिया है।
  - (iii) कैंसर, किडनी, एड्स और बाइपास सर्जरी के अलावा अन्य निम्न बीमारी में केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि समिति की दि.15/16/-09-2011 को आयोजित की बैठक में गंभीर बीमारी के शीर्ष के अंतर्गत (चिकित्सा अधिकारी के सुझाव अनुसार) वित्तीय सहायता भी दी जायेगी।
    - कोई भी मरीज आईसीयू / आईसीसीयू में कम से कम 14 दिन या कोई भी मरीज जो इंट्रोपीक सपोर्ट पर कम से कम 07 दिन या कोई भी मरीज वेन्टिलेटर सपोर्ट पर कम से कम 01 दिन
    - कोई भी मरीज कम से कम 30 दिन कोमा में या सीरेब्रो वेस्कूलर एक्सीडेंट (सीवीए) लकवा के साथ एवं बिना सहायता के खड़े न रह सके या चल सके (पूर्णतया आश्रित)।
    - अन्य प्रकरण जो उपरोक्त में शामिल न हो ऐसी कोटी जिसपर मिटिंग में चर्चा करके निर्णय लिया गया हो।

**ई -2. बीमार कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता :-**

केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वे समस्त अराजपत्रित कर्मचारी जो रेल डॉक्टर अथवा किसी सिफारिशी अस्पताल में चिकित्सा करा रहे हैं और कम से कम 30 दिनों से बिना वेतन छुट्टी पर हों, वे बिना किसी समय-सीमा सभी रोगों के लिए रु. 8000/- प्रतिमाह की समान दर से निर्वाह भत्ता के हकदार होंगे बशर्ते कि उसके छुट्टी रिकार्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी छुट्टी शेष न हो।

**नोट :-** धनराशि राहत आपदा एवं बीमारी शीर्ष के अधीन निर्वाह भत्ता अनुदान से स्थानीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा मंजूर की जायेगी। समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए निर्वाह भत्ते से संबंधित अलग रजिस्टर अनुलग्नक-1 में दिए प्रारूप के अनुसार बनाये जायेंगे।

**नोट :-** उपरोक्त नीति दिनांक 01-04-2012 से लागू हैं।

3. Dramas, Vocal, Orchestra, Music, dance etc. are staged all over the railway.
4. This is open to all railway employees and their family members who wish to participate.
5. Ample of opportunities and encouragement are afforded to them to display their talents in various arts. Musical instruments have been purchased from Staff Benefit Fund.
6. A substantial grant from the Staff Benefit Fund is allotted every year to conduct inter divisional cultural competition & audited report to be submitted to CSBF.

**E) RELIEF OF DISTRESS, SICKNESS Etc. :-**

**E-1) FINANCIAL ASSISTANCE :-**

Financial assistance to the Railway employees and their ailing dependant family members as per Pass Rule is given once in a life time on submission of documental proof. The amount decided is as under:-

- i) **For Cancer, Kidney and AIDS - Rs. 30, 000/- w.e.f. 01-04-2012**
- ii) **For By-pass Surgery (CABG) - Rs. 10,000/-.**

- Note:**
1. CSBF Committee has decided in the CSBF Committee meeting held on 17/18.06.2010 not to consider the Angioplasty cases under the serious sickness head.
  2. Financial assistance for Second time is admissible in By-Pass (CABG) only (Ref: CSBF meeting dated 05-06.12.2011).
  - iii) Other than Kidney, Cancer, AIDS or Bypass - financial assistance for other serious sicknesses will also be given as norms decided by CSBF Committee meeting held on 15/16.09.2011 (i.e. as per guidelines of medical authorities) under the serious sickness head as described below:
    - Any patient admitted in the ICU / ICCU for at least 14 days or any patient who is on Inotropic support for at least 07 days or any patient who is on ventilator support for at least 01 day.
    - Any patient in coma for at least 30 days and any patient with Cerebra Vascular Accident (CVA) with residual paralysis and unable to stand or walk even with support (i.e. completely dependent).
    - All other cases which do not fall in the above categories will be discussed and decided in the meeting. (Ref: E/SBF/1075/109(Policy) dated 27.09.2011)

**E-2) MAINTENANCE ALLOWANCE TO SICK EMPLOYEES :-**

It is decided by CSBF Committee that, all Non-Gazetted employees, who are under treatment either under Railway doctor or under treatment of referral hospitals, for a minimum of 30 days leave without pay will be entitled for Maintenance Allowance at the rate of Rs. 8000/-p.m. provided there is no leave balance of any kind in the leave record which is given without any time limit for all the diseases.

**Note:** Amount will be sanctioned by local SBF committee from grant allotment of Maintenance allowance under relief, of distress & sickness head. Separate registers of maintenance allowance for all Non-gazetted staff to be maintained as per proforma in Annexure-I.

**Note :** Above policy is applicable with effect from 01-04-2012.

### ई -3. कृत्रिमदंतावली के लिए वित्तीय सहायता :-

केवल सेवारत कर्मचारियों के लिए कृत्रिमदंतावली के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार है ।

पूर्ण कृत्रिमदंतावली -रु. 10000/-

आधा / अंश कृत्रिमदंतावली - रु. 5000/-

**नोट-** यह धनराशि राहत विपत्ती एवं बिमारी शीर्ष के अधीन भरण पोषण भत्ता के लिए मंजूर आंवटन से स्थानीय क.ही.नी.द्वारा स्वीकृत किया जायेगा । समूह ग और घ कर्मचारियों हेतु कृत्रिमदंतावली के लिए अलग रजिस्टर बनाया जाए ।

### ई -4 अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए रेलवे अस्पतालों को अनुदान:-

पश्चिम रेलवे के अस्पतालों में मृत्यु होने की स्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारी और आर ई एल एच-97 के अंतर्गत शामिल उनके परिवार के सदस्य साथ ही इतर रेलवे के कर्मचारी और उनके पारिवारिक सदस्य चाहे वे सेवा में हों या सेवानिवृत्त इनके सहित समस्त अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी एवं पास नियमों के अनुसार उनके परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार अनुदान स्वीकार्य होगा। वर्तमान में इसकी राशी का निर्धारण इस प्रकार किया गया है:-

(i) जगजीवनराम अस्पताल-मुम्बई में मृत्यु [गैर-उपनगरीय] - रु. 8000/-

(ii) जगजीवनराम अस्पताल-मुम्बई में मृत्यु [उपनगरीय] - रु. 5000/-

(iii) अन्यमंडल /उप मंडल अस्पतालों में मृत्यु - रु. 3000/-

### अंतिम संस्कार की व्यवस्था संबंधी मुख्य निर्णय :-

01. अंतिम संस्कार की व्यवस्था उन मरीजों (रेलवे लाभार्थी) को भी देय होगी जिनको अस्पताल में मृत लाया गया हो ।
02. अंतिम संस्कार की व्यवस्था उन मरीजों (रेलवे लाभार्थी) को भी देय होगी जिनको रेफरल अस्पताल या नोन-रेकेग्नाईज्ड अस्पताल में हेल्थ युनिट / अस्पताल के रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा भेजा गया हो एवं मृत्यु हो गई हो ।
03. रेफरल अस्पताल या नोन-रेकेग्नाईज्ड अस्पताल में मृत्यु के प्रकरण में एक माह में दावा प्रस्तुत करना होगा अन्यथा एक माह के बाद का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
04. जगजीवनराम /मंडल /उप-मंडल अस्पतालों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था के सभी दावों को पोस्ट फेक्टो स्वीकृति से अनुदान देने का निर्णय लिया गया है ।

(संदर्भ : ई./एसबीएफ/1075/87 भाग.I (निती) दिनांक 13.05.2011)

### एफ) महिला सशक्तिकरण:-

पश्चिम रेलवे द्वारा विविध कार्यक्रम जैसे:- महिला शिविर, तनाव प्रबंधन, योग शिविर, जीने की कला(आर्ट ऑफ लिविंग), महिला सेमीनार, महिला लक्ष्मी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, सेवारत महिलाओं को चिकित्सा सुविधा, प्रोढ महिला शिक्षा कार्यक्रम, महिला शिक्षा कार्यक्रम, कानूनी जानकारी शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा रेल कर्मचारियों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

### जी) विविध:-

1. रेलवे अस्पतालों में कर्मचारी हित निधि से मरीजों को सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से समाचार पत्र, टी.वी. आदि की व्यवस्था की गई है।
2. रेलवे कैंटीनों चाहे वैधानिक हो या गैर वैधानिक में कर्मचारी हित निधि की तरफ से सुख-सुविधाएँ की व्यवस्था की गई है।
3. इस शीर्ष से केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि और स्थानीय कर्मचारी हित निधि बैठक के लिए होने वाली व्यय के लिए निधि आबंटित है।
4. अन्य व्यय जो अन्य शीर्षों के तहत नहीं आने वाली है, उसके लिए भी इस निधि का उपयोग किया जाता है।
5. रेलवे स्कूलों में छात्रों को खेल कूद गतिविधियों के लिए सहायता



### E-3) FINANCIAL ASSISTANCE FOR DENTURE :-

Financial assistance for denture to serving employee only is as under:

Full Denture	- Rs. 10,000/-
Half /Partial Denture	- Rs. 05,000/-

Note: Amount will be sanctioned by local SBF committee from grant allotment of Maintenance allowance under relief, distress & sickness head. Denture assistance Registers for erstwhile group 'C' & 'D' staff to be maintained separately.

### E-4) GRANT TO RAILWAY HOSPITALS FOR ARRANGING FUNERAL RITES :-

Funeral rites grant will be admissible to all Non-Gazetted Railway Employees and their family members as per pass rules, including retired employees and their family members covered under RELHS-97 the above benefit will be applicable to foreign Railway employees and family members whether in service or retired in case of death in Western Railway hospitals and the amount presently decided is as under:

i) For death in JRH Hospital BCT (Non-suburban)	Rs. 8000/-
ii) For death in JRH Hospital BCT (Suburban)	Rs. 5000/-
iii) For death in other Divisional/Sub Divisional Hospitals	Rs. 3000/-

### IMPORTANT DECISIONS ON FUNERAL RITES:-

1. Funeral Rites may also be extended in cases when the patient (Rly. Beneficiaries) is brought DEAD in hospitals.
2. Funeral Rites may also extended to death cases which are referred by the Railway Medical Authority including doctors posted in Health Units to the recognised as well as non recognized hospitals.
3. Funeral Rites may also be extended to DEATH in referral hospitals, if applied within a month from the date of death of beneficiaries. Any claim thereafter will not be entertained.
4. It is decided to grant Post facto sanction for all the cases of funeral rites of JRH/Division/Sub-divisional hospitals. (Ref: No. E./SBF/1075/87 Vol.I (Policy) dated 13.05.2011)

### F) WOMEN EMPOWERMENT :-

The Western Railway organized various programmes such as Women camp, Stress Management, Yoga camps, Art of living, Meditation, Women seminar, women oriented cultural activities, Medical Camps, Medical Aids to serving women, Women Adult Education programme, Women literacy programme, legal awareness camp, etc. for higher education for girls of railway employees.

### G) MISCELLANEOUS:-

1. Amenities to patients in Railway Hospitals such as Newspapers, TV etc are provided from the S.B Fund in the Railway Hospitals.
2. Amenities to railway canteens whether statutory or non-statutory are provided from the S.B Fund.
3. Also from this head, fund is allotted to incur the expenses of CSBF and Local SBF Meetings.
4. This fund is also utilized for any other expenses which are not covered under other heads.
5. Assistance to Railway schools for sports activities of students.

## एच) खेल-कूद संबंधी गतिविधियाँ:-

विविध क्षेत्रिय रेलवे/उत्पादन इकाइयों आदि में खेल-कूद गतिविधियों में प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित प्रति व्यक्ति अंशदान रु.20/- के आधार पर निधि का आबंटन किया जाता है। खेल-कूद गतिविधियों के लिए संबंधित शीर्ष निकाय अर्थात् रेलवे खेल-कूद बोर्ड के परामर्श से रेल मंत्रालय द्वारा दिए जानेवाला अंशदान जारी रहेगा। खेल-कूद गतिविधियों जैसे:- इन्डोर तथा आउटडोर खेलों के लिए प्रत्येक वर्ष रेलवे बोर्ड से कर्मचारी हित निधि से प्राप्त निधि के अतिरिक्त कर्मचारीहित निधि से प्राप्त निधि खेल-कूद संगठन द्वारा उपयोग किया जाता है।

## आय) स्काउट्स संबंधी गतिविधियाँ :-

नेशनल हेड क्वार्टर भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स (भारत सरकार) से संबद्ध वेस्टर्न रेलवे भरत स्काउट्स एण्ड गाईड्स एसोसिएशन द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिनका प्रसार सभी मंडलों तथा प्रमुख कारखानों में हुआ है। इस प्रयोजन हेतु अलग से अनुदान दिए जाते हैं।

विविध जोनल रेलवे/उत्पादन इकाइयों आदि में स्काउट्स गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित प्रति व्यक्ति अंशदान रु.13.50 के आधार पर निधि का आबंटन किया जाता है। स्काउट्स गतिविधियों के लिए संबंधित शीर्ष निकाय अर्थात् रेलवे स्काउट एवं गाईड नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से रेल मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला अंशदान जारी रहेगा। प्रत्येक वर्ष रेलवे बोर्ड से कर्मचारी हित निधि से प्राप्त निधि को पश्चिम रेलवे स्काउट एवं गाईड एसोसिएशन को प्रदान किया जाता है।

## जे) होम्योपैथिक सहित चिकित्सा की देशी प्रणाली :-

रेल कर्मचारियों के बीच चिकित्सा की देशी प्रणाली के प्रोत्साहित करने के लिए एस.बी.एफ. द्वारा विविध मंडलों पर होम्योपैथिक/ आयुर्वेदिक दवाखाना चलाया जाता है।

(संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दि.26-05-87 का पत्र सं.ई (डब्ल्यू) 87/ई 1/5)

## जे-1) होम्योपैथिक दवाखाने की सूची :-

पश्चिम रेलवे पर निम्नलिखित स्थानों पर होम्योपैथिक दवाखाने खोले गए हैं:-

मंडल/यूनिट	स्थान
प्रधान कार्यालय	चर्चगेट
मुम्बई सेंट्रल	जगजीवनराम अस्पताल
मुम्बई सेंट्रल	हेल्थ यूनिट-सूरत
मुम्बई सेंट्रल	हेल्थ यूनिट-लोअर परेल कारखाना(प्रस्तावित)
बडोदरा	रेलवे अस्पताल-प्रतापनगर
अहमदाबाद	हेल्थ युनिट कालुपुर - अहमदाबाद
रतलाम	मंडल रेलवे अस्पताल
राजकोट	मंडल रेलवे अस्पताल
भावनगर	मंडल रेलवे अस्पताल
दाहोद	मंडल रेलवे अस्पताल

## जे-2) आयुर्वेदिक दवाखाने की सूची :-

पश्चिम रेलवे पर निम्नलिखित स्थानों पर आयुर्वेदिक दवाखाने खोले गए हैं:-

रतलाम	मंडल रेलवे अस्पताल
दाहोद	मंडल रेलवे अस्पताल
राजकोट	मंडल रेलवे अस्पताल
अहमदाबाद	हेल्थ युनिट -कालुपुर, अहमदाबाद
अहमदाबाद	उप-मंडल रेलवे अस्पताल- गार्धीधाम
बडोदरा/प्रतापनगर	मंडल रेलवे अस्पताल
भावनगर	मंडल रेलवे अस्पताल

## H) SPORTS ACTIVITIES:-

Allotment of funds are made to various Zonal Railways/Production Units etc. for promotion of Sports activities based on the revised overall per capita contribution of Rs. 20.00. For Sports activities contribution will be continued to be made by the Railway Ministry in consultation with Apex Bodies concerned, viz. Railway Sports Board. Funds on receipt from the Railway Board, every year for sports activities, such as indoor and outdoor games which are provided from Staff Benefit Fund and utilized by the Sports Association

## I) Scouts Activities:-

The Western Railway State Bharat Scouts and Guides Associations affiliated to National Headquarters Bharat Scouts and Guides (Indian Union) is doing important activities and this movement is spreaded all over Divisions and major workshops. Separate grants are provided for this purpose.

Allotment of funds are made to various Zonal Railways/Production Units etc. for promotion of Scouts activities based on the revised overall per capita contribution of Rs.13.50/-. For Scouts Activities contribution will be continued to be made by the Railway Ministry in consultation with Apex Bodies concerned viz. Control Board Railway Scouts and Guides. The grants are distributed from Staff Benefit Fund to Western Railway Scout & Guides Association on receipt from the Railway Board, every year.

## J) INDIGENOUS SYSTEM OF MEDICINE INCLUDING HOMEOPATHY / AYURVEDIC:-

To encourage the indigenous system of medicine amongst the Railway employees the SBF runs Homeopathic/Ayurvedic dispensaries on various divisions.

(Ref: Railway Board 's letter No. E (W) 87/E1-5 dt.26.5.87)

### J-1) LIST OF HOMEOPATHIC DISPENSARIES :-

List of Homeopathic Dispensaries location wise available on Western Railway is as under :

DIVISION/UNIT	PLACE
Headquarter	Churchgate
Mumbai Divn.	JR Hospital-BCT
Mumbai Divn.	Health Unit - Surat
Mumbai Divn.	Health Unit - Lower Parel workshop
Vadodara	Railway Hospital PRTN
Ahmedabad	Health unit-KALUPUR-ADI
Ratlam	Divl. Rly.Hospital
Rajkot	Divl. Rly.Hospital
Bhavnagar	Divl. Rly.Hospital
Dohad	Divl. Rly.Hospital

### J-2) LIST OF AYURVEDIC DISPENSARIES :-

List of Ayurvedic Dispensaries location wise available on Western Railway is as under :

Ratlam	Divl. Rly.Hospital
Dohad	Rly.Hospital
Rajkot	Divl. Rly.Hospital
ADI	Health unit-KALUPUR-ADI
ADI	Sub-Div. Rly.Hospital Gandhidham
BRC/PRTN	Divl. Rly.Hospital
BVP	Divl. Rly.Hospital

जे-3) होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सक की नियुक्ति :-

जे-3.1) होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक दवाखाने से कर्मचारियों तथा उनके परिवार वालों की इलाज संबंधी जरूरतें पूरी की जाती हैं। ये दवाखाने सुबह अथवा शाम के समय कम-से-कम 4 घंटे खुले रहते हैं। इन दवाखानों में सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध है और यहाँ दवा का भंडार भी पर्याप्त है। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाखाने के अवैतनिक चिकित्सकों को रु.12600/-का मानदेय दिया जाता है तथा होम्योपैथिक /आयुर्वेदिक दवाइयाँ खरीदने के लिए क्रमशः रु.5000/-प्रतिमाह एवं रु. 8000/- प्रतिमाह औसत रूप से दिया जाता है।(संदर्भ : रेलवे बोर्ड पत्र संख्या ई (डब्ल्यू)2008/डब्ल्यू ई-1/10 दिनांक 09<sup>th</sup> August, 2010). /

एल-3.2) होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक दवाखाने के लिए एमडी सीएसबीएफ /1 भाग.III जैसे फर्नीचर वैद्यकीय उपकरण इत्यादि, दिनांक 05.01.2011द्वारा निम्न न्यूनतम जरूरते :-

क्रम सं.	मद का नाम	संख्या	टिप्पणी
1.	कार्यालय टेबल - तीन खानेवाला	01	सामान्य कार्यालय खरीद ब्योरा अनुसार
2.	डॉक्टर की कुर्सी	01	एक्सीक्यूटीव कुर्सी
3.	मरीज के लिए स्टूल	01	स्टेनलेस स्टील का धूमनेवाला
4.	आगतुक की कुर्सी	03	सामान्य कार्यालय खरीद ब्योरा अनुसार
5.	Waiting बैच	02	प्रत्येक -एक पर तीन बैठ सके
6.	लोहे का कबाट	02	सामान्य कार्यालय खरीद ब्योरा अनुसार
7.	परीक्षण टेबल / काउच	01	चिकित्सा विभाग खरीद ब्योरा अनुसार
8.	पर्दे	01	--उपरोक्त अनुसार ।
9.	स्फायगमोमनोमीटर (बीपी का साधन )	01	--उपरोक्त अनुसार ।
10.	स्टेथोस्कोप	01	--उपरोक्त अनुसार ।
11.	वजन करने का मशीन	01	--उपरोक्त अनुसार ।
12.	स्टेशनरी जैसे स्टेपलर, पीन, पेपर, वजन	आवश्यकता अनुसार	सामान्य कार्यालय खरीद ब्योरा अनुसार
13.	केस पेपर एवं रजीस्टर	आवश्यकता अनुसार	ओपरडी केस पेपर, चिकित्सा विभाग द्वारा काम में लिया जानेवाला रजीस्टर भंडार से प्राप्त किया जा सकता है .
14.	अन्य परचुरण वपराश की मद जैसे	आवश्यकता अनुसार	कार्मिक विभाग द्वारा खरीद के दिया जायेगा कागज एवं स्टेशनरी

जे-3.3) कर्मचारी हित निधि के तत्वावधान में चलाए जाने वाले दवाखानों में होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकों के तौर पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव:-

- उम्मीदवार को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम-से-कम चार वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए।
- डिप्लोमा की अवधि राज्य सरकार प्रमाणित होना चाहिए।
- उम्मीदवार को संबंधित चिकित्सा प्रणाली में चार वर्ष के डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त होने के बाद संबंधित राज्य में होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सा में पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी इस पद के लिए पात्र नहीं है।
- उम्मीदवार की आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 60 वर्ष के बाद कार्यरत व्यक्ति की अवधि समाप्त की जाएगी।

[संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दि.02.07.2003 का पत्र सं.ई डब्ल्यू/2003/डब्ल्यू ई1/3]

### J-3) ENGAGEMENT OF HOMEOPATH/AYURVEDIC DOCTOR :-

J-3.1 These Homeopathic and Ayurvedic dispensaries cater to the needs of staff and their families. These dispensaries are open during morning or evening for minimum 4 hours. The dispensaries are well equipped and well stocked with medicines. An Honorarium of Rs. 12,600/- to the honorary doctors of Homeopathic and Ayurvedic dispensaries are paid. Rs. 5000/- and Rs. 8000/- on an average p.m. are given for purchase of medicine for Homeopathic and Ayurvedic respectively.

(Ref: RB Letter No. E(W)2008/WE-I/10 dated 09th August, 2010).

J-3.2 A minimum requirement of Homeopathic and Ayurvedic dispensaries are notified vide MD CSBF/1 Vol.III i.e. furniture medical appliances & etc. dated 05.01.2011 are as under:-

Sr.No.	Name of Items	Number	Remarks
1.	Office table with three drawers	01	Specification as used in general office procurement
2.	Doctor's Chair	01	Executive Chair
3.	Patient Stools	01	Stainless steel revolving stool
4.	Visitor Chairs	03	Specification as used in general office procurement
5.	Waiting bench	02	Each able to seat three persons
6.	Metal Cupboard	02	Specification as used in general office procurement
7.	Examination couch	01	Specification to be used by medical department
8.	Screen	01	--do--
9.	Sphygmomanometer(BP apparatus)	01	--do--
10.	Stethoscope	01	--do--
11.	Weighing Machine	01	--do--
12.	Stationary like stapler, pins, paper, weight	As per need	General procurement specifications to be followed
13.	Case papers, registers	As per need	OPD case papers, registers as used by medical department can be procured from stores department.
14.	Other sundry consumables like papers, stationary	As per need	Procured by Local SBF branch / Personal department

J-3.3 Educational Qualification and Experience for appointment as Homeopathic/ Ayurvedic physicians in the dispensaries functioning under the aegis of the Staff Benefit Fund :-

- i) The candidate must have a Diploma of not less than four years.
- ii) Duration recognized by State Government.
- iii) The candidate must be a registered Homeopathy/Ayurvedic treatment in respective state with minimum five years experience after acquiring the four year Diploma/Degree course in the respective system of Medicine.
- iv) Retired Railway employees are not eligible for the post.
- v) The physician to be engaged should not be beyond 60 years of age and the existing person should cease to be on engagement after 60 years.

(Ref: Railway Board's letter No. E(W)2003/WE-1/3 dt. 02.07.2003)

जे-3.4) होम्योपैथिक तथा आयुर्वेदिक मानदेय डॉक्टर की नियुक्ति के लिए पात्रता सूचि एवं चयन / अंकतालीका का प्रपत्र :-

क्रम संख्या	पात्र आवेदक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	जन्म तारीख	अंक			कुल अंक	टिप्पणी
					शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	व्यक्तित्व एवं परीचय		
					50	25	25	100	
01									
02									

चयन के दौरान आबंटित अंक का आधार :-

1. **शैक्षणिक योग्यता** **50 अंक (कुल)**

पोस्ट ग्रेज्युएट	50 अंक
ग्रेज्युएट	40 अंक
डीप्लोमा	30 अंक
(टिप्पणी : दुसरे प्रयास में पास के प्रकरण में 10 अंक घटाये जाएंगे)	

2. **अनुभव** **25 अंक (कुल)**

15 वर्ष या अधिक	25 अंक
10 वर्ष से अधिक लेकिन 15 से कम	15 अंक
05 वर्ष से अधिक लेकिन 10 से कम	10 अंक
04 से 05 वर्ष	05 अंक
04 वर्ष या कम पात्र नहीं है	

3. **व्यक्तित्व एवं परीचय** **25 अंक (कुल)**

कहिनी-सदस्य	कहिनी-सदस्य	कहिनी-सदस्य	कहिनी-सदस्य	केकहिनी-सदस्य
डॉक्टर	मं का अ / व मं का अ	वेरेएयू	वेरेएयू	वेरेमसं

(चयन समिति प्रत्येक पात्र आवेदक को उपरोक्त प्रपत्र में अंक अध्यक्ष चयन समिति को दिनांक सहित विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना है अध्यक्ष चयन समिति का औसत अंक निकालकर मेरीट के आधार पर पेनल जारी करेगी ) .(संदर्भ : ई./एसबीएफ/48/निती दिनांक 29.09.2011

जे-3.5) नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें :-

- अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर को नियुक्ति कर्मचारी हित निधि, पश्चिम रेलवे द्वारा की जाएगी तथापि वे रेल कर्मचारी के तौर पर नहीं माना जाएगा।
- उनकी नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर होगी।
- रेलवे कर्मचारी हित निधि नियम के अनुसार दोनों की ओर से एक माह की पूर्व की सूचना पर अथवा अनुबंध की अवधि पूरी हो जाने पर सेवा समाप्त की जाएगी।
- अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर की नियुक्ति, एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जाएगी बल्कि अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद आउटपुट के आधार पर की गई समीक्षा के अध्याधीन है।
- 60 वर्ष की आयु में अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर की सेवा समाप्त की जाएगी।

**J-3.4 Format of eligibility list & selection/mark sheet for appointment of honorary Homeopathic/Ayurvedic doctors :-**

Sr.No.	Name of eligible candidates	Qualifications	Experience	Date of birth	Marks			Total marks	Remark
					Qualification	Experience	Per & Add		
					50	25	25		
01									
02									

Criteria for allotment of marks during selection:

**1. Qualification 50 Marks (Total)**

Post Graduate	50 Marks
Graduate	40 Marks
Diploma	30 Marks

(Note: Exam passed in second attempt will loose 10 marks)

**2. Experience 25 Marks(Total)**

15 years & More	25 Marks
More than 10 years but below 15 years	15 Marks
More than 05 years but below 10 years	10 Marks
04 to 05 years	05 Marks
Less than 04 years not eligible	

**3. Personality & Address 25 Marks Total**

SBF-Member SBF-Member SBF-Member SBF-Member CSBF-Member Doctor DPO/Sr.DPO

WREU WREU WRMS WRMS WREU / WRMS

(Marks will be allotted to candidates as per above Proforma by each selection committee members and later to be submitted to chairman of selection committee duly signed with date. Chairman of selection committee will work out average of marks & will notify panel on the basis of merit).

(Ref: E./SBF/48/policy dated 29.09.2011)

**J-3.5 Terms and conditions for engagement:-**

- The Hon. Homeopathic/Ayurvedic Doctor will be engaged by Staff Benefit Fund of Western Railway, hence he/she will not be considered as a Railway employee.
- His/Her engagement will be purely on temporary basis.
- His/Her service is terminable as per RSBF Rule on one month notice on either side or on completion of contract period without notice.
- The engagement of the Hon. Homeopathic/Ayurvedic Doctor will be for a term not exceeding one year at a time subject to review at the end of the term based on the output.
- The service of Hon. Homeopath/Ayurvedic will be discontinued at the age of 60 years.

- छ) अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर को कार्यालय बन्द रहने के दिनों को छोड़कर सप्ताह में सारे कार्य दिनों में चार (4) घंटे उपस्थित रहना होगा।
- ज) स्थानीय कर्मचारी हित निधि तथा मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक से परामर्श करके समय निश्चित किया जाएगा।
- झ) अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर को कार्य करने की सुविधा के लिए रेलवे अस्पताल में एक कमरा उपलब्ध कराएंगे जिसमें रेलवे द्वारा आवश्यक औजार/फर्नीचर तथा अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाएगी।
- ट) वे उनकी अभिरक्षा में दिए गए औजार/फर्नीचर तथा अन्य सामग्रियों का उचित रख-रखाव करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- ठ) अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर उनके द्वारा इलाज किए गए मरीजों के रिकार्ड रखें तथा प्रतिमाह उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (कल्याण) को और संबंधित वरि.मंकाधि/मंकाधि को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- ड) अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा उपयोग की गई दवाइयों के व्यय का विवरण तथा दवाइयों के लिए मांग पत्र समय पर प्रस्तुत करेंगे।
- ढ) अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- त) अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर को स्थानीय कर्मचारी हित निधि द्वारा निश्चित मानदेय प्रदान किया जाएगा, यह समय-समय पर होने वाले संशोधन के अध्याधीन है।
- थ) अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर एक वर्ष में पूरा मानदेय के साथ 8 दिन की छुट्टी के लिए हकदार है, जिसमें से एक समय में 4दिन से अधिक छुट्टी लेने की अनुमति नहीं होगी। कथित सीमा से अधिक अवधि की अनुपस्थिति को उनके मानदेय के साथ समानुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। उप मुख्य कार्मिक अधिकारी [कल्याण] -चर्चगेट/संबंधित वरि.मंकाधि/मंकाधि द्वारा छुट्टी की मंजूरी की जाएगी।
- द) अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर केवल होम्योपैथिक /आयुर्वेदिक दवाखाने में मरीजों का इलाज करेंगे।
- ध) अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टरों को आवासीय सुविधा नहीं दी जाएगी।
- न) अन्य रेल कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा जैसे:- पास/पी टी ओ या अन्य किराया भाड़ा नहीं दिया जाएगा।
- प) अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए छः(6) कार्यदिवस निर्धारित होंगे।  
अवैतनिक होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर मरीजों को दवाइयाँ देने के लिए दूसरे किसी व्यक्ति की सहायता नहीं लेंगे।
- [संदर्भ:- (i) रेलवे बोर्ड का दि.07.01.2009 का पत्र सं.ई डब्ल्यू/2008/डब्ल्यू ई1/10]
- (ii) रेलवे बोर्ड का दि.03.10.89 का पत्र सं.ई डब्ल्यू/ 89/डब्ल्यू ई1/15

### जे-3.6) पुर्न नियुक्ति एवं कॉन्ट्रैक्ट का रिह्यू :-

- क) नियुक्ती की गये होमिओपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर का स्थानीय कहीनी समिति के सदस्यों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने पर डॉक्टर के परफॉर्मन्स का रिह्यू होना चाहिये।
- ख) यदि होमिओपैथिक/आयुर्वेदिक डॉक्टर की सेवायें स्थानीय कहीनी समिति के सदस्यों द्वारा संतोषजनक पायी जाती है तो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित करके उनकी पुर्ननियुक्ति एक साल के लिये की जा सकती है तथा हर रिह्यू के साथ उन्हे न्यूनतम 3 दिन का ब्रेक देना आवश्यक है।
- ग) स्थानीय कहीनी समिति के सदस्यों में विवादास्पद स्थिति होने पर अध्यक्ष के अनुमोदन सहित दी गयी प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति/पुर्ननियुक्ति की नयी अधिसूचना जारी करनी होगी।



- f. Hon. Homeopath/Ayurvedic Doctor will attend the dispensary for 04 hours daily on all working days of the week except the days on which the office will remain closed.
- g. Timings will be decided in consultation with local Staff Benefit Fund & Chief Medical Director./ CMS/MS.
- h. The Hon. Homeopathic/Ayurvedic Doctor will be given working facilities in one of the rooms at Railway Hospital, for which necessary equipment / furniture and materials will be supplied by the Railway.
- i. He /she will be responsible for proper maintenance of equipments furniture and material given in his/ her custody.
- j. Hon. Homeopath/Ayurvedic Doctor will maintain a record of patients treated and submit the same to Dy. Chief Personnel Officer(Welfare), Churchgate, every month & respective Sr.DPOs/DPOs.
- k. Hon. Homeopath/Ayurvedic Doctor will submit a monthly statement of the expenditure towards the medicines used and will submit indents of requirements well in advance.
- l. Hon Homeopath/Ayurvedic Doctor will issue no certificate for any purpose whatsoever.
- m. Hon Homeopath/Ayurvedic Doctor will be paid honorarium as decided by local Staff Benefit Fund Committee subject to revision from time to time.
- n. Hon. Homeopath/Ayurvedic Doctor will be entitled for 08 days leave in a year on full payment of honorarium out of which not more than 4 days leave will be allowed to be availed at a stretch. Any period of absence above this limit will be proportionately adjusted against his/ her monthly honorarium. The leave sanctioning authority will be Dy. Chief Personnel Officer (Welfare), Churchgate/ respective Sr.DPOs/DPOs.
- o. The Hon. Homeopath/Ayurvedic Doctor will only attend the patients at Homeopathic/Ayurvedic dispensary.
- p. No Railway residential accommodation will be provided to the Hon. Homeopath.
- q. No passes/PTOs or other fringe benefits as available to other Railway employees will be allowed.
- r. Hon. Homeopathic /Ayurvedic Doctor will observe all working day pattern of Health Unit where dispensaries is situated.

The Hon. Homeopath/Ayurvedic Doctor will dispense the medicines without the help of an additional hand.

(Ref: Railway Board's letter No-E(W)2008/WE-1/10 dt 07/1/09)

(Ref: Railway Board's letter No. E(W)89/WE-1/15 dated 03.10.89)

### **J-3.6 Re-engagement & review of contract :-**

- a. Performance of engaged Homeopathic / Ayurvedic doctors should be reviewed by local SBF committee members at the end of the contract services.
- b. If services of Homeopathic / Ayurvedic doctors are found satisfactory by the local SBF committee duly approved by the chairman, then they may be re-engaged again for further terms for one year and so on by giving a break / gap of minimum 03 working days at every occasion / review.
- c. In case of contrary decision amongst the members of Local SBF committee then with the approval of Chairman a fresh notification to be issued for engaging / re-engaging of homeopathic / Ayurvedic doctors as per laid down procedures.

(Ref: E./SBF/48/policy dated 29.09.2011).

के) प्राकृतिक विपत्तियों के समय उससे पीड़ित कर्मचारियों को तुरंत राहत:-

प्राकृतिक विपत्तियों के समय उससे पीड़ित कर्मचारियों को तुरंत राहत पहुँचाने के लिए प्रति व्यक्ति रु.18/- की दर से अंशदान कर्मचारी हित निधि से आबंटन सीधा रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस आबंटन का नियंत्रण रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है।

[संदर्भ:- (i) रेलवे बोर्ड का दि.18.04.2007 का पत्र सं.ई डब्ल्यू/2007/एफ यू 1/1, दि.23.05.2011 का पत्र सं.ई डब्ल्यू/2007/एफ यू एवं, दि.26.04.2010 का पत्र सं.ई डब्ल्यू/2007/एफ यू 1/4]

एल) रेल कर्मचारियों के शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपंग बच्चों विशेषकर लड़कियों को व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण:-

रेलवे बोर्ड ने आर एस बी एफ के तहत नया शीर्ष अर्थात रेल कर्मचारियों के शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपंग बच्चों विशेषतः लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू किया है।

रेल कर्मचारियों के शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपंग बच्चों को वित्तीय सहायता निम्नानुसार दी जाती है:-

- i) जिनकी शारीरिक विकलांगता का प्रतिशत चालीस(40)या उससे अधिक (स्थायी) हैं एवं सामान्य स्कूल जा रही है। उन्हें दस्तावेजों सहित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर रुपये 20000/- का राशी एक मुश्त प्रदान की जायेगी। जिन्होंने पहले ही सुविधा का लाभ उठाया है वो इस सहायता के लिए पात्र नहीं है।
  - ii) शारीरिक एवं मानसिक विकलांग पुत्र /पुत्री जो विशेष विद्यालय जा रहे हैं या व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्हें कागजाती प्रमाण प्रस्तुत करने पर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए रुपये 2000/- प्रति माह का भुगतान किया जाता है। अर्धवार्षिकता के पश्चात पुनः तैनात किए हुए कर्मचारी या रेलविभाग में प्रतिनियुक्ति पर आये गैर रेलवे विभाग से आये हुए कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं है फिर भी कैन्टीन कर्मचारी (संविधानिक /गैरसंविधानिक) पात्र है।
  - iii) 40% या उससे अधिक (स्थायी) शारीरिक विकलांगता एवं 70% या उससे कम बुद्धिस्तर वाले मानसिक रूप से विकलांग पुत्र /पुत्री जो विशेष विद्यालय नहीं जा रहे हैं (घर पर माता पिता की देख रेख में व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए) रुपये 1000 /- प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता निम्न शर्तों पर दी जायेगी) दिनांक 01-04-2012 से लागू।
- क) 40% या उससे अधिक (स्थायी) शारीरिक विकलांगता एवं 70% या उससे कम बुद्धिस्तर वाले मानसिक रूप से विकलांगता के लिए शारीरिक /मानसिक विकलांगता प्रमाण पत्र दावा सहित।

ख) निर्धारित फार्म में दावा शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चे का जीवित प्रमाणपत्र जिस पर दो सेवारत कर्मचारियों के गवाह के रूप में हस्ताक्षर।

संदर्भ:- दिनांक 5 /6 /दिसम्बर 2011 की केंद्रीय क.हि.नि. की बैठक

[संदर्भ:- (i) रेलवे बोर्ड का दि.18.04.2007 का पत्र सं.ई डब्ल्यू/2007/डब्ल्यू ई1/1] (ii) पश्चिम रेलवे मुख्यालय पत्र संख्या ई (एसबीएफ) 1075/124 [पीएच व एमआर] 2010-11 दिनांक 21 /07/2010).

एम) अदत्त वेतन:-

मृत्यु के बाद अथवा परिवार वालों के पता न लगने से बेदावा पड़े अदत्त वेतन को 3 वर्ष समाप्त होने के बाद विसमुलेधि द्वारा कर्मचारी हित निधि में जमा किया जाएगा। यह राशी 4 वर्ष तक अध्यक्ष केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के पास रहेगी, उस के बाद कर्मचारी हित निधि प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

[संदर्भ:- (i) रेलवे बोर्ड का दि.14.03.89 का पत्र सं.ई (एल एल)84ए.टी/पी डब्ल्यू/1/4]

**K) IMMEDIATE RELIEF IN TIMES OF CRISES ARISING OUT OF NATURAL CALAMITIES:-**

Rs. 18/- per capita allotted for "Immediate relief in times of crises arising out of natural calamities" will be made from the "SBF Calamity Relief Fund" at the level of the Ministry of Railways. This allocation is controlled by Railway Board.

(Ref: Rly. Bd's letter No E (W) 2007/ FU-1/1 dated 18/04/07, No E (W) 2010/ FU-1/4 dated 23/05/2011 & No E (W) 2010/ FU-1/4 dated 26.04.2010)

**L) TRAINING FOR DEVELOPING OCCUPATIONAL SKILLS OF PHYSICALLY AND MENTALLY CHALLENGED WARDS ESPECIALLY GIRL CHILD OF RAILWAY EMPLOYEES :-**

Railway Board has introduced new Head under RSBF i.e. Training of developing occupational skills of physically/mentally challenged wards especially girls of railway employees. Financial assistance to the physically and mentally challenged wards of Railway employees is given as under:-

- i) The son/daughter who are physically disabled wards with disability 40 % or more (i.e. Permanent ) and mentally challenged IQ level is 70 or less but going to regular school will be given financial assistance as one time lump sum payment of Rs 20,000/- on submission of documental proof. However who have already availed this facility in the past are not eligible again for this financial assistance upto 12th standard
- ii) The son/daughter who are physically and mentally challenged and going to Special School or taking training for Developing Occupational Skills are given payment of Rs. 2,000/-p.m. for every academic year on submissions of documental proof. Re-employed employees after superannuation and employees of non Railway department on deputation to Railway department are not eligible for this Scheme. However, Canteen staff (Statutory/Non Statutory) are eligible.
- iii) The son/daughter who are physically disabled wards with disability 40 % or more (i.e. Permanent / temporary) and mentally challenged IQ level is 70 or less but not going to Special School or any Regular School will be given financial assistance at the rate of ` 1,000/- per month to Developing Occupational Skills at residence by parents/guardian with following conditions: (w.e.f. 01.04.2012)
  - (a) Physically challenged certificate of disability more than 40 % & above and for mentally challenged IQ level below 70 certificates along with claim.
  - (b) Live certificate of physically challenged & mentally retarded / challenged child with 02 serving Railway employee's witness along with claim in prescribed form. (Ref: CSBF meeting dated 05-06.12.2011)

(Ref: Railway Board's letter No.E/W/2007FU-1/1 dt.18/04/2007) (WR HQ No. E (SBF) 1075/124 [PH & MR] 2010-11 dated 21 /07/2010).

**M) UNPAID WAGES:-**

All amounts of Non-disbursed wages remaining unclaimed on account of death or whereabouts not known will be transferred to Staff Benefit Fund by FA&CAO after expiry of 3 years. This amount remains with Chairman, SBF for 4 years after which this can be utilized for SBF purposes.

(Ref: Railway Board's letter No.E(LL) 84AT/PW/1-4 dated 14-3-89)

**एम -1) अदत्त वेतन को कर्मचारी हित निधि में जमा करना :-**

उपर्युक्त संशोधित नियम के उप पैरा क, ख, और ग के अनुसार अदत्त राशि 03 वर्षों की समाप्ति के पश्चात् रे.क.हि.नि. में अंतरित की जाएगी और आगे 04 वर्षों के लिए अध्यक्ष के पास रहेगी। के.क.हि.नि. समिति द्वारा उक्त राशि इस व्यक्ति अथवा नामित व्यक्ति को दी जाएगी जो इस राशि के लिए दावा करेगा। यदि दावेदार की मृत्यु हो जाती है तो नियुक्त कर्मचारी के परिवार का सदस्य दावा करनेवाले आश्रित रिश्तेदार/पति/पत्नी/ बच्चे को दी जाएगी और जहाँ नियुक्त कर्मचारी के पति/पत्नी अथवा बच्चे नहीं हो तो आश्रित रिश्तेदार राशि के लिए 07 वर्षों के भीतर किसी भी समय दावा कर सकते हैं और उस समय के दौरान वेतन पहले तीन वर्षों की अवधि के लिए वेतन मास्टर के पास रहेगा और मूल राशि, जो वेतन मास्टर के पास रही है अथवा वेतन मास्टर द्वारा अध्यक्ष क.हि.नि. समिति के पास जमा की गई है, दावेदार को देय होगी।

सन्दर्भ:-वि.स.एवं मु.ले.धि.(बही)-चर्चगेट ने दिनांक 21-04-1997 के पत्र सं.डी.एस.के. / आर.ई.वी. / ए.11193/ 3552 के अंतर्गत लेखा संहिता, भाग-1 के 316 और 319 के लिए सुधार पर्ची सं.9 और 10 उपर्युक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए के.क.हि.नि. समिति ने विनिश्चय किया है कि मंडल/यूनिट में ऐसे कर्मचारियों की सूची अधिसूचित करके ऐसे स्थानों के नोटिस बोर्ड पर लगायी जाए जहाँ अदत्त वेतन के मामले हों और उसकी प्रति इस कार्यालय के भिन्न संघों को पृष्ठांकित की जाए ताकि उसका व्यापक प्रचार किया जा सके और एक प्रति सलेधि (भ.नि.)-चर्चगेट को भी भुगतान करते समय ब्योरा सत्यापित करने के लिए पृष्ठांकित की जाय। बारीकी से संवीक्षा करने के पश्चात् मंडलों/ यूनिटों द्वारा लेखा कार्यालय से यथा सूचित संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार देय राशि का उल्लेख करके विस्तृत विवरण के साथ ऐसे दावेदारों के नाम अग्रेषित किए जाएंगे। के.क.हि.नि. समिति द्वारा उस व्यक्ति अथवा नामित व्यक्ति को जिसने इस राशि के लिए दावा किया है, राशि दी जाएगी। के.क.हि.नि.के सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करवाने के बाद सलेधि (भ.नि.)-चर्चगेट संबंधित मंडलों/यूनिटों को ऐसी राशि की ले.अ.प्र.(एटीसी) अंतरित करेंगे। किसी भी मामले में मंडलों/यूनिटों द्वारा राशि की अदायगी सीधी नहीं की जाएगी और इस प्रकार भुगतान करने की शक्तियाँ केवल के.क.हि.नि. समिति के पास रहेगी।

सन्दर्भ:-वि.स.एवं मु.ले.धि.(बही)-चर्चगेट ने दिनांक 21-04-1997 के पत्र सं.डी.एस.के. / आर.ई.वी. / ए.11193/ 3552 के अंतर्गत लेखा संहिता, भाग-1 के 316 और 319 के लिए सुधार पर्ची सं.9 और 10

\*\*\*\*\*

**M-1) CREDITING OF UNPAID WAGES TO SBF :-**

In terms of sub para a, b & c of above revised rule the unpaid amount will be transferred to RSBF after expiry of 3 years and shall remain with Chairman for further 4 years. The CSBF Committee shall release the amount to the person or the nominee who will claim to this amount. In case of death of claimant, the family member/dependent relative of employed person to make claim/ spouse or children/ and where the employed person does not have spouse or children, the dependent relative can claim amount at any time within 7 years during which time the wages remain with paymaster for a period of first three years and principle amount as remaining with pay master or deposited by paymaster with the Chairman SBF committee shall be payable to the claimant.

In view of above directives, the CSBF Committee has decided that list of such employees on Divisional/Unit be notified and pasted on notice boards at a place where the unpaid wages were earned endorsing copy thereof to HQ Office, various associations, so as to give a wide publicity and AAO(PF)CCG for verifying the detail at the time of making payment . The Divisions/Units after thorough scrutiny will forward the names of such claimants along with detailed particulars specifying the amount payable as advised by Accounts office. The CSBF Committee will release the amount to the person or their nominee who has claimed such amount. After obtaining the approval of CSBF members, AAO (PF)CCG will transfer ATCs of such amount to concerned Divisions/Unit. In no case amount will be directly released by Divisions/Units as the powers to release such payments will rest with CSBF committee only.

Ref: FA & CAO (Books) CCG vide letter No. DSK/REV/A 11193/3532 dated 21-4-97 - correction slip No.9 &10 to para 316 & 319 Accounts Code Part I)

\*\*\*\*\*

एम -II) दिनांक 01-04-2012 से शुरू की जाने वाली योजनाएं :-

1- रेल कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता :-

केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वे समस्त अराजपत्रित कर्मचारी जो टीबी./कैंसर /लकवा / कुष्ठ रोग /किडनी में खराबी /एडस /ब्रेन हैमरेज/हृदय की बाई - पास सर्जरी /भयानक दुर्घटना के मामले (अर्थात्, ऐसे रोगी जिनकी कोई समय सीमा न हो)की वजह से रेल डॉक्टर अथवा किसी सिफारिशी अस्पतालों में चिकित्सा करा रहे हों और कम से कम 30 दिनों से बिना वेतन छुट्टी पर हों, वे बिना किसी समय-सीमा के रु.8000/-प्रतिमाह की समान दर से निर्वाह भत्ता के हकदार होंगे बशर्ते कि उसके छुट्टी रिकार्ड में किसी भी प्रकार की कोई भी छुट्टी शेष न हो।

नोट:- धनराशि राहत आपदा एवं बिमारी शीर्ष के अधीन निर्वाह भत्ता अनुदान से स्थानीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा मंजूर की जायेगी। समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए निर्वाह भत्ते से संबंधित अलग रजिस्टर अनुलग्नक-I में दिए प्रारूप के अनुसार बनाये जायेंगे।

नोट:- उपरोक्त नीति दि.01-04-2012 से लागू है।

2- गुमशुदा रेल कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों को वित्तीय सहायता:-

केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गुमशुदा रेल कर्मचारियों के मामले उक्त कर्मचारी के पति /पत्नी/आश्रित को पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक रु.8000/- प्रतिमाह की समान दर से निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाए।

दावा का प्रारूप अनुलग्नक -II में दिया है।

ऐसे दावे प्रतिमाह, तीन माह अथवा प्रतिवर्ष गुमशुदा कर्मचारी के पति/पत्नी/आश्रित द्वारा यह घोषणा के साथ कि गुमशुदा कर्मचारी अभी भी गुमशुदा है और दावे की तिथि तक उसकी कोई खोज-खबर प्राप्त नहीं हुई है - ही प्रस्तुत किया जाए। यदि दी गई कोई भी जानकारी और घोषणा किसी भी स्तर अथवा उसके बाद के स्तर पर असत्य पायी जाती है तो गुमशुदा कर्मचारी की दलील पर निर्वाह भत्ता का अनुदान उस कर्मचारी के निपटारा बकाए की राशि अथवा वेतन से काटकर कर्मचारी हितनिधि के शीर्ष में जमा किया जायेगा।

नोट:- धनराशि राहत आपदा एवं बिमारी शीर्ष के अधीन निर्वाह भत्ता अनुदान से स्थानीय कर्मचारी हित निधि समिति द्वारा मंजूर की जायेगी। समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए निर्वाह भत्ते से संबंधित अलग रजिस्टर अनुलग्नक-I में दिए प्रारूप के अनुसार बनाये जायेंगे। इन मामलों को केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

नोट:- उपरोक्त नीति दि.01-04-2012 से लागू है।

3- रेल कर्मचारी की ओपन हार्ट शाल्य चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता:-

सी एस बी एफ द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि पास नियमों/चिकित्सा उपचार नियमों के अनुसार सभी अराजपत्रित कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्य जिनकी ओपन हार्ट चिकित्सा की जानी है उन्हें 20,000/- रु. की दर से मुश्त वित्तीय अनुदान / सहायता प्रदान की जाए।

नोट:- उपरोक्त नीति दि.01-04-2012 से लागू है।

**M-II) NEW SCHEMES TO BE INTRODUCED EFFECTIVE FROM 01/4/2012 :-**

**1. Maintenance Allowance to Railway Employees:-**

It is decided by CSBF Committee that, all Non-Gazetted employees, who are under treatment either under Railway doctor or under treatment of referral hospitals, for a minimum of 30 days leave without pay will be entitled for Maintenance Allowance at the rate of Rs. 8000/-p.m. provided there is no leave balance of any kind in the leave record without any time limit for all the diseases.

**Note:** Amount will be sanctioned by local SBF committee from grant of Maintenance allowance under relief, distress & sickness head. Separate registers of maintenance allowance for all Non-gazetted staff to be maintained as per proforma in Annexure -I.

**Note:** Above policy is applicable with effect from 01.04.2012.

**2. Financial Assistance to family member of Missing railway employees :-**

It is decided by CSBF that, in case of missing Railway employee, wife/ward of missing employee may be paid maintenance allowance at the rate of Rs. 8000/-p.m. from date of lodging FIR in police station for a period of one year.

**Format of claim is given in Annexure-II.**

Such claims should be preferred every month or quarterly or annually by wife/ward of missing employee with undertaking that "Missing employee is still missing & not traceable on day of claim". If any information & undertaking given is found false at any stage or subsequent stage, the grant of maintenance allowance on plea of missing employee will be deducted from his / her settlement dues of missing employee & credited to SBF head.

**Note:** Amount will be sanctioned by local SBF committee from grant of Maintenance allowance under relief, distress & sickness head. Registers of maintenance allowance for all non-gazetted staff to be used for the same as given Performa in Annexure -I. These cases should have the approval of CSBF Committee.

**Note:** Above decision is applicable with effect from 01.04.2012.

**3. Financial Assistance to open heart surgery of Railway employee:-**

It is decided by CSBF that, all Non-Gazetted employees and their family members as per pass rules / medical treatment rules who have undergone open heart surgery may be granted lump-sum financial grant / assistance at the rate of Rs. 20,000/-.

**Note:** Above decision is applicable with effect from 01.04.2012.

4. सेवा के दौरान उच्च शिक्षा के लिए सेवारत रेल कर्मचारियों को छात्र वृत्ति:-

सी एस बी एफ द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि सभी अराजपत्रित कर्मचारी जो तकनीकी गैर तकनीकी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का कैरियर एडवांसमेंट कोर्स कर रहा है उन्हें प्रतिवर्ष निम्नलिखित दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। उसे मान्यता प्राप्त कालेज / संस्था का दावा और प्रवेश पत्र सहित उच्च शिक्षा के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमती पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यह उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं है जो राज्य/केंद्र सरकार या शिक्षा बोर्ड या एन जी ओ एस द्वारा अनुदानित अध्ययन अवकाश या किसी छात्रवृत्ति का लाभ लेते हैं।

ए - सेवारत पुरुष कर्मचारी - 8000/- रु. प्रतिवर्ष

बी- सेवारत महिला कर्मचारी - 10,000/- रु. प्रतिवर्ष

सी- इस योजना के अंतर्गत पत्राचार/लर्निंग के माध्यम से किए जा रहे पाठ्यक्रम /अध्ययन नहीं आते हैं।

नोट:- उपरोक्त नीति दि.01-04-2012 से लागू है।

5. 10वीं या 12 वीं के बाद आई टी आई में अध्ययन कर रहे रेल कर्मचारियों के आश्रितों विशेषकर बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति :-जहाँ तक ग्रेड पे रु. 1800/-और उसके नीचे के कर्मचारियों (एम ए सी पी एस प्रदान किए गए पर ध्यान नहीं देना है) से संबंधित है वे बोर्ड के निदेशों के अंतर्गत शासित हैं अर्थात बालकों के लिए रु.1000/-प्रति माह और बालिकाओं के लिए रु.1200/- प्रतिमाह।

पात्रता के क्षेत्र में आगे वृद्धि करने के लिए सीएसबीएफ द्वारा यह निश्चय किया गया है कि 10 वीं या 12वीं कक्षा के बाद एक वर्ष या अधिक अवधि के आई टी आई पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे समूह (ग) कर्मचारियों के आश्रितों के लिए निम्न दरों के अनुसार एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए:-

क- बालक - 2000/- रु. प्रतिवर्ष

ख- बालिका - 3000/- रु. प्रतिवर्ष

आई टी आई संबंधित संस्थान द्वारा या किसी अन्य स्रोत से आश्रित को यदि कोई वृत्तिका मिलती है।

तो ऐसी छात्रवृत्ति के लिए वह पात्र नहीं होगा/होगी।

6 रेल कर्मचारी को अंग विच्छेदन होन पर वित्तीय सहायता :-

केन्द्रीय क ह नि समिति द्वारा रेल कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पास नियमानुसार लाभार्थी के हाथ और पैर (अंगूठे और उंगलियां छोड़कर) के अंग विच्छेदन के संबंध में एक मुश्त वित्तीय अनुदान /सहायता मंजूर करने का निर्णय लिया है परन्तु उसकी धनराशि नीचे दी गई शर्तों एवं दरों के अनुसार न्यूनतम (रु.10,000/- और अधिकतम रु.50,000/-) तक दी जाएगी:-

(क) पंजे के निचे का एक पैर । एक हथैली रु. 10,000/-

पंजे के निचे का दोनों पैर । दोनों हथैली रु. 20,000/-

(ख) घुटने के निचे का कोई एक पैर रु. 15,000/-

कोहनी के निचे का कोई एक हाथ रु. 15,000/-



4. **Scholarship to serving railway employee for higher study during service :-**

It is decided by CSBF that, all Non-Gazetted employees undergoing for higher study in technical; non-technical courses and also for career advancement courses of 1 year or more which will be beneficial to Railway may be granted financial assistance at the following rates per year. He / she should submit permission letter of competent authority for higher study along with claims & admission letter of recognised college / institute. It is not admissible to the employees who avails benefit of study leave or any scholarship granted by State /Central Government or Education Board or NGOS.

- (a) Male serving employees - Rs. 8,000/- per year
- (b) Female serving employees - Rs. 10,000/- per year
- (B) Courses / Studies undertaken through Correspondence / Learning are not covered under this scheme.

**Note: Above decision is applicable with effect from 01.04.2012.**

5. **Scholarship to wards of Railway employee studying in ITIs after 10th or 12th standard especially for girl child :-**

As far as staff of GP Rs.1800/- and below (ignoring MACPS granted) is concerned they are governed under Board's directives i.e. Boys @ Rs. 1,000/- p.m. & Girls @ Rs. 1,200/-p.m. Further to enhance scope of eligibility further, it is decided by CSBF that ward of group 'C' staff studying in ITI courses of one year or more duration after 10th or 12th standard may be granted lump sum financial assistance as per rates :-

- (a) Boys - Rs. 2,000/- per year
- (b) Girls - Rs. 3,000/- per year

If any stipend is paid to the ward by the concerned ITI Institute or from any other source, he / she will not be eligible for such scholarship.

**Note: Above decision is applicable with effect from 01.04.2012.**

**The new Schemes effective from 01/4/2012 will be implemented subjective to the availability of funds of RSBF in every financial year.**

6. **Financial Assistance to Amputation of Railway employee :-**

It is decided by CSBF to grant lump-sum financial grant / assistance in case of amputation of leg & hand (except toes, thumbs & fingers) of railway employees & family members (beneficiary as per pass rule) subject to a minimum of Rs. 10,000/- & maximum of Rs. 50,000/- as per conditions & rates mentioned below :

- (a) One foot below ankle / One Palm - Rs. 10,000/-  
Two foot below ankle / Two Palm - Rs. 20,000/-
- (b) Below Knee of One Leg - Rs. 15,000/-  
Below elbow of One Hand - Rs. 15,000/-

(ग) घुटने से उपर का कोई एक पैर कोहनी से उपर का कोई एक हाथ	रु .25,000/- रु . 25,000/-
(घ) घुटने के नीचे के दो पैर कोहनी के निचे के दो हाथ	रु . 30,000/- रु . 30,000/-
(च) घुटने से उपर के दो पैर कोहनी से उपर के दो हाथ	रु . 50,000/- रु . 50,000/-

नोट :- उपरोक्त निर्णय दिनांक 01-04-2012 से प्रभावी होगा। उपरोक्त धनराशि में कृत्रिम अंग का मूल्य शामिल नहीं है बल्कि उसके लिए अलग से दावा स्वीकार्य होगा।

7. **किडनी फेल होने की पुरानी बीमारी एवं लीवर प्रत्यारोपण के संबंध में वित्तीय सहायता:**  
केन्द्रीय क ह नि समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी अराजपत्रित कर्मचारी और पास नियमों /चिकित्सा उपचार नियमों के अनुसार उनके परिवार के सदस्यों को किडनी/लीवर की पुरानी बीमारी के संबंध में प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए रु .50,000/- के दर से एकमुश्त वित्तीय अनुदान /सहायता मंजूर की जाएगी/-

नोट:- उपरोक्त निर्णय दिनांक 01-04-2012 से प्रभावी है।

8. **दो पुत्री के बाद परिवार नियोजन ऑपरेशन के लिए वित्तीय सहायता :-**  
केन्द्रीय क ह नि समिति द्वारा यह निर्णय लिया है कि जनना आयु के अन्दर (अर्थात् पुरुष 40 वर्ष या कम और महिला 35 वर्ष या कम ) केवल दो जीवित पुत्री के बाद परिवार नियोजन ऑपरेशन करने वाले सभी अराजपत्रित कर्मचारी और उनके पती/पत्नी को पुत्री के नाम फिक्स्ड डिपोजिट रसीद (FDR) दिया जायेगा जिसका नगदीकरण 18 वर्ष की आयु में होगा। यह परिवार नियोजन ऑपरेशन प्रमाणपत्र वेतन पर्ची की प्रती अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा नियोजन भत्ते की मंजूरी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जा सकता है।

क) केवल दो पुत्री होने पर रु . 30,000/- के FDR के रूप में वित्तीय सहायता

ख) कर्मचारी को यह प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उसका /उसकी केवल दो ही पुत्री है। साथ ही रेलवे डाक्टर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित ऑपरेशन का प्रमाणपत्र और परिवार नियोजन भत्ता का भुगतान निर्धारण करने के लिए वेतन पर्ची की प्रती भी प्रस्तुत करनी होगी।

**यह योजना एक से अधिक जीवित पुत्री के लिए लागू नहीं है।**

यह योजना दिनांक 01-04-2012 को या उसके बाद कराए गए, परिवार नियोजन ऑपरेशन के लिए लागू होगी। इस योजना का लाभ उन्हें भी मिल पायेगा जिन्हें पहली डिलवरी में जुड़वा पुत्रीयाँ पैदा हुयी है। परन्तु उसके लिए भी अधिकतम राशि रुपये 15,000/- ही होगी।

9. **कृत्रिम अंग (प्रोस्थेसिस) हेतु वित्तीय सहायता:-**

सेवारत रेल कर्मचारी और उनके आश्रितों को कृत्रिम अंग (प्रोस्थेसिस) हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी। जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1- ग्रेड पे रुपये 1800/- (MACP पर विचार नहीं करते हुए) और उससे के कम कर्मचारियों के लिए।  
प्रती प्रोस्थेसिस रुपये 75,000/- अथवा प्रोस्थेसिस की कीमत इसमें जो भी कम हो।

2- ग्रेड पे रुपये 1900/- और उससे अधिक के कर्मचारियों के लिए।  
प्रती प्रोस्थेसिस रुपये 50,000/- अथवा प्रोस्थेसिस की कीमत इसमें जो भी कम हो।

नोट:- इसका भुगतान सीधे उस कम्पनी /फर्म को किया जायेगा। जहाँ से प्रोस्थेसिस खरीदा जायेगा। सेवा के दौरान एक बार ही इसका भुगतान किया जायेगा। पुनर्स्थापना अथवा मरम्मत के मामले में कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जायेगी। दिनांक 01-04-2012 से इसे एक वर्ष के लिए परीक्षण आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।

**नई सभी योजनाएं जो 01-04-2012 से लागू होनेवाली है वे हर वर्ष के केन्द्रीय कर्मचारी हितनिधि के निधि की उपलब्धि को देखकर लागू होगी।**

(c) Above Knee of One Leg	- Rs. 25,000/-
Above elbow of One Hand	- Rs. 25,000/-
(d) Below Knee of Two Legs	- Rs. 30,000/-
Below elbow of Two Hands	- Rs. 30,000/-
(e) Above Knee of Two Legs	- Rs. 50,000/-
Above elbow of Two Hands	- Rs. 50,000/-

Note: Above decision is applicable with effect from 01.04.2012. The above amount is exclusive of cost of artificial limb for which separate claim is to be preferred.

#### 7. **Financial Assistance in Chronic kidney failure & Liver transplantation :**

It is decided by CSBF that, all Non-Gazetted employees & their family members as per pass rules / medical treatment rules, who have undergone transplantation surgery of Chronic kidney failure/ Liver may be granted lump-sum financial grant / assistance at the rate of Rs. 50,000/-  
Note: Above decision is applicable with effect from 01.04.2012.

#### 8. **Financial Assistance to Family planning operation on two girl child :**

It is decided by CSBF that, all Non-Gazetted employees or their spouse undergoing family planning operation after two surviving girl child only under reproduction age (i.e. male 40-yr or less & Female 35 years or less) may be granted Fixed Deposit receipts (FDRs) in the name of daughter which is cashable at the age of 18 years only on submitting Family Planning operation certificate, copy of pay slip or certificate of grant of Family planning allowance by competent authority.

- (a) On Two daughter only financial assistance in the form of FDR of Rs. 15,000/- each daughter
- (b) The employee has to furnish proof that he / she has only two girl child and certificate of sterilisation duly certified by Railway doctor and copy of pay slip to ascertain payment of family planning allowance.

This scheme is not applicable for more than two surviving girl children. This is applicable to family planning operation done on or after 01.04.2012.

This benefit may also be available to those who gets Twin daughters during the first delivery subject to maximum of amount of Rs. 15,000/-

#### 9. **Financial Assistance for provision of Artificial limbs (Prosthesis) :** **Financial Assistance for artificial limbs / prosthesis will be given to serving Railway employees or their beneficiaries as per details given below:**

1. Grade Pay Rs. 1800 (ignoring MACP) & below Rs. 75,000/- per prosthesis or cost of prosthesis whichever is lower.
2. Grade Pay Rs. 1900 & above Rs. 50,000/- per prosthesis or cost of prosthesis whichever is lower.

Note : This payment will be directly paid to the company/firm from whom prosthesis is purchased. The payment will be made once during the service. No further amount will be paid in case of replacement or repairs. This will be implemented on trial basis for one year w.e.f. 01.04.2012.

The new Schemes effective from 01/4/2012 will be implemented subjective to the availability of funds of RSBF in every financial year.

एन ) अन्य कल्याण गतिविधियाँ :-

एन-1) अवकाश गृह व स्वास्थ्यलाभ गृह :- ( भारतीय रेल पर ) :-

स्थान	कमरो की संख्या		अधिकारी जिनको आवेदनकिया जाना है
	ग्रुप 'ए' & 'बी'	ग्रुप 'सी' & 'डी'	
<b>मध्य रेलवे CENTRAL RAILWAY</b>			
1. माधेरान	4	-	वरि. मंडंजी, सी एस टी-मुंबई
	-	9	मरेप्र(क), सीएसटी-मुंबई
2. लोणावाला	4	3	मरेप्र(क), सीएसटी-मुंबई
	-	4	सचिव मरेप्र-सीएसटी-मुंबई
3. इगतपुरी	-	2	मरेप्र(क), सीएसटी-मुंबई
4. महाबलेश्वर	4	-	उपमहाप्र(सा.)-सीएसटी-मुंबई
	-	4	सचिव मरेप्र-पूणे
	-	2	मरेप्र (डब्ल्यू)-सीएसटी-मुंबई
5. पंढरपुर	-	2	मरेप्र (पी)-सोलापुर
6. दादर	-	6	मरेप्र(क), सीएसटी-मुंबई
<b>पुर्व रेलवे EASTERN RAILWAY</b>			
7. बैद्यनाथ धाम	-	6	मुकाधि पूर्व रेलवे
8. पुरी	2	10	मुकाधि पूर्व रेलवे
9. दार्जिलिंग	3	4	मुकाधि पूर्व रेलवे
10. नैनीताल	4	7	मुकाधि पूर्व रेलवे
11. हरिद्वार	3	6	मुकाधि पूर्व रेलवे
<b>उत्तर रेलवे NORTHERN RAILWAY</b>			
12. शिमला	7	13 (C)	संडंजी-उ.रे./ अंबाला
	-	2 (D)	संडंजी-उ.रे./ अंबाला
	2(A)	4(C)	सचिव, रेलवे बोर्ड
	1(B)	1(D)	सचिव, रेलवे बोर्ड
13. बरोग	2(B)	2(C)	संडंजी-उ.रे./ अंबाला
14. बैजनाथ पापरोल	2(B)	2(C)	आई ओ डब्ल्यू/एस एस ई-पालनपुर
15. मनाली	3(A)	--	मरेप्र-एफ जेड आर
	2(B)	--	मरेप्र-एफ जेड आर
	1(B)	--	सचिव-रेलवे बोर्ड
16. हरिद्वार	--	2	मरेप्र-उ.रे/मुरादाबाद

## (N) OTHER WELFARE ACTIVITIES :-

## (N-1) LIST OF HOLIDAY HOMES &amp; CONVALSCENT HOME (OVER INDIAN RAILWAYS :-

LOCATION	NO. OF SUIOTES		TO WHOM APPLICATIONS SHOULD BE ADDRESSED
	GROUP 'A' & 'B'	GROUP 'C' & 'D'	
1	2	3	4
<b>CENTRAL RAILWAY</b>			
1. MATHERAN	4	-	Sr. DEN, CST Mumbai
	-	9	DRM (W), CST Mumbai
2. LONAWALA	4	3	DRM (W), CST Mumbai
	-	4	Secy. - DRM, CSTM
3. IGATPURI	-	2	DRM (W), CST Mumbai
4. MAHABALESHWAR	4	-	DGM (G), CST Mumbai
	-	4	Secy./DRM PUNE
	-	2	DRM (W), CST Mumbai
5. PANDHARPUR	-	2	DRM (P), Solapur
6. DDR	-	6	DRM (W) CST
7. BAIDYNATH DHAM	-	6	CPO, Eastern Rly. Kolkata
8. PURI	2	10	CPO, Eastern Rly. Kolkata
9. DARJEELING	3	4	CPO, Eastern Rly. Kolkata
10. NAINITAL	4	7	CPO, Eastern Rly. Kolkata
11. HARIDWAR	3	6	CPO, Eastern Rly. Kolkata
<b>NORTHERN RAILWAY</b>			
12. SIMLA	7	13 (C)	AEN, NR Ambala
	-	2 (D)	AEN, NR Ambala
	2(A)	4(C)	Secy. Rly. Board
	1(B)	1(D)	Secy. Rly. Board
13. BAROG	2(B)	2(C)	AEN, NR Ambala
14. BAIJNATH PAPROLE	2(B)	2(C)	IOW/SSE- Palanpur
15. MANALI	3(A)	--	DRM FZR
	2(B)	--	DRM FZR
	1(B)	--	Secy. Rly. Board
16. HARIDWAR	--	2	DRM N.Rly.- Moradabad

स्थान	कमरो की संख्या		अधिकारी जिनको आवेदन किया जाना है
	ग्रुप 'ए' & 'बी'	ग्रुप 'सी' & 'डी'	
17. नैनीताल	2	2(C)	सचिव-रेलवे बोर्ड
	1	1(D)	सचिव-रेलवे बोर्ड
18. मसूरी	2 (4 खाट की डोरमेटरी)	2	डी एस ई (सी)-मुरादाबाद
19. बदरीनाथ	2	2	डी एस ई (सी)-मुरादाबाद
<b>उ.पू.रेलवे N.E. RAILWAY</b>			
20. नैनीताल	14	10	उपमहाप्र(सा)/सकाधि(क) एवं वरि.मंजरी/आई जेड आर
21. रानीकेत	2	4	वरि.मंजरी/आई जेड आर
22. वाराणसी	--	3	वरि.मंजरी,उ.पू.रे.-वाराणसी
23. इलाहाबाद सीटी	--	3	सहा.इंजी.या सकाधि(क)-उ.पू.रे.-वाराणसी
<b>उ.सी.रेलवे N.F. RAILWAY</b>			
24. शिलांग	3	4	वरि.मंजरी-उ.सी.र./पी ए ओ
25. कुरेशियोग	3	(10 खाट की डोरमेटरी)	संजरी-उ.सी.रे.सिलीगुड़ी जं.
26. क्रेईगमेट दार्लिंग	2	1	सचिव-महाप्र.उ.सी.रे./एम एल जी
27. दार्जिलिंग(सबोडिनेट)	--	4	सचिव-महाप्र.उ.सी.रे./एम एल जी
28. नैनीताल	1	1	सचिव-महाप्र.उ.सी.रे./एम एल जी
<b>दक्षिण रेलवे SOUTHERN RAILWAY</b>			
29. मद्रुरै	--	5	मंकाधि-द.रे./मद्रुरै
30. कोरत्तलम	2	6	मंकाधि-द.रे./मद्रुरै
31. रामेश्वरम	--	2	मंकाधि-द.रे./मद्रुरै
32. पलनी	--	2	मंकाधि-द.रे./मद्रुरै
33. कन्याकुमारी	6	4	वरि.मंकाधि-तिरुवनन्तपुरम
34. कूनुर	1	4	मंकाधि-पालघाट/द.रे.
35. उदगमंडलम(ऊट्टी)	1	8	मंकाधि-पालघाट/द.रे.
<b>दक्षिण मध्य रेलवे SOUTH CENTRAL RAILWAY</b>			
36. तिरुपती(रेलवे स्टेशन)	6	9	वरि.मंकाधि-गुंटकल/द.म.रे.
37. औरंगाबाद(रेलवे स्टेशन)	2	2	वरि.मंकाधि-हैदराबाद
<b>दक्षिण पूर्व रेलवे SOUTH EASTERN RAILWAY</b>			
38. पुरी	--	8	उप मुकाधि (क) गार्डन बीच/ कोलकता
39. दार्जिलिंग	--	4	उप मुकाधि (क) गार्डन बीच/ कोलकता
40. राँची	--	4	उप मुकाधि (क) गार्डन बीच/ कोलकता
41. दिचा	4	--	
		2 कमरे +	उप मुकाधि (क) गार्डन बीच/ कोलकता
		(04 खाट की डोरमेटरी)	मंकाधि (आई) के.जा.पा./द.पू.रे.
42. अवाकु	2	--	वरि.मंकाधि/डब्ल्यूएटी वरि.मंकाधि/वाल्डेयर
		(06 खाट की डोरमेटरी)	

LOCATION	NO. OF SUIOTES		TO WHOM APPLICATIONS SHOULD BE ADDRESSED
	GROUP 'A' & 'B'	GROUP 'C' & 'D'	
1	2	3	4
17. NAINITAL	2	2(C)	Secy. Rly. Board
	--	1(D)	Secy. Rly. Board
18. MUSSOORIE	2	2	DSE(C) Moradabad
	(4 bedded dormitories)		
19. BADRINATH	2	2	DSE(C) Moradabad
<b>N.E. RAILWAY -</b>			
20. NAINITAL	14	10	DGM(G), APO(W) & Sr.DEN IZR
21. RANIKETH	2	4	Sr. DEN IZR
22. VARANASI	--	3	Sr. DEN N.E.Rly.- Varanasi
23. ALLAHABAD CITY	--	3	AEN or APO(W) NE Rly. Varanasi
<b>N.F. RAILWAY -</b>			
24. SHILLONG	3	4	Sr. DEN NF Rly. PAO
25. KURESEONG	3	10	AEN NF Rly. Siliguri Jn.
		Dormitory	
26. CRAIGMENT AT DARJILING	2	--	Secy. GM NFR MLG
27. DARJEELING (SUBORDINATE)	--	4	Secy. GM NFR MLG
28. NAINITAL	1	1	Secy. To GM NFR MLG
<b>SOUTHERN RAILWAY</b>			
29. MADURAI	--	5	DPO S.Rly.- Madurai
30. COURTALLAM	2	6	DPO S.Rly.- Madurai
31. RAMESWARAM	--	2	DPO S.Rly.- Madurai
32. PALANI	--	2	DPO S.Rly.- Madurai
33. KANYAKUMARI	6	4	Sr. DPO- TVC
34. COONOR	--	4	DPO S. Rly.- PGT
35. UDAGAMANDALAM (OOTY)	--	8	DPO S. Rly.- PGT
<b>SOUTH CENTRAL RAILWAY</b>			
36. TIRUPATI (RLY. STATION)	6	9	Sr. DPO SCRly.- Guntakal
37. AURANGABAD (RLY.STATION)	2	2	Sr. DPO- Hyderabad
<b>SOUTH EASTERN RAILWAY</b>			
38. PURI	--	8	Dy.CPO(W)/ Garden Reach - Kolkata
39. DARJEELING	--	4	Dy.CPO(W)/ Garden Reach - Kolkata
40. RANCHI	--	4	Dy.CPO(W)/ Garden Reach - Kolkata
41. DICHA	4	2 Suites +4 Bedded Dormitory	DGM(G) Garden Reach - Kolkata DPO(I)/KGP, S.E.Rly.
42. AVAKU	2	6 Bedded Dormetary	Sr.DEN/Coord/WAT Sr DPO/Waltair rmitory

स्थान	कमरो की संख्या		अधिकारी जिनको आवेदन किया जाना है
	ग्रुप 'ए' & 'बी'	ग्रुप 'सी' & 'डी'	
<b>पश्चिम रेलवे WESTERN RAILWAY</b>			
43. पाली हिल, बांद्रा	(मुम्बई)	--	8(सी) 2(डी) वरि.मं.काधि.-मुंबई सेंट्रल
44. लोणावाला	--	2	वरि.मं.काधि.-मुंबई सेंट्रल
45. वेरावल (गुजरात)	--	4	वरि.मं.काधि.-भावनगर
46. द्वारका (गुजरात)	--	3(सी) 1(डी)	वरि.मं.काधि.-राजकोट
			उपमुकाधि (क)-चर्चगेट
47. धोलवाड	3	--	वरि.मं.काधि.-मुंबई सेंट्रल.
48. उज्जैन	--	6	वरि.मं.काधि.-रतलाम
<b>उत्तर पश्चिम रेलवे NORTH WESTERN RAILWAY</b>			
49. जयपुर	--	4	मरेप्र (स्था)-जयपुर
50. उदयपुर	--	14 सी 2 डी	मरेप्र (स्था)-अजमेर
51. माउंट आबू	4	13 सी 2 डी	मरेप्र (स्था)-अजमेर
<b>पश्चिम मध्य रेलवे WEST CENTRAL RAILWAY</b>			
52. पंचमढी	--	3	वरि.मं.काधि-जबलपुर
53. आगरा (इंदगाह)	--	4	मरेप्र(स्था)-कोटा
<b>दक्षिण पश्चिम रेलवे SOUTH WESTERN RAILWAY</b>			
54. मैसूर (रेलवे स्टेशन)	--	5	मंकाधि-मैसूर
55. कोलवा बीच	2	2	वरि.मंकाधि-हुबली
<b>आई. सी. एफ. I.C.F</b>			
56. उदगमंडलम (ऊटी)	--	4	कल्याण अधिकारी-आई सी एफ
<b>आर सी ई R.C.E</b>			
57. पटनी टॉप	2	4	उप महाप्र(सा)-आर सी एफ
<b>सी.एल.डब्ल्यू. C.L.W</b>			
58. पूरी	--	2	मुकाधि-सी.एल.डब्ल्यू. / चितरंजन
<b>डी.एल.डब्ल्यू. D.L.W</b>			
59. नैनीताल	1	--	सचिव-महाप्र-डी.एल.डब्ल्यू
60. पूरा	1	1	सचिव-महाप्र-डी.एल.डब्ल्यू
<b>स्वास्थ्यलाभ गृह (कॉनवलेसेन्ट होम) CONVALSCENT HOME</b>			
61. पाली हिल बान्दा (प.रे.) मुम्बई	--	3(सी) 1(डी)	उप मुकाधि (क)-प.रे./चर्चगेट

**NOTE:** 1 (सी) यानी ग्रुप सी एवं (डी) यानी ग्रुप डी

2 यदि स्पष्ट नहीं किया है तो दूसरे कॉलम में ग्रुप क व ख (साथ में) एवं कॉलम 03 में ग्रुप ग व घ (साथ में) के कमरों /स्यूट दर्शाये हैं



LOCATION	NO. OF SUITES		TO WHOM APPLICATIONS SHOULD BE ADDRESSED
	GROUP 'A' & 'B'	GROUP 'C' & 'D'	
<b>WESTERN RAILWAY</b>			
43. PALI HILL, (BANDRA (MUMBAI)	--	8(C) 2(D)	Sr.DPO-Mumbai Central.
44. LONAVALA	--	2	Sr.DPO-Mumbai Central.
45. VERAVAL (GUJRAT) <i>Somanth</i>	--	4	DPO-BVP
46. DWARKA (GUJRAT)	--	3(C) 1(D)	Sr.DPO-Rajkot / Dy.CPO(W)CCG
47. GHOLVAD	3	--	DRM-Mumbai Central.
48. UJJAIN ---	6Sr.DFO-RTM		
<b>NORTH WESTERN RAILWAY</b>			
49. Jaipur	--	4	DRM(E) /Jaipur
50. UDAIPUR	--	16	DRM(E) /Ajmer
51. MOUNT ABU	4	15	DRM(E) /Ajmer
<b>WEST CENTRAL RAILWAY</b>			
52. PANCHMARHI	--	3	Sr.DPO, Jabalpur
53. AGRA (IDGHA)	--	4	DRM(E) / KTT
<b>SOUTH WESTERN RAILWAY</b>			
54. MYSORE (RLY.STN)	--	5	DPO/Mysore
55. KOLWA BEACH	2	2	Sr.DPO-Hubli
<b>I.C.F</b>			
56. UDAGAMANDALAM(Ooty)	--	4	Welfare Officer /ICF
<b>R.C.E</b>			
57. PATNI TOP	2	4	Dy GM/G/RCF
<b>C.L.W</b>			
58. PURI--	2CPO/CLW/Chittaranjan		
<b>D.L.W</b>			
59. NAINITAL	1	--	Secy. to GM/DLW
60. PURI 1	1Secy. to GM/DLW		
<b>CONVALSCENT HOME</b>			
61. BANDRA, Pali Hill			
WESTERN RAILWAY	--	2(C) 1(D)	Dy. CPO/W/CCG

**NOTE :**

1. (C) means Group-C and (D) means Group- D
2. Unless specified, the suites under Column-2 are for both Group "A" & "B" and under Column-3 for both Group "C" & "D".

रहने के दर की वसूली :-

	कार्यरत कर्मचारी 'में	सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी के लिए ' में
ग्रुप डी	05	12
ग्रुप सी	12	25
राजपत्रित अधिकारी	25	--
कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक	--	35
कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से उपर	--	75

(रेलवे बोर्ड पत्र संख्या:ई.(डब्ल्यू)2000/डब्ल्यूई-2/2 दिनांक 14.12.2000)(आरबीई-212/2000)

सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी को अवकाश गृह की सुविधा :-

सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी को अवकाश गृह की कन्फर्म बुकिंग गर्मी की छुट्टी, दशहरा, पूजा व क्रिसमस की छुट्टीया के अलावा अधिग्रहण के 07 दिन पूर्व में किया जा सकता है एवं आबंटन अंतिम 07 दिन में कार्यरत कर्मचारी की अग्रिमता से रद्द नहीं किया जा सकता है।

(रेलवे बोर्ड पत्र संख्या:ई.(डब्ल्यू)2002/डब्ल्यूई -2/2 दिनांक 19.08.2002)( आरबीई -140/2002)

N-2. समाज कल्याण केन्द्र की सूचि :-

पश्चिम रेलवे

कम सं.	मंडल /ईकाई	स्थान
1.	मुम्बई	माटुंगा रोड
2.	मुम्बई	बान्दा (पश्चिम)
3.	मुम्बई	पाली हिल बान्दा (पश्चिम)
4.	मुम्बई	सांताक्रुज(पालना घर में तब्दील)
5.	मुम्बई	विलेपार्ले - पूर्व
6.	मुम्बई	अंधेरी- पूर्व
7.	मुम्बई	बोरीवली- पूर्व
8.	मुम्बई	वलसाड
9.	मुम्बई	मुंबईसेंट्रल
10.	मुम्बई	बांद्रा - पूर्व
11.	भावनगर	जूनागढ
12.	भावनगर	पोरबंदर
13.	भावनगर	बोटाड
14.	भावनगर	जंतलसर
15.	दाहोद	रेलवे कॉलोनी डी साइट

एन-3 बाल मंदिर की सूचि : पश्चिम रेलवे :-

कम सं.	मंडल	स्थान
01.	मुम्बई	बान्दा (पश्चिम)
02.	मुम्बई	विले पार्ले (पूर्व)
03.	मुम्बई	वलसाड
04.	राजकोट	रेलवे कॉलोनी
05.	राजकोट	राजकोट कॉलोनी
06.	भावनगर	पोरबंदर
07.	भावनगर	जंतलसर
08.	भावनगर	भावनगर रेलवे कॉलोनी
09.	दाहोद	दाहोद रेलवे कॉलोनी

**Lodging Charges to be recovered:-**

	Serving Employees in ‘	Retired Employees in ‘
Group ‘D’	05	12
Group ‘C’	12	25
Gazetted Officers	25	—
Up to JA Grade	—	35
Above JA	—	75

(RB L.No.E.(W)2000/WE-2/2 dated 14.12.2000)(RBE-212/2000)

**Facilities of Holiday homes to retired Railway employees:-**

Retired Railway employee shall be given confirmed booking of Holiday homes during periods other than summer vacation, Dussehra, Pooja & Christmas holidays, seven days prior to the date of occupation and the confirm booking shall not be cancelled during the last seven days preceding the date of occupation, in preference to a serving Railway employees.

(RB L.No.E.(W)2002/WE-2/2 dated 19.08.2002)(RBE-140/2002)

**N-2 LIST OF SOCIAL WELFARE CENTRES :-****WESTERN RAILWAY**

Sr.No.	Division	Location
1.	BCT	Matunga Road
2.	BCT	Bandra (West)
3.	BCT	Palli Hill Bandra (West)
4.	BCT	Santacruz converted in crèches
5.	BCT	Vile Parle (East)
6.	BCT	Andheri (East)
7.	BCT	Borivalli (East)
8.	BCT	Valsad
9.	BCT	Mumbai Central
10.	BCT	Bandra (East)
11.	BVP	Junagadh
12.	BVP	Porbandur
13.	BVP	Botad
14.	BVP	Jetalsar
15.	DHD	Railway colony D site

**N-3 LIST OF BAL MANDIRS (WESTERN RAILWAY) :-**

Sr.No.	Division	Location
01.	BCT	Bandra(West) in Social Welfare Centre
02.	BCT	Vile Parle(East) in Social welfare centre
03.	BCT	Valsad
04.	RTM	Railway Colony
05.	RJT	RJT colony now run by WRWSSC
06.	BVP	Porbunder
07.	BVP	Jetalsar
08.	BVP	BVP Railway colony
09.	DHD	Railway Colony D site

एन-4 पालनाघर की सूची- पश्चिम रेलवे :-

कम सं.	मंडल	स्थान
01.	मुंबई	सांताक्रुज- पूर्व
02.	मुंबई	मंरेप्र-कार्यालय के समीप
03.	वडोदरा	प्रताप नगर
04.	अहमदाबाद	साबरमती कालोनी

एन-5 सामुदायिक केन्द्र/ हॉल की सूची :-

कम सं.	मंडल	स्थान
01.	मुंबई	वलसाड
02.	वडोदरा	नवा यार्ड
03.	वडोदरा	वडोदरा स्टेशन
04.	वडोदरा	नडियाद लोको शेड
05.	वडोदरा	गोधरा
06.	अहमदाबाद	साबरमती
07.	अहमदाबाद	गांधीधाम
08.	अहमदाबाद	मणीनगर
09.	रतलाम	उज्जैन
10.	रतलाम	ईन्दौर
11.	रतलाम	रतलाम
12.	रतलाम	चित्तौडगढ़(प्रस्तावित)
13.	राजकोट	हापा
14.	राजकोट	राजकोट
15.	भावनगर	वेरावल
16.	भावनगर	पोरबंदर

एन-6 पश्चिम रेलवे स्कूल की सूची :-

क्रम सं.	मंडल	स्कूल का नाम	माध्यम	कक्षा कहाँ से कहाँ तक
1	रतलाम	रेलवे हायर सेकन्डरी स्कूल	हिंदी	01से 12
2	मुंबई सेंट्रल	रेलवे सेकन्डरी स्कूल	अंग्रेजी	01से 10
3	भावनगर	रेलवे सेकन्डरी स्कूल	अंग्रेजी	08से 10
4	दाहोद	रेलवे सेकन्डरी स्कूल	हिंदी/गुजराती	05से 10
5	दाहोद	रेलवे प्राइमरी स्कूल	गुजराती	01से 04
6.	भावनगर	रेलवे प्राइमरी स्कूल	गुजराती	01से 08
7.	राजकोट	रेलवे प्राइमरी स्कूल (केसी)	गुजराती	01से 08
8.	राजकोट	रेलवे प्राइमरी स्कूल (एल सी)	गुजराती	01से 04
9.	अहमदाबाद	रेलवे प्राइमरी स्कूल ( हापा)	गुजराती	01से 04
10.	वडोदरा	रेलवे प्राइमरी स्कूल -गोधरा	गुजराती	01से 04
11.	वडोदरा	रेलवे प्राइमरी स्कूल - दभोई	गुजराती	01से 04
12.	मुंबई सेंट्रल	रेलवे प्राइमरी स्कूल- उधना	गुजराती	01से 07

**N-4 LIST OF CRÈCHES (WESTERN RAILWAY) :-**

Sr. No.	Division	Location
01.	BCT	Sataacruz (East)
02.	BCT	Near DRM Office BCT
03.	BRC	PRTN
04.	ADI	Sabarmati Colony

**N-5 LIST OF COMMUNITY HALLS (WESTERN RAILWAY) :-**

Sr.No.	Division	Location
01.	BCT	Valsad
02.	BRC	BRCY-Vadodara Nava Yard
03.	BRC	BRCP- Vadodara Station
04.	BRC	Nadiad Loco shed
05.	BRC	Godhara
06.	ADI	Sabarmati
07.	ADI	Gandhidham
08.	ADI	Maninagar
09.	RTM	Ujjain
10.	RTM	Indore
11.	RTM	RTM
12.	RTM	Chittorgadh (Proposed)
13.	RJT	Hapa
14.	RJT	RJT
15.	BVP	Veraval
16.	BVP	Porbandar

**N-6 LIST OF RAILWAY SCHOOLS (WESTERN RAILWAY) :-**

Sr.No.	Division	Name of school	Medium	Standard From TO
01.	RTM	RHSS	Hindi	01 to 12
02.	BCT	RSS	English	01 to 10
03.	BVP	RSS	English	08 to 10
04.	DHD	RSS	Hindi & Gujarati	05 to 10
05.	DHD	RPS	Gujarati	01 to 04
06.	BVP	RPS	Gujarati	01 to 08
07.	RJT	RPS(KC)	Gujarati	01 to 08
08.	RJT	RPS(LC)	Gujarati	01 to 04
09.	ADI	RPS-Hapa	Gujarati	01 to 04
10.	BRC	RPS-Godhara	Gujarati	01 to 04
11.	BRC	RPS-Dabhoi	Gujarati	01 to 04
12.	BCT	RPS-Udhana	Gujarati	01 to 07

एन-7 सीनियर एवं जूनियर रेलवे इन्सटीट्यूट की सूची:- (पश्चिम रेलवे) :-

क्रम सं.	मंडल	स्थान	
		जूनियर इन्सटीट्यूट	सिनियर इन्सटीट्यूट
1.	मुंबई	मुंबई सेंट्रल	--
2.	मुंबई	बान्द्रा	--
3.	मुंबई	बलसाड	बलसाड
4.	मुंबई	उधना	--
5.	मुंबई	सूरत	--
6.	मुंबई	--	सांताक्रूज
7.	वडोदरा	--	प्रतापनगर
8.	वडोदरा	भरुच	--
9.	वडोदरा	नवायार्ड	--
10.	वडोदरा	गोधरा	--
11.	अहमदाबाद	--	कंकारिया
12.	अहमदाबाद	साबरमती (नया)	--
13.	अहमदाबाद	साबरमती(पुराना)	--
14.	अहमदाबाद	मेहसाना	--
15.	अहमदाबाद	गांधीधाम	--
16.	रतलाम	रतलाम	रतलाम
17.	रतलाम	निमच	--
18.	रतलाम	उजैन	--
19.	राजकोट	हापा	--
20.	राजकोट	--	राजकोट
21.	राजकोट	वांकांनर	--
22.	भावनगर	--	भावनगर
23.	भावनगर	जैतलसर	--
24.	भावनगर	बोटाद	--
25.	भावनगर	--	जूनागढ
26.	लोअरपरेल कारखाना	--	लोअरपरेल
27.	दाहोद कारखाना	डी साईट	सी साईट

एन-8 सांस्कृतिक एवं कला संगठन की सूची:- (पश्चिम रेलवे):-

क्रम सं.	मंडल	स्थान
01.	मुख्यालय चर्चगेट	मुख्यालय चर्चगेट
02.	मुंबई	मुंबई मंडल
03.	लोअरपरेल	लोअरपरेल व महालक्ष्मी
04.	वडोदरा	वडोदरा मंडल
05.	रतलाम	रतलाम मंडल
06.	अहमदाबाद	अहमदाबाद मंडल साबरमती
07.	भावनगर	भावनगर मंडल
08.	राजकोट	राजकोट मंडल
09.	प्रतापनगर	प्रतापनगर कारखाना
10.	भावनगर कारखाना	भावनगर कारखाना
11.	दाहोद कारखाना	रेलवे कालोनी

**N-7 LIST OF SENIOR & JUNIOR INSTITUTES (WESTERN RAILWAY) :-**

Sr.No.	Division	Location	
		Junior Institute	Senior Institute
01.	BCT	Mumbai Cental	--
02.	BCT	Bandra	
03.	BCT	Valsad	Valsad
04.	BCT	Udhana	--
05.	BCT	Surat	
06.	BCT	--	Santacruz
07.	BRC	--	Pratapnagar
08.	BRC	Bharuch	--
09.	BRC	Nava Yard	--
10.	BRC	Godhara	--
11.	ADI	--	Kankaria
12.	ADI	Sabarmati (Old)	--
13.	ADI	Sabrmati (New)	--
14.	ADI	MEH	--
15.	ADI	Gandhidham	--
16.	RTM	RTM	RTM
17.	RTM	Neemach	--
18.	RTM	Ujjain	--
19.	RJT	--	RJT
20.	RJT	Hapa	--
21.	RJT	Wankaner	--
22.	BVP	--	BVP
23.	BVP	Jetalsar (JLR)	--
24.	BVP	Botad	--
25.	BVP	--	Junagadh
26.	PL-Workshop	--	Lower Parel
27.	DHD workshop	D site	C site

**N-8 LIST OF FINE ARTS CENTRES /ASSOCIATIONS (WESTERN RAILWAY) :-**

Sr. No.	Division/Unit	Location
01.	HQ-CCG	HQ-CCG
02.	BCT	BCT Division
03.	PL	PL & MX workshop
04.	BRC	BRC Division
05.	RTM	RTM Division
06.	ADI	ADI Division (SBI)
07.	BVP	BVP Division
08.	RJT	RJT Division
09.	PRTN	PRTN W/shop
10.	BVP workshop	BVP W/shop
11.	DHD workshop	Railway colony D site

## कर्मचारी हितनिधि STAFF BENEFIT FUND

वर्ष 20 -20 के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति नवीकरण / नए आवेदन केवल जिन रेल कर्मचारी के ग्रेड पे रु. 1900/- या अधिक के लिए (लडके / लडकी के लिए)

Application form for NEW/RENEWAL of Scholarship for the year 20 -20 of wards of Railway

Employees whose Grade pay Rs. 1900/- & above only (For Boys /Girls)

(पूर्व के वर्ग 'ग' कर्मचारी के लिए For Erstwhile Group 'C' Staff only)

## भाग - अ Section - A कर्मचारी का विवरण Employee details:

- 1) कर्मचारी का नाम : (स्पष्ट अक्षरों में)-----  
Name of the employee (in BLOCK LETTERS) -----
- 2) पदनाम :-----पीएफ /प्रान सं.-----  
Designation -----PF/PRAN No -----
- 3) विभाग :-----कार्य स्थल /स्टेशन-----  
Department-----Station of working-----
- 4) किस के तहत कार्यरत -----पे बिल यूनिट सं.-----  
Working under-----Pay bill Unit No-----
- 5) पे बिल यूनिट Pay sheet preparing Unit-----
- 6) मंडल /यूनिट का नाम Name of Division/Unit-----
- 7) पे बैंड Pay Band-----ग्रेड पे Grade Pay-----मूल वेतन Basic Pay-----
- 8) क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य जाति के हो Whether belongs to SC/ST/OBC/GEN:-----
- 9) क्या पहली बार नये के लिए या नवीनीकरण या दूसरी या अधिक बार के लिए आवेदन किया : -----  
Whether applied for New. (1<sup>st</sup> time) / Renewal(2<sup>nd</sup> or more time) : -----
- 10) यदि नवीकरण है, पिछले वर्ष की स्वीकृत राशि If renewal, then specify last time amount sanctioned: -----
- 11) संपर्क संख्या Contact No. रेलवे Rly.:----- (मो. M) ----- (दूरभाष Land line) -----

## भाग - ब Section - B - बच्चों का विवरण Details of children.

- 1 छात्र/बच्चे का नाम Name of the student / Ward -----
- 2 कर्मचारी से संबंध Relationship with the employee -----
- 3 सुविधा पास के पात्र है या नहीं Whether eligible for passes or not -----
- 4 क्या शादीशुदा है या अविवाहित Whether married or unmarried -----
- 5 कॉलेज /संस्था का नाम जहाँ पढ़ रहा/रही है Name of college/Institute where studying-----
- 6 पाठ्यक्रम की अवधि Total duration of course-----वर्ष Years-----सेमीस्टर Semesters-----



कर्मचारी हित निधि

प्रपत्र

**FORMS OF  
STAFF BENEFIT FUND**

- 7 पाठ्यक्रम का नाम Name of the course-----
- 8 पाठ्यक्रम की स्थिति Stage of study during वर्ष year 20\_\_ - 20\_\_ :-----
- 9 पाठ्यक्रम के अंत में जारी होनेवाली डिग्री /डिप्लोमा का नाम Name of Degree/Diploma certificate awarded on completion of course by the University -----
- 10 क्या यह डिग्री /पोस्ट ग्रेजुयेट /डिप्लोमा का कोर्स है Whether it is Degree/Post graduate/Diploma Course-----
- 11 क्या रेलवे छात्रालय में रहते हैं Whether staying in Rly. subsidized hostel-----
- 12 यदि हाँ, छात्रालय का नाम If yes the name of the hostel-----
- 13 पिछले वर्ष जिस कॉलेज / संस्था में दाखिला लिया था उसका नाम Name of College/Institute attended last year----- अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा  
Name of last exam passed-----
- 14 कुल प्राप्त अंक Total marks obtained -----कुल अंक म से Out of-----  
कुल प्राप्त अंक Total marks obtained -----कुल अंक म से Out of-----
- (यदि सेमीस्टर पध्दति है तो प्रत्येक को अलग दशाये  
In case of Semester system, please mention marks of each semester separately )
- 15 अंको के प्रतिशत Percentage of marks-----
- 16 क्या वार्षिक एवं तमाम सेमीस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण है -----  
Whether result declared passed in all Semester/Annual Exam.-----

## नोट NOTE

- i) स्कूल / कॉलेज / गेजेटेड अधिकारी द्वारा सत्यापित, उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की प्रति Copy of passing mark sheet attested by School/College authority/ Gazatted Officer -----
- ii) बच्चे की छात्रवृत्ति लेने पर छात्रालय का खाने का (मेस) चार्ज पूरा वसूला जायेगा In the event of ward being given scholarship; full messing charges are liable to be recovered by the Rlys. मंजूर है / Agreed
- iii) आपने इस बच्चे के लिए कॉलेज / राज्य / वेरेमससक से कोई छात्रवृत्ति ली है Have you applied for scholarship or Merit scholarship for this student from College /State / WRWSSC हाँ / नहीं yes /No-----
- iv) यदि इस बच्चे के लिए अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति मिल रही हो तो, उसकी वार्षिक राशि का पूरा विवरण Is the candidate already getting scholarship from any other source, if so give full details mentioning the amount of scholarship per annum Rs. -----, यदि वेरेमससक ने छात्रवृत्ति स्वीकृत की हो तो क.हितनिधी की राशि को पुनः जमा कराये If the scholarship is sanctioned by WRWSSC then remit the scholarship received by SBF to आरएसबीएफ के शीर्ष RSBF Head सं. No 00812109

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है. Certified that the information given by me is correct. यदि कोई अनियमितता या सत्यता छुपाई हो तो मैं अनुशासनिक कार्यवाही के पात्र रहूंगा / रहूंगी एवं स्वीकृत छात्रवृत्ति को पुनःलौटाऊंगा / लौटाऊंगी In the event of any irregularity or concealment of fact, I will render myself liable for DAR action and refund the scholarship if sanctioned & received.

संलग्न Encl- एसएससी / एचएससी / ग्रेजुएशन की अंकतालिका की सत्यापित प्रति प्राथमिक स्तर पर या गतवर्ष के पास किये पाठ्यक्रम की अंकतालिका की सत्यापित प्रति जो भी लागू हो Attested copies of SSC/HSC/ Graduation mark sheet at initial stage & passing mark sheets of relevant year whichever is applicable.

कर्मचारी के हस्ताक्षर Sign of the employee -----

दिनांक Date:

### भाग -ग - कार्यालय उपयोग के लिए Section – C - for Official Use

#### 1. अग्रेषित करनेवाले यूनिट प्रभारी के लिए for Unit In-charge Forwarding official

It is certified that all above particulars of the employee are verified by me & found correct.

प्रमाणित किया जाता है कि, कर्मचारी का विवरण मेरे द्वारा जांचा गया है एवं सही है ,

यूनिट प्रभारी के हस्ताक्षर Unit In-charge -----दिनांक Date

यूनिट प्रभारी का नाम Unit In-charge -----पदनाम Designation-----

दिनांक Date:

मोहर Seal

#### 2. मुख्यालय को अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के लिए For Forwarding official to Headquarter:

कर्मचारी ने चेक लीस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न किये हैं , एवं राशि रु -----का पात्र है ।

Employee has submitted all required documents as per check list & eligible for amount Rs. -----.

प्रकरण केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के निर्णय के लिए अग्रेषित की जाती है ।

Case forwarded to Central Staff Benefit Fund Committee for decision.

कर्मचारी हितनिधि लिपिक निरीक्षक के हस्ताक्षर  
Signature of dealing SBF clerk/inspector

कार्मिक /अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of Personnel /forwarding Officer

नाम Name

नाम Name

पदनाम Designation

पदनाम Designation

मंडल /कारखाना Division/workshop

कार्यालय संपर्क सं. Office contact No.

कार्यालय मोहर Office seal

दिनांक Date:

क.हि.नो.-सदस्य क.हि.नो.-सदस्य क.हि.नो.-सदस्य क.हि.नो.-सदस्य क.हि.नो.-सचिव क.हि.नो.-अध्यक्ष  
SBF Member SBF Member SBF Member SBF Member SBF Secretary Chairman-SBF  
वेरेएयूWREU वेरेएयूWREU वेरेमसंWRMS वेरेमसंWRMS

पश्चिम रेलवे से छात्रवृत्ति पाने के लिए कॉलेज / संस्था के प्रमुख द्वारा प्रमाणित करने का प्रपत्र  
Form to be certified by Head of the College/ Institution For claiming Scholarship from Western Railway  
(नोट - प्रपत्र में किसी भी प्रकार की काट छोट करने पर आवेदन को निरस्त किया जायेगा।)

Note (Alteration/deletions in the Performa will lead to rejection)

प्रमाणित किया जाता है कि Certified that श्री /कुमारी Master/ Miss -----  
पुत्र /पुत्री son/daughter of श्री /श्रीमान Shri/Smt-----  
इस कॉलेज / संस्था का सही छात्र / छात्रा है is bonafide student of this Institute/College जो कि एआईसीटीई मान्यताप्राप्त and  
this institute/college is recognized by AICTE/ affiliated to the state of-----  
-----राज्य से संलग्न है एवं परीक्षाएँ महाविद्यालय / बोर्ड द्वारा आयोजित की  
जाती हैं and examinations are conducted by the university / Board of -----  
यह पूर्णकालीक पाठ्यक्रम है एवं यह अल्पकालीक या पत्राचार पाठ्यक्रम नहीं है This is full time course and not part time course  
or correspondence course.

छात्र / छात्रा का विवरण रिकार्ड अनुसार Particulars of this student as per record are as under:

- 1 पाठ्यक्रम का पूरा नाम Name of course (In full) -----
- 2 प्रारम्भ प्रवेश दाखिले की तारीख Date of initial admission-----
- 3 अध्ययन की स्थिति Stage of study during वर्ष year 20\_\_ - 20\_\_ :-----वर्ष year-----सेमेस्टर semester
- 4 पाठ्यक्रम की कुल अवधि Total duration of course-----
- 5 शैक्षणिक सत्र Academic session वर्ष Year 20\_\_ -20\_\_ : शुरुआत starts कब से from-----कब तक to-----
- 6 अ a) क्या छात्रवृत्ति या अन्य आर्थिक सहायता कॉलेज या राज्य से मिल रही है whether in receipt of scholarship/stipend or any monetary assistance from College / State Govt. -----  
ब b) प्रति वर्ष प्राप्त कुल छात्रवृत्ति की राशि Total amount of Scholarship received per annum Rs.-----  
क c) कौनसे वर्ष से नियमित रूप से मिल रही है Year from which regularly getting -----  
ड d) ग्रेड प्रणाली हो तो प्रत्येक सेमेस्टर /वर्षिक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंक In case of grade system is certified that ward has got marks in each semester / annual Exam -----

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त छात्र/छात्रा का विवरण कॉलेज /संस्था के प्राधिकारी ने जांचा है एवं सही पाया है It is certified that all the above particulars of above student are verified by College Authority and found correct.

कॉलेज / संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर Signature of the Head of college/ Institute

नाम Name : \_\_\_\_\_

पदनाम Designation: \_\_\_\_\_

कॉलेज की मोहर Collage Seal

स्थल Place :

दिनांक Date

## जांच सूची CHECK LIST

### (1) छात्रवृत्ति प्रथमबार के लिए For NEW (First Time) Scholarship

- a) चिकित्सा, तकनीकी एवं नियुक्ति/प्रवेश परीक्षा से कॉलेज में दाखिला लेनेवाले के लिए प्रतिशत की कोई पाबंदी नहीं है। जैसे की, गुजरात, एआईईईई, एमईटी, गेट आदी No percentage barrier for Medical, Technical & admission seeking through competitive examinations & Entrance test i.e. GUJCAT, AIEEE, MET, GATE, etc.
- b) गैर तकनीकी एवं अन्य कोर्स में दाखिला लेनेवाले डिग्री पाठ्यक्रम के लिए एचएससी में / मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम के लिए डिग्री में 60 % अंक जरूरी है एवं सत्यापित प्रति संलग्न करें। Non Technical & other courses when seeking admission in courses - 60% and above marks in HSC for graduate courses & in Graduation for Master courses. Proof of marks to be attached.

### (2) छात्रवृत्ति के नवीकरण (दूसरीबार एवं तत्पश्चात) के लिए For RENEWAL (Second & subsequent time) of Scholarship

- अ A अधिसूचना में दर्शाए गए किसी भी पाठ्यक्रम के संशोधन नहीं है। No rider for any of the courses as indicated in the Notification.
- ब B छात्र ने अगले उच्च शैक्षणिक वर्ष में दाखिला लिया होना चाहिए The student must get admission in the next higher education class.
- क C अंकतालिका में ग्रेड/पॉइंट के प्रकरण में कॉलेज प्राधिकारी से अनुबंध में स्पष्ट अंक अंकित करवाए अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। In case of grade /point system in marksheet Collage Authority has to certify the percentage of marks in Annexure A without which application will not be considered.
- ड D यदि कर्मचारी दूसरे एवं तत्पश्चात वर्ष में नये छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते है तो उन्हें एचएससी एवं गतवर्ष की पास होने की अंकतालिका संलग्न करनी होगी। If employee applies for second & subsequent year as new then attach mark sheet of HSC & last year passing.
- ई E यदि सेमास्टर पध्दती है तो, दोनो सेमास्टर की अंकतालिका संलग्न करनी होगी। In case of Semester system, please enclose mark sheet of both the semester.
- फ F फीस की रसीद संलग्न करना नहीं है। No fees receipt to be attached.
- ग G कर्मचारी को चाहिए की आवेदन के साथ पासिंग /ए टी के टी अंक तालिका की सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए। अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवश्यक निम्न अंकतालिका संलग्न किये बिना प्रकरण स्वीकार्य नहीं होगा Employee has to submit all required attested copies of passing /ATKT mark sheet with application, without which case will not be considered. Copies of following mark sheets are to be submitted.

पाठ्यक्रम की स्थिति Stage of study	संलग्न करनेवाली अंकतालिका Mark sheets to be produced
प्रथम वर्ष Ist year	एचएससी की अंकतालिका जिसके आधार पर डिग्री / डिप्लोमा (12वीं बाद) पाठ्यक्रम में दाखिला लिया हो HSC mark sheet for Graduation/Diploma (after 12 <sup>th</sup> ) course on basis of which admission is sought
द्वितीय वर्ष IInd year	I व II सेमास्टर / प्रथम वर्ष की अंकतालिका I & II Semester mark sheets/annual mark sheet of Ist year
तृतीय वर्ष IIIrd year	III व IV सेमास्टर / द्वितीय वर्ष की अंकतालिका III&IV semesters mark sheets/Annual mark sheet of IInd year
चतुर्थ वर्ष IV th year	V व VI सेमास्टर / तृतीय वर्ष की अंकतालिका V&VI semesters mark sheets/Annual mark sheet of IIIrd year
पंचम वर्ष Vth year	VII व VIII सेमास्टर / चौथे वर्ष की अंकतालिका VII&VIII semesters mark sheets/Annual mark sheet of IVth year

**कर्मचारी हितनिधि STAFF BENEFIT FUND**

वर्ष 20\_\_ -20\_\_ के लिए बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

(जिन रेल कर्मचारी के ग्रेड पे 1800/- या कम हो) वे उनके (लड़के के लिए /लड़की के लिए)

Application form for Scholarships for the Year 20\_\_ - 20\_\_ for higher education

(of Girl/Male children of Rly employees in grade pay Rs. 1800/-and below)

(पूर्व के वर्ग 'ध' कर्मचारी के लिए - चाहे उच्च ग्रेड पे में एमएसीपी में दिया गया हो )

(For Erstwhile Group 'D' Staff only- even higher GP issued in MACPS)

(छात्रवृत्ति राशि Scholarship Amount : लड़का Male Child @ Rs. 1000/- प्र.मा. pm

लड़की Girls child @ Rs. 1200/- प्र.मा. pm

**भाग - क Section - A कर्मचारी का विवरण Employee details :**

01. कर्मचारी का नाम :-----  
Name of the employee (in BLOCK LETTERS)-----
02. पदनाम :-----पीएफ /प्रान सं.-----  
Designation-----PF/PRAN No-----
03. विभाग :-----कार्य स्थल /स्टेशन-----  
Department-----Station of working-----
04. किस के अधीन कार्यरत -----पे बिल यूनिट सं.-----  
Working under-----Pay bill Unit No-----
05. पे बिल बनानेवाली यूनिट Pay sheet preparing Unit-----
06. मंडल /यूनिट का नाम Name of Division/Unit-----
07. पे बैंड Pay Band-----ग्रेड पे Grade Pay-----मूल वेतन Basic Pay-----
08. क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य जाति के हो Whether belongs to SC/ST/OBC/GEN:-----
09. क्या पहली बार के लिए या नवीकरण /दूसरी या अधिक बार के लिए आवेदन किया : -----  
Whether applied for New (1<sup>st</sup> time) / Renewal(2<sup>nd</sup> or more time) :-----
10. यदि नवीनीकरण है, पिछले वर्ष की स्वीकृत राशि If renewal, then specify last time amount sanctioned: ---
11. संपर्क Contact No.रेलवे Rly.:----- (मो. M)----- (दूरभाष Land line)-----

भाग - ब Section - B - लडके / लडकी का विवरण Details of Girl / Male child.

01. लडके / लडकी का नाम Name of the Girl/Male child -----
  02. कर्मचारी से संबंध Relationship with the employee -----
  03. बैंक का पता Bank Address-----  
-----
  04. बैंक का नाम व कोड जहाँ लडके / लडकी के नाम खाता खोला हो Name of bank & code in which girl /Male child's account is open -----
  05. लडका / लडकी के नाम का बैंक का खाता क्रमांक Bank Account No of girl/Male child-----
  06. कॉलेज / संस्था का नाम जहाँ दाखिला लिया है Name of college/Institute where admitted -----
  07. पाठ्यक्रम की अवधि Total duration of course-----वर्ष Years-----सेमीस्टर Semesters I
  08. पाठ्यक्रम का नाम Name of the course-----
  09. पाठ्यक्रम की स्थिति Stage of study during वर्ष year 20\_\_\_ - 20 \_\_\_:-----
  10. पाठ्यक्रम के अंत में जारी होनेवाली डिग्री / डिप्लोमा का नाम Name of Degree/Diploma certificate awarded on completion of course by the University -----
  11. क्या यह डिग्री / पोस्ट ग्रेजुयेट डिप्लोमा का पाठ्यक्रम है Whether it is Degree/Post graduate/Diploma Course-
  12. क्या रेलवे छात्रालय में रहते हैं Whether admitted in Rly. subsidized hostel-----
  13. यदि हाँ, छात्रालय का नाम If yes the name of the hostel-----
  14. गत वर्ष जिस कॉलेज / संस्था में दाखिला लिया था उसका नाम Name of College/Institute attended last year---
  15. अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा Name of last exam passed-----
  16. प्राप्त अंक Total marks obtained -----कुल अंक म से Out of-----  
प्राप्त अंक Total marks obtained -----कुल अंक म से Out of-----
- (यदि सेमीस्टर पध्दति है तो प्रत्येक को अलग दर्शायें In case of Semester system, please mention marks of each semester separately )
17. अंको का प्रतिशत Percentage of marks-----
  18. क्या वार्षिक एवं तमाम सेमीस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण है -----  
Whether result declared passed in all Semester/Annual Exam.-----

## नोट NOTE

- i) लडका / लडकी जो उच्च शिक्षा ले रहे है उनके लिए छात्रवृत्ति के लिए अंक की कोई सीमा / रोक नहीं है ।  
Girl/Male child is being studying in higher education & no restriction of any Marks for scholarship.
- ii) स्कूल / कॉलेज / गेजेंटेड अधिकारी द्वारा सत्यापित, उतीर्ण / ए टी के टी अंकतालिका की प्रति Copy of passing/ATKT mark sheet attested by School/College authority/ Gazetted Officer -----  
-----
- iii) बच्चों की छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने पर छात्रालय का खाने का (मेस) चार्ज पूरा वसूला जायेगा In the event of ward being given scholarship; full messing charges are liable to be recovered by the Rlys. मुजूर है / Agreed
- iv) आपने इस बच्चे के लिए कॉलेज / राज्य / वेरेमससक से कोई छात्रवृत्ति ली है Have you applied for scholarship or Merit scholarship for this student from College /State / WRWSSC हाँ / नहीं yes /No-----
- iv) यदि इस बच्चे के लिए कई अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति मिल रही हो तो, उसकी वार्षिक राशि का पूरा विवरण Is the candidate already getting scholarship from any other source, if so give full details mentioning the amount of scholarship per annum Rs.-----, यदि वेरेमससक ने छात्रवृत्ति स्वीकृत की हो तो क.हितनिधी की राशी को पुनः जमा करायें If the scholarship is sanctioned by WRWSSC then remit the scholarship received by SBF to आरएसबीएफ के शीर्ष RSBF Head सं. No 00812109

प्रमाणित किया जाता है कि दी गई मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है. Certified that the information given by me is correct. इसके वावजूद कोई अनियमितता या सत्यता छुपाई हो तो मैं अनुशासनिक कार्यवाही के पात्र रहूँगा एवं स्वीकृत छात्रवृत्ति को पुनः लौटाऊंगा / लौटाऊगी In the event of any irregularity or concealment of fact, I will render myself liable for DAR action and refund the scholarship if sanctioned & received.

संलग्न Encl- 1. एसएससी / एचएससी / ग्रेज्युएट की अंकतालिका की सत्यापित प्रति प्राथमिक स्तर पर या गतवर्ष के पास किये पाठ्यक्रम की अंकतालिका की सत्यापित प्रति Attested copies of SSC/HSC/ Graduation mark sheet at initial stage & passing mark sheets of relevant year whichever is applicable.

2. लडके / लडकी के बैंक चैक एवं पासबुक की सत्यापित प्रति जिस पर खाता क्रमांक अंकित हो ।  
Attested Xerox copy of Bank Cheque and Bank Pass Book of Girl/Male child for A/C No. reference.
3. गतमाह की पे स्लीप की सत्यापित प्रति पे बैंड / पदनाम की जांच हेतु  
Attested Xerox copy of latest Pay Slip for Pay Band & designation reference.

कर्मचारी के हस्ताक्षर Sign of the employee

दिनांक Date:



भाग - ग - कार्यालय उपयोग के लिए Section - C - for Official Use

1. अनुभाग प्रभारी से अग्रेषित करनेवाले के अधिकारी के लिए for Unit In-charge Forwarding official

It is certified that all above particulars of the employee are verified by me & found correct.  
प्रमाणित किया जाता है कि, कर्मचारी का विवरण मेरे द्वारा जांचा गया है एवं सही है ,

अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर Signature of Unit In-charge -----दिनांक Date

अनुभाग प्रभारी का नाम Unit In-charge -----पदनाम Designation-----

दिनांक Date:

मोहर Seal

2. मुख्यालय को अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के लिए for Forwarding official to Headquarter:

कर्मचारी ने चेक लीस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न किये हैं, एवं राशि रु -----का पात्र है।

Employee has submitted all required documents as per check list & eligible for amount Rs. -----

प्रकरण केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के निर्णय के लिए अग्रेषित की जाती है।

Case forwarded to Central Staff Benefit Fund Committee for decision.

कर्मचारी हितनिधि निरीक्षक /लिपिक के हस्ताक्षर  
Signature of dealing SBF clerk/inspector

कार्मिक /अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of Personnel /forwarding Officer

नाम Name

नाम Name

पदनाम Designation

पदनाम Designation

मंडल /कारखाना Division/workshop

कार्यालय संपर्क सं. Office contact No.

कार्यालय मोहर Office seal

दिनांक Date:

क.हि.नो.-सदस्य क.हि.नो.-सदस्य क.हि.नो.-सदस्य क.हि.नो.-सदस्य क.हि.नो.-सचिव क.हि.नो.-अध्यक्ष  
SBF Member SBF Member SBF Member SBF Member SBF Secretary Chairman-SBF  
वेरेएयुWREU वेरेएयुWREU वेरेमसWRMS वेरेमसWRMS

पश्चिम रेलवे से छात्रवृत्ति पाने के लिए कॉलेज / संस्था के प्रमुख द्वारा प्रमाणित करने का प्रपत्र  
Form to be certified by Head of the College/ Institution For claiming Scholarship from Western Railway

- (नोट - प्रपत्र में किसी भी प्रकार की काट छोट करने पर आवेदन को निरस्त किया जायेगा।

Note (Alteration/deletions in the Performa will lead to rejection)

प्रमाणित किया जाता है कि Certified that श्री /कुमारी Master/ Miss -----  
पुत्र /पुत्री son/daughter of श्री /श्रीमान Shri/Smt-----  
इस कॉलेज / संस्था का सही छात्र / छात्रा है is bonafide student of this Institute/College जो कि एआईसीटीई मान्यताप्राप्त and  
this institute/college is recognized by AICTE/ affiliated to the state of-----  
-----राज्य से संलग्न है एवं परीक्षाएँ महाविद्यालय / बोर्ड द्वारा आयोजित की  
जाती हैं and examinations are conducted by the university / Board of -----  
यह पूर्णकालीक पाठ्यक्रम है एवं यह अल्पकालीक या पत्राचार पाठ्यक्रम नहीं है This is full time course and not part time course  
or correspondence course.

छात्र / छात्रा का विवरण रिकार्ड अनुसार Particulars of this student as per record are as under:

- 1 पाठ्यक्रम का पूरा नाम Name of course (In full) -----
- 2 प्रारम्भ प्रवेश दाखिले की तारीख Date of initial admission-----
- 3 अध्ययन की स्थिति Stage of study during वर्ष year 20\_\_ - 20 \_\_:-----वर्ष year-----सेमेस्टर semester
- 4 पाठ्यक्रम की कुल अवधि Total duration of course-----
- 5 शैक्षणिक सत्र Academic session वर्ष Year 20\_\_ -20\_\_ : शरूआत starts कब से from-----कब तक to-----
- 6 अ a) क्या छात्रवृत्ति या अन्य आर्थिक सहायता कालेज या राज्य से मिल रही है whether in receipt of scholarship/stipend or any monetary assistance from College / State Govt. -----  
ब b) प्रति वर्ष प्राप्त कुल छात्रवृत्ति की राशि Total amount of Scholarship received per annum Rs.-----  
क c) कौनसे वर्ष से नियमित रूप से मिल रही है Year from which regularly getting -----  
ड d) ग्रेड प्रणाली हो तो प्रत्येक सेमेस्टर /वार्षिक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंक In case of grade system it is certified that ward has got marks in each semester / annual Exam -----

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त छात्र/छात्रा का विवरण कॉलेज /संस्था के प्राधिकारी ने जांचा है एवं सही पाया है । It is certified that all the above particulars of above student are verified by College Authority and found correct.

कॉलेज / संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर Signature of the Head of college/ Institute.

नाम Name : \_\_\_\_\_

पदनाम Designation: \_\_\_\_\_

कॉलेज की मोहर Collage Seal

स्थल Place :

दिनांक Date

के अवकाश गृह (होली डे होम) के आरक्षण के लिए आवेदन पत्र

APPLICATION FOR RESERVATION OF ACCOMMODATION IN HOLIDAY HOME AT

01. कर्मचारीकानाम/Name of employee -----
02. पदनाम/Designation: -----
03. कार्यस्थल,विभाग,स्टेशन/Place of Work Deptt. Section:
04. सुविधा चाहिए Accommodation Required कब से from \_\_\_\_\_ कब तक to \_\_\_\_\_ दिन Days ( )
05. यदि उपरोक्त दिनांक की अनुपलब्धता की स्थिति में अल्पकालीन/अन्य दिनांक State alternate dates in case accommodation is not available for the dates applied for: कब से From: \_\_\_\_\_ कब तक to \_\_\_\_\_
06. i) क्या कर्मचारी सेवा में है या सेवा निवृत्त Whether employee is serving or retired \_\_\_\_\_  
ii) यदि सेवा निवृत्त है तो सेवानिवृत्ति की दिनांक एवं अन्य विवरण If retired, indicate the date of retirement and other particulars \_\_\_\_\_
07. पूर्व में उपरोक्त होली डे होम की सुविधा ली है, यदि हाँ, तो वर्ष बताये State if accommodation in the above holiday home was availed previously, if 'Yes' state year \_\_\_\_\_
08. नियुक्ति दिनांक Date of appointment: \_\_\_\_\_
09. जन्म तिथि date of birth \_\_\_\_\_
10. क्या उपरोक्त अवधि की छुट्टी स्वीकृत है Wh ether leave is sanctioned for the above period : हाँ / नहीं yes/No
11. मैं प्रमाणित करता हूँ कि, मैं कोई संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं हूँ I hereby certify that I am not suffering from any contagious infectious diseases \_\_\_\_\_
12. घर का पता Home Address: \_\_\_\_\_
13. संपर्क सं. Contact Number: रेलवे Rly. Auto : \_\_\_\_\_ (मोबाईल Mobile) \_\_\_\_\_
14. पास नियम के अंतर्गत परिवार सदस्यों आश्रितों की संख्या  
No. of Family Members/Dependents as per Pass Rule

दिनांक Date :

आवेदक के हस्ताक्षर Signature of the applicant

को अग्रेषित Forwarded to

कृपया बुकिंग सुनिश्चित करें एवं निम्न हस्ताक्षरकर्ता व संबंधित कर्मचारी के पते पर सूचना दें।

Kindly confirm booking & advise confirmation to undersigned & employee at his/her address.

अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम Signature & Designation of the forwarding Officer

के लिए For \_\_\_\_\_

संख्या No. \_\_\_\_\_ दिनांक Date \_\_\_\_\_

रेलवे फोन Rly Phone: \_\_\_\_\_ रेलवे फेक्स सं. Rly Fax No. \_\_\_\_\_

(मोबाईल Mobile No.) \_\_\_\_\_ दूरभाष व फेक्स Land line & Fax No. \_\_\_\_\_

**कर्मचारी हितनिधि पश्चिम रेलवे WESTERN RAILWAY STAFF BENEFIT FUND**  
**भरणपोषण भत्ता के लिए आवेदन पत्र Application form For Maintenance Allowance**

कर्मचारी के रेलवे औषाधालय /अस्पताल में बीमारी के दौरान इलाज कराने पर कर्मचारी हितनीधि से भरणपोषण भत्ता स्वीकृत करने के लिए आवेदन Application form for grant of Maintenance allowance from STAFF BENEFIT FUND during sickness of the employee, subject to he/she is taking treatment from the Railway Dispensary/Hospital.

**भाग - क Section - A कर्मचारी का विवरण Employee details:**

1. कर्मचारी का नाम :-----  
Name of the employee (in BLOCK LETTERS) -----
2. पदनाम :-----पीएफ /प्रान सं.-----  
Designation -----PF/PRAN No -----
3. विभाग :-----कार्य स्थल /स्टेशन-----  
Department-----Station of working-----
4. किस के अधीन कार्यरत -----पे बिल यूनिट सं.-----  
Working under-----Pay bill Unit No-----
5. पे बिल बनानेवाली यूनिट Pay sheet preparing Unit-----
6. मंडल /यूनिट का नाम Name of Division/Unit-----
7. पे बैंड Pay Band-----ग्रेड पे Grade Pay-----मूल वेतन Basic Pay-----
8. क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य जाति के है Whether belongs to SC/ST/OBC/GEN:-----
9. कब से ईलाज चल रहा है Ifrom when treatment is going on -----
10. पिछले दावा का ब्यौरा Details of last/past claim -----
11. संपर्क Contact No. रेलवे Rly.:----- (मो. M) ----- (दूरभाष Land line) -----

**भाग - ख Section - B छुट्टी का विवरण LEAVE PARTICULARS:**

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त कर्मचारी बिना वेतन छुट्टी पर है This is to certify that above employee is on Leave without pay कब से from ----- कब तक To -----

दिनांक Date :

लिपिक छुट्टी विभाग द्वारा प्रमाणित Certified by Clerk, Leave Section

आवेदक का स्थाई पत्ता Permanent address of Applicant :-----  
संपर्क संख्या Contact No. रेलवे Rly.:----- (मो. M) ----- (दूरभाष Land line) -----

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान Signature or thumb impression of the applicant

स्टेशन Station:-----

दिनांक Date:-----

**भाग - ग Section - C (केवल रेलवे चिकित्सक द्वारा भरा जाए To be filled in by Railway Doctor only )**

1. बीमारी का प्रकार Nature of illness \_\_\_\_\_
2. अस्पताल में भर्ती / रेलवे से रेफरल अस्पताल में भेजने की /रेलवे औषाधलय में इलाज शुरू होने की तारीख  
Admitted to Rly. Hospital/recommended by Rly. to referral Hospital/dispensary treatment  
start Dated \_\_\_\_\_
3. अस्पताल से छुट्टी /रेफरल अस्पताल से छुट्टी /रेलवे औषाधलय में इलाज पूर्ण होने की तारीख Discharged from  
Railway Hospital/referral Hospital dated \_\_\_\_\_ या इलाज चालू है or treatment  
continue.
4. रेलवे औषाधलय /अस्पताल में हाजरी दी Attended at the Rly. Hospital /Dispensary कब से from  
\_\_\_\_\_ कब तक to \_\_\_\_\_
5. रेलवे औषाधलय /अस्पताल के चिकित्सक ने स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी किया Declared fit to report for duty by  
the Doctor, Hospital/Dispensary on दिनांक dated \_\_\_\_\_

**नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण तथा सिक और फिट प्रमाणपत्र के अनुसार सही है ।**

**NOTE -Certified that the above facts are true and are according to sick & fit Certificate.**

यदि मरीज की बीमारी का प्रकार ऐसा हो कि उसे रेलवे अस्पताल के अलावा रेफरल अस्पताल में भेजना जरूरी है तो निम्न प्रमाणपत्र रेलवे चिकित्सक द्वारा दिया जाए In case where the disease is of such a nature where the patient has/had to be admitted in a Hospital, other than Railway, the following certificate is required to be filled in by the Medical Officer.

प्रमाणित किया जाता है कि मरीज को आवश्यक चिकित्सा सुविधा रेलवे औषाधलय /अस्पताल में उपलब्ध नहीं है Certified that the medical treatment as required by the patient is not available in a Railway Hospital or Dispensary.

(प्रमाणित किया जाता है कि मरीज बिना वेतन छुट्टी के दौरान रेलवे चिकित्सक के अधीन इलाज में है / था It is certified that patient is/was under Railway Doctor's treatment between LWP)

नोट NOTE: जो लागू न हो उसे काटें Strike off whichever is not applicable.

दिनांक Date :

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर Signature & Seal of Medical Officer

**भाग - घ Section - D -अप्रेषित करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature & Seal of forwarding officer**

कर्मचारी हितनिधि के नियमों के अनुसार दावा सही है /सही नहीं है

Claim is correct / in correct as per SBF terms & condition.

कर्मचारी हितनिधि लिपिक Dealing clerk SBF

दावा Claim of Rs. \_\_\_\_\_ /- का स्वीकृत / अस्वीकृत is approved / Rejected.

क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सचिव क.हि.नी.-अध्यक्ष  
SBF Member SBF Member SBF Member SBF Member SBF Secretary Chairman-SBF  
वेरेएयूWREU वेरेएयूWREU वेरेमसWRMS वेरेमसWRMS

वेतन आदेश संख्या Pay order No. \_\_\_\_\_

दिनांक dated \_\_\_\_\_ को जारी किया issued to \_\_\_\_\_

**कर्मचारी हितनिधि पश्चिम रेलवे WESTERN RAILWAY STAFF BENEFIT FUND**  
**विपत्ति, गंभीरबीमारी में राहत के लिए आवेदन पत्र**

**Application form For Relief of Distress, Serious Sickness**

(केन्सर/कीडनी/एड्स/बायपास / अन्य गंभीर बीमारी के लिए For cancer/kidney/AIDS/Bypass surgery/other serious sickness)

**भाग - क Section - A कर्मचारी का विवरण Employee details:**

1. कर्मचारी का नाम :-----
2. Name of the employee (in BLOCK LETTERS) -----
3. पदनाम :-----पीएफ /प्रान सं.-----
4. Designation -----PF/PRAN No -----
5. विभाग :-----कार्य स्थल /स्टेशन-----
6. Department-----Station of working-----
7. किस के अधीन कार्यरत ----- पे बिल यूनिट सं.-----
8. Working under-----Pay bill Unit No-----
9. पे बिल बनानेवाली यूनिट Pay sheet preparing Unit-----
10. मंडल /यूनिट का नाम Name of Division/Unit-----
11. पे बैंड Pay Band-----ग्रेड पे Grade Pay-----मूल वेतन Basic Pay-----
12. क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य जाति के हैं Whether belongs to SC/ST/OBC/GEN:-----
13. संपर्क नं. Contact No. रेलवे Rly.:----- (मो. M) ----- (दूरभाष Land line)-----

**भाग - ख Section - B मरीज का विवरण Details of patient:**

- 1) मरीज का नाम जिसके लिए मदद मांगी है Name of Patient for whom assistance is sought-----
- 2) कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with the employee-----
- 3) क्या मरीज पास नियम से शसित है ? Whether dependant is covered under pass rule? -----
- 4) बिमारी का नाम Name of disease-----

5. ईलाज का स्थान Place of treatment-----
6. क्या फिलहाल ईलाज चल रहा है Whether still undergoing treatment-----
7. क्या क.हि.नी. से प्रथमबार आर्थिक मदद के लिए आवेदन किया है Whether applying for financial assistance for first time from SBF-----
8. यदि ना, तो पूर्व में प्राप्त राशि का ब्यौरा If not, then details of amount received in past -----

(कृपया चालू मास की पे स्लीप व चिकित्सक का प्रमाणपत्र / दस्तावेज संलग्न करें  
**Kindly enclose current pay slip & doctor's certificate / documents**)

**घोषणा Declaration:** - मैं एततद द्वारा घोषणा कर रहा हूँ / कर रही हूँ कि उपरोक्त भरा गया पूर्ण विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है, फिर भी इसमें यदि कोई अनियमितता पाई जाती है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो अनुशासन व अपील नियम तहत कार्यवाही के लिए पात्र रहूँगा व स्वीकृत राशि पुनः लौटाऊंगा / लौटाऊगी । I hereby declare that all particulars filled in above by me are true and correct to the best of my knowledge and in the event of any irregularity or concealment of fact, I shall render myself liable for DAR action and refund the financial assistance amount, if sanctioned & received.

दिनांक Date

**कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of employees**

**भाग - ग Section – C रेलवे / निजी चिकित्सक द्वारा संस्तुति करना**

**Recommendation of Railway/ Non-Railway Doctor :**

बिमारी का नाम Name of disease-----

-----  
 -----  
 -----  
 -----

रोग का संक्षिप्त में विवरण Brief details of disease:-----

-----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----

रेलवे / निजी चिकित्सक के हस्ताक्षर व मोहर Signature of Railway /non Railway doctor & Seal

चिकित्सक का नाम Name of Doctor:

चिकित्सक का पदनाम Designation of Railway Doctor

कार्य स्थल व मोहर Place of working & seal

दिनांक Date

**भाग -घ - कार्यालय उपयोग के लिए Section - D - for Official Use**

1. अनुभाग प्रभारी अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के लिए for Unit In-charge Forwarding official

प्रमाणित किया जाता है कि, कर्मचारी का विवरण मेरे द्वारा जांचा गया है एवं सही है ,

**It is certified that all above particulars of the employee are verified by me & found correct.**

अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर Unit In-charge -----दिनांक Date

अनुभाग प्रभारी का नाम Unit In-charge -----पदनाम Designation-----

दिनांक Date

मोहर Seal

**2. मुख्यालय को अग्रेषित करनेवाले के लिए for Forwarding official to Headquarter:**

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त ईन्द्राज विवरण सही तरीके से जांचा गया है एवं सही है। यह दावा प्रथमबार ही किया जा रहा है। Certified that all above particulars/ entries have been checked thoroughly and found correct & He / she has claimed amount first time

कर्मचारी राशि रु. -----का पात्र है।

Employee is eligible for amount Rs. -----.

प्रकरण केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के निर्णय के लिए अग्रेषित किया जाता है।

Case forwarded to Central Staff Benefit Fund Committee for decision.

कर्मचारी हितनिधि निरीक्षक/लिपिक के हस्ताक्षर  
Signature of dealing SBF clerk/inspector

कार्मिक /अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of Personnel /forwarding Officer

नाम Name

नाम Name

पदनाम Designation

पदनाम Designation

मंडल /कारखाना Division/workshop

कार्यालय संपर्क नं. Office contact No.

कार्यालय मोहर Office seal

दिनांक Date:

क.हि.नो.-सदस्य क.हि.नो.-सदस्य क.हि.नो.-सदस्य क.हि.नो.-सदस्य क.हि.नो.-सचिव क.हि.नो.-अध्यक्ष  
SBF Member SBF Member SBF Member SBF Member SBF Secretary Chairman-SBF  
वेरेयुWREU वेरेयुWREU वेरेमसंWRMS वेरेमसंWRMS



पश्चिम रेलवे कर्मचारी हितनिधि WESTERN RAILWAY STAFF BENEFIT FUND  
रेल कर्मचारी के शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग विशेष रूप से लड़की को व्यावसायिक  
कुशलता बढ़ाने के लिए आर्थिक मददके लिए आवेदन पत्र वर्ष 20 -20 .

**Application form For Financial Assistance to Physically / Mentally challenged  
wards especially Girl of Railway employee for Training for developing  
occupational skill -Year 20 -20 .**

**भाग - क Section – A कर्मचारी का विवरण Employee details:**

1. कर्मचारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :-----  
Name of the employee (in BLOCK LETTERS) -----
2. पदनाम :----- पीएफ / प्रान सं.-----  
Designation ----- PF/PRAN No -----
3. विभाग :----- कार्य स्थल / स्टेशन-----  
Department----- Station of working-----
4. किस के अधीन कार्यरत ----- पे बिल यूनिट सं.-----
5. Working under----- Pay bill Unit No-----
6. पे बिल बनानेवाली यूनिट Pay sheet preparing Unit-----
7. मंडल / यूनिट का नाम Name of Division/Unit-----
8. पे बैंड Pay Band----- ग्रेड पे Grade Pay----- मूल वेतन Basic Pay-----
9. क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य जाति के हो Whether belongs to SC/ST/OBC/GEN:-----

**भाग - ख Section – B आश्रित का विवरण Details of dependent:**

1. आश्रित का नाम जिसके लिए मदद मांगी है Name of dependent for whom assistance is sought-----
2. कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with the employee-----
3. क्या मरीज पास नियम से शसित है ? Whether dependant is covered under pass rule? -----
4. रोग का प्रकार Name of disease-----
5. मान्य संस्थान का नाम जहाँ से प्रमाणपत्र हासिल किया हो Name of authorized institution From which certificate is obtained-----
6. आश्रित अपंग है या मंदबुद्धि का Dependant is physically handicapped or mentally challenged-----

7. अपंगता के Handicapped %----- मंदबुद्धि के बौद्धिक स्तर Mentally retarded IQ % -----
8. क.हि.नि. से प्रथमबार आर्थिक मदद के लिए आवेदन किया है Whether applying for financial assistance for first time from SBF-----
9. यदि ना, तो गत प्राप्त राशी का ब्यौरा If not, then details of amount received in past -----

संलग्न Encl: 1. प्राधिकृत सरकारी संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ Attested Copies of certificates of Authorized Govt. Institution. 2. व्यावसायिक कुशलता बढ़ानेवाली संस्था या स्कूल का प्रमाण पत्र Certificate of occupation developing institutes / school.

स्थान Place:

दिनांक Date:

**कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of employees**

**भाग - ग - कार्यालय उपयोग के लिए Section - C - for Official Use**

1. **अनुभाग प्रभारी अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के लिए for Unit In-charge Forwarding official**

प्रमाणित किया जाता है कि, कर्मचारी का विवरण मेरे द्वारा जांचा गया है एवं सही है ,

It is certified that all above particulars of the employee are verified by me & found correct.

अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर Unit In-charge -----दिनांक Date

अनुभाग प्रभारी का नाम Unit In-charge -----पदनाम Designation-----

दिनांक Date

मोहर Seal

1. **मुख्यालय को अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के लिए for Forwarding official to Headquarter:**

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त ईन्द्राज विवरण सही तरीके से जांची गई है एवं सही है । कार्यालय रिकार्ड से सत्यापित किया गया है कि उपर्युक्त कर्मचारी ने एस बी एफ से एक मुश्त राशि प्राप्त नहीं किया है । एवं पुत्र एवं पुत्री व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने की विशेष स्कूल /संस्था में नहीं जा रहा /जा रही है तो आवश्यक प्रमाणपत्र संलग्न करें । Certified that all above particulars/ entries have been checked thoroughly and found correct & It has been verified from this office record that above named employee has not obtained one time payment from SBF his/her son/daughter is not going to special school and attached all necessary documents.

कर्मचारी राशि रु. -----का पात्र है ।

Employee is eligible for amount Rs.-----

प्रकरण केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के निर्णय के लिए अग्रेषित किया जाता है ।

Case forwarded to Central Staff Benefit Fund Committee for decision.

कर्मचारी हितनिधि निरीक्षक/लिपिक के हस्ताक्षर  
Signature of dealing SBF clerk/inspector

कार्मिक /अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of Personnel /forwarding Officer

नाम Name

नाम Name

पदनाम Designation

पदनाम Designation

मंडल /कारखाना Division/workshop

कार्यालय संपर्क सं. Office contact No.

कार्यालय मोहर Office seal

दिनांक Date:

पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के शारीरिक /मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की व्यवसायिक कुशलता बढ़ाने के प्रशिक्षण देनेवाली संस्था द्वारा दिये जानेवाले विवरण

Particulars to be furnished by Institution where physically / mentally challenged ward of Western Railway employee is undergoing training:-

1. बच्चे /आश्रित का नाम Name of child/Dependent \_\_\_\_\_
  2. पिता का नाम व उपनाम Father's Name & Surname : \_\_\_\_\_
  3. व्यवसायिक कुशलता बढ़ानेवाले संस्था का नाम जहाँ शारीरिक /मानसिक रूप से विकलांग बच्चे प्रशिक्षण ले रहा है।  
Name of Occupational training Centre in which the Physically /Mentally challenged ward is undergoing training : \_\_\_\_\_
  4. पाठ्यक्रम का नाम Name of course : \_\_\_\_\_
  5. शैक्षणिक सत्र की अवधि Duration of course academic वर्ष year : 20 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
कब से From \_\_\_\_\_ कब तक To \_\_\_\_\_
  6. पाठ्यक्रम के अंत में जारी होनेवाले प्रमाणपत्र का नाम Name of certificate awarded at the end  
\_\_\_\_\_
  7. क्या बच्चा /आश्रित नियमित स्कूल जा रहा है। Whether the child / dependent is attending school regularly : हाँ / नहीं Yes / NO
  8. क्या बच्चा /आश्रित कोई वृत्तिका ले रहे है Whether any stipend is being paid to the ward  
\_\_\_\_\_
- यदि हाँ, तो कितना ? if yes, Then how much? Rs. \_\_\_\_\_

संस्था की मोहर Seal of Institute

संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर Signature of Head of Institute

संस्था के प्रमुख का नाम Name of head of institute-----

पदनाम Designation :

स्थान Place:

दिनांक Date:

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (त.व प्र.)-चर्चगेट द्वारा प्रमाणित Certified by Dy. CMD (T&A) -CCG :

क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सचिव क.हि.नी.-अध्यक्ष  
SBF Member SBF Member SBF Member SBF Member SBF Secretary Chairman-SBF  
वेरेएयूWREU वेरेएयूWREU वेरेमसंWRMS वेरेमसंWRMS

रेल कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत शारीरिक /मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के संबंध में  
उसके जीवित होने का प्रमाण पत्र

Live certificate of Handicapped /Mentally challenged ward from Railway Employee

प्रमाणित किया जाता है कि It is certified that Master /Kumari-----  
पुत्र /पुत्री - Son/Daughter ----- मेरा शारीरिक /मानसिक रूप से  
विकलांग बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है एवं पूर्णतया मुझ पर आश्रित है ।

Is Handicapped /Mentally challenged ward of undersigned who is not going in any special  
School/ regular School & He /She is With me & totally dependent on me. यह आज तक जिवित है  
He/She is alive as on date.

कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of employee

- 1) दो साक्षी का विवरण एवं हस्ताक्षर-----  
साक्षी के हस्ताक्षर / Signature of witness-----  
साक्षी का नाम/Name of witness-----  
साक्षी का पदनाम/ Designation of witness-----  
पी एफ नं./ प्रान नं./ P.F./PRAN No-----  
कार्य स्थल/ Work place-----  
कार्यालय /Office-----
- 2) दो साक्षी का विवरण एवं हस्ताक्षर-----  
साक्षी के हस्ताक्षर / Signature of witness-----  
साक्षी का नाम/Name of witness-----  
साक्षी का पदनाम/ Designation of witness-----  
पी एफ नं./ प्रान नं./ P.F./PRAN No-----  
कार्य स्थल/ Work place-----  
कार्यालय /Office-----

पश्चिम रेलवे कर्मचारी हितनिधि WESTERN RAILWAY STAFF BENEFIT FUNDकृत्रिम अवयव हेतु आर्थिक मदद के लिए आवेदन पत्र

Application form - financial assistance For Artificial Limb from SBF

**भाग - क Section - A कर्मचारी का विवरण Employee details:**

1. कर्मचारी का नाम :(स्पष्ट अक्षरों में)-----  
Name of the employee (in BLOCK LETTERS) -----
2. पदनाम :----- पीएफ /प्रान सं.-----  
Designation -----PF/PRAN No -----
3. विभाग :----- कार्य स्थल /स्टेशन-----  
Department -----Station of working-----
4. किस के तहत कार्यरत ----- पे बिल यूनिट सं.-----  
Working under-----Pay bill Unit No-----
5. पे बिल बनानेवाली यूनिट Pay sheet preparing Unit-----
6. मंडल /यूनिट का नाम Name of Division/Unit-----
7. पे बैंड Pay Band----- ग्रेड पे Grade Pay----- मूल वेतन Basic Pay-----
8. क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य जाति के हो Whether belongs to SC/ST/OBC/GEN:-----

**भाग - ख Section - B विवरण जिसके लिए मदद मांगी है details for which assistance s ought:**

01. कर्मचारी स्वयं का /आश्रित / बच्चे नाम जिसके लिए मदद मांगी है Name of self /ward/dependant for whom assistance is sought:-----
02. कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with the employee-----
03. क्या मरीज पास नियम से शसित है ? Whether dependent is covered under pass rule? -----
04. विच्छेद का प्रकार Type of amputation:-----
05. इलाज का स्थान Place of treatment:-----
06. क्या फिलहाल इलाज चल रहा है Whether still undergoing treatment:-----

- 07 या क.हि.नि. से पूर्व मे मदद मिली है Whether any assistance sought from SBF earlier ( यदि हाँ, कृपया विवरण दिजिए If yes, details pl ) :-----
- 08 पंगता का प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति Attested copy of disability certificate attached (हाँ / नहीं Yes / NO)
- 09 क्या कृत्रिम अवयव शरीर के नीचे के हिस्से से है Whether the artificial limb is for lower part (हाँ / नहीं Yes /NO)
- 10 कंपनी का मूल चालान संलग्न है Original invoice from company enclosed (हाँ / नहीं Yes / NO)
- 11 कृत्रिम अवयव की लागत Cost of Artificial Limb: RS.-----

(कृपया चालू माह की पे स्लीप व चिकित्सक का प्रमाणपत्र / दस्तावेज संलग्न करें

**Kindly enclose current pay slip & doctor's certificate / documents)**

घोषणा Declaration : - मैं घोषणा कर रहा हूँ /रही हूँ कि उपरोक्त भरा गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है, फिर भी यदि कोई त्रुटी पाई जाती है तो अनुशासन व अपील नियम तहत कार्यवाही के लिए पात्र रहूँगा व स्वीकृत राशि पुनः लौटाऊंगा /लौटाउगी। I hereby declare that all particulars filled in above by me are true and correct to the best of my knowledge and in the event of any irregularity or concealment of fact, I will render myself liable for DAR action and refund the financial assistance amount, if sanctioned & received.

संलग्न Encl: 1. प्राधिकृतसरकारी संस्था से प्राप्त प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति Attested Copies of certificates of Authorized Govt. Institution. 2. कंपनी का मूल चालान Original invoice from company.

स्थान Place:

दिनांक Date:

**कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of employees**

**भाग - ग Section - C रेलवे चिकित्सक की सिफारिश Recommendation of Railway Doctor :**

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दशार्थे व्यक्ति के शरीर के नीचे के हिस्से का अवयव का विच्छेद किया गया है It is certified that the above person had amputated the Lower Limb as mentioned above.

**रेलवे चिकित्सक के हस्ताक्षर व मोहर**  
**Signature of Railway doctor & Seal**

चिकित्सक का नाम Name of Doctor:

चिकित्सक का पदनाम Designation of Railway Doctor :

कार्य स्थल व मोहर Place of working & seal

दिनांक Date

**निजी चिकित्सक द्वारा संस्तुति ( यदि हो तो ) Recommendation of NON Railway Doctor (If any)**

**निजी चिकित्सक के हस्ताक्षर व मोहर**  
**Signature of private doctor & Seal**

चिकित्सक का नाम Name of Doctor:

चिकित्सक का पदनाम Designation of Railway Doctor :

कार्य स्थल व मोहर Place of working & seal

दिनांक Date

**भाग - घ - कार्यालय उपयोग के लिए Section - D- for Official Use**

**1. युनिट प्रभारी अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के लिए for Unit In-charge Forwarding official**

प्रमाणित किया जाता है कि, कर्मचारी का विवरण मेरे द्वारा जांचा गया है एवं सही है .

It is certified that all above particulars of the employee are verified by me & found correct.

अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर Unit In-charge -----दिनांक Date

अनुभाग प्रभारी का नाम Unit In-charge -----पदनाम Designation-----

दिनांक Date

मोहर Seal

**2. मुख्यालय को अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के लिए for Forwarding official to Headquarter :**

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त ईन्द्राज विवरण सही तरीके से जांची गई है एवं सही है ।

Certified that all above particulars/ entries have been checked thoroughly and found correct.

कर्मचारी राशि रु.-----का पात्र है । इस स्वीकृत होनेवाली राशि को कृत्रिम अवयव बनानेवाली कंपनी जिसका चालान आवेदन के साथ संलग्न किया है उसे बैंक से भुगतान की सिफारिश की जाती है ।

Employee is eligible for amount Rs. ----- . It is recommended that, payment to be made through cheque to company whose quotation enclosed with application.

प्रकरण केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के निर्णय के लिए अग्रेषित किया जाता है ।

Case forwarded to Central Staff Benefit Fund Committee for decision.

कर्मचारी हितनिधि निरीक्षक /लिपिक के हस्ताक्षर  
Signature of dealing SBF clerk/inspector

कार्मिक /अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of Personnel /forwarding Officer

नाम Name

नाम Name

पदनाम Designation

पदनाम Designation

मंडल /कारखाना Division/workshop

कार्यालय संपर्क सं. Office contact No.

कार्यालय मोहर Office seal

दिनांक Date:

क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सचिव क.हि.नी.-अध्यक्ष  
SBF Member SBF Member SBF Member SBF Member SBF Secretary Chairman-SBF  
वेरेण्युWREU वेरेण्युWREU वेरेमसंWRMS वेरेमसंWRMS

**पश्चिम रेलवे कर्मचारी हितनिधि WESTERN RAILWAY - STAFF BENEFIT FUND**

पुरुष कर्मचारी ग्रेड पे 1900 व अधिक (केवल पूर्व के वर्ग 'ग' कर्मचारी के लिए) /  
पुरुष कर्मचारी ग्रेड पे 1800 व कम (केवल पूर्व के वर्ग 'ध' कर्मचारी के लिए -चाहे उच्च ग्रेड पे एमएसीपी में दिया गया हो)  
/ बच्चो ( लडके व लडकी) / सभी महिला कर्मचारी का शिविर  
Male employee GP 1900 & more (For Erstwhile Group 'C' Staff only / Male employee GP 1800 & less  
(For Erstwhile Group 'D' Staff only- even higher GP issued MACPS)  
/ children(boys & girls)/All women employee's Camp

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि ----- (कर्मचारी हितनिधि निरीक्षक /लिपिक द्वारा भरा /काटा /अंकित किया जाए)  
Last date for submission of application is -----(To be filled up /strike out/ tick mark by SBF clerk/Inspector)

**भाग - क Section - A कर्मचारी का विवरण Employee details:**

1. कर्मचारी का नाम :( स्पष्ट अक्षरों में)-----  
Name of the employee (in BLOCK LETTERS) -----
2. पदनाम :-----पीएफ /प्रान सं.-----  
Designation -----PF/PRAN No -----
3. विभाग :-----कार्य स्थल /स्टेशन-----  
Department-----Station of working-----
4. किस के अधीन कार्यरत -----पे बिल यूनिट सं.-----  
Working under-----Pay bill Unit No-----
5. पे बिल बनानेवाली यूनिट Pay sheet preparing Unit-----
6. मंडल /यूनिट का नाम Name of Division/Unit-----
7. पे बैंड Pay Band-----ग्रेड पे Grade Pay-----मूल वेतन Basic Pay-----
8. माइलेज भत्ता Mileage Allowance ----- (रनींग कर्मचारी के प्रकरण मे For running Allowance)
9. जन्म तिथी Date of Birth -----नियुक्ति की तारीख Date of Appointment-----
10. सेवा निवृत्ति दिनांक Date of superannuation -----
11. क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य जाति के हो Whether belongs to SC/ST/OBC/GEN:-----
12. संपर्क नं. Contact No. रेलवे Rly.:----- ( मो. M) ----- (दूरभाष Land line)-----
13. घर का पता Home Address-----



**भाग - ख Section – B शिबीर संबंधी विवरण Camp details:**

1. स्वास्थ्य का सामान्य विवरण- मैं यह घोषित करता हूँ /करती हूँ की शिबीर के संदर्भ सभी जिम्मेदारियां निभाने हेतु मैं सक्षम हूँ तथा मैं यह भी घोषित करता हूँ कि मैं शिबीर में जाने हेतु सक्षम हूँ । तथा मैं यह भी घोषित करता हूँ /करती हूँ कि मेरे स्वास्थ्य के लिए पूर्णतः मैं जिम्मेदार हूँ ।

Particulars of general health-I here by certify that I am fit to shoulder all responsibilities in connection to camp on my own and without help of anybody & I declare my self fit to attend the camp & I will be responsible for my health

यदि चयन हुआ है तो कौन से वर्ष में----- self declaration of health, if selected )

Yes /No if yes quote the year-----

2. क्या कर्मचारि ने पहले के.क.हि.नि.-प.रे. द्वारा आयोजित शिविर में भाग लिया है

Whether the employee has ever attended camp organized by CSBF W. Rly Yes /No

3. शिविर की फीस Camp Fee : Rs. -----

**घोषणा Declaration:** - मैं घोषणा कर रहा हूँ /रही हूँ कि उपरोक्त भरा गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है, इसमें यदि कोई अनियमितता पाई जाती है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया है तो अनुशासन एवं अपील नियम तहत कार्रवाई की जा सकती है । I hereby declare that all particulars filled in above by me are true and correct to the best of my knowledge and in the event of any irregularity or concealment of fact, I will render myself liable for DAR action.

**कर्मचारी के हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान Sign of the employee / thumb impression**

**भाग - ग - कार्यालय उपयोग के लिए Section – C - for Official Use**

1. **युनिट प्रभारी अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के लिए for Unit In-charge Forwarding official**

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त इन्द्रराज विवरण सही तरीके से जाँच गयी है एवं सही है ।

It is certified that all above particulars of the employee are verified by me & found correct.

अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर Unit In-charge -----दिनांक Date

अनुभाग प्रभारी का नाम Unit In-charge -----पदनाम Designation-----

दिनांक Date

मोहर Seal

2. **मुख्यालय को अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के लिए for Forwarding official to Headquarter:**

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त इन्द्रराज विवरण सही तरीके से जाँची गई है जैर रिपीटर पोलिसी के अनुसार योग्य पाई है

Certified that all above particulars/ entries have been checked thoroughly and found correct as per repeater policy

अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी द्वारा दी गई राशि रु. -----

Amount to be paid by employee as per notification Rs. -----

प्रकरण केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के निर्णय के लिए अग्रेषित किया जाता है ।

Case forwarded to Central Staff Benefit Fund Committee for decision.

कर्मचारी हितनिधि निरीक्षक /लिपिक के हस्ताक्षर

कार्मिक /अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature of dealing SBF clerk/inspector

Signature of Personnel /forwarding Officer

नाम Name

नाम Name

पदनाम Designation

पदनाम Designation

मंडल /कारखाना Division/workshop

कार्यालय संपर्क सं. Office contact No.

कार्यालय मोहर Office seal

दिनांक Date:

**पश्चिम रेलवे कर्मचारी हितनिधि WESTERN RAILWAY STAFF BENEFIT FUND**

**पालीहिल - बांद्रा के स्वास्थ्यलाभ गृह के आरक्षण के लिए आवेदन**

**APPLICATION FOR ACCOMMODATION IN CONVALESCENT HOME AT BANDRA PALI HILL**

**(For all Group 'C' staff / retired staff (erstwhile Group 'C' & 'D' staff) only)**

**(सभी समूह ग / सेवा निवृत्त कर्मचारी ) (पूर्व के समूह ग एवं घ कर्मचारी के लिए )**

**भाग - अ Section - A कर्मचारी का विवरण Employee details:**

01. कर्मचारी का नाम Name of employee -----  
संपर्क नं. Contact Number: रेलवे Rly. Auto ----- (मोबाईल Mobile)-----
02. पदनाम Designation:-----
03. कार्य स्थल, विभाग, अनुभाग Place of Work, Deptt. Section:-----
04. सुविधा चाहिए Accommodation Required कबसे from -----कब तक to -----दिन Days (-----)
05. यदि उपरोक्त दिनांक की अनुपलब्धता की स्थिति में एवजी दिनांक State alternate dates in case accommodation is not available for the dates applied for: कब से From:-----कब तक to -----
06. i) क्या कर्मचारी सेवा में है या सेवा निवृत्त है Whether employee is serving or retired -----  
ii) यदि सेवा निवृत्त है तो सेवानिवृत्ति दिनांक एवं अन्य विवरण If retired, indicate the date of retirement and other particulars -----
07. कारण:रेलवे चिकित्सक द्वारा हवा पानी के बदलाव का सुझाव Purpose for 'Change of Air' recommended by railway doctor for स्वयं self / पत्नि wife / पुत्र son / पुत्री daughter /आश्रित dependent के लिए -----
08. संलग्न : निजी चिकित्सक का प्रमाण पत्र जिसमें 'हवा फेर' का सुझाव दिया हो एवं रेलवे चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया हो या रेलवे चिकित्सक का प्रमाण पत्र जिसमें 'हवा फेर' का सुझाव दिया हो (यह 15 दिन से अधिक न होना चाहिए एवं विशेष कारण में अधिकतम एक माह से अधिक नहीं होना चाहिए) Enclosed: Private doctor's certificate duly certified by Rly doctor or Rly doctor's certificate recommended for 'Change for Air' . (it should not be more than 15 days & in case of spl. reasons not more than one month).
09. नियुक्ति दिनांक Date of appointment: -----जन्म तिथि date of birth -----
10. परिचय कि लिए सुविधा पास / पीटीओ / रेसीडेन्सीयल कार्ड पास Privilege pass /PTO / residential card pass / medical pass संख्या No.-----कब से from-----कब तक to -----  
----- जारी कर्ता issued by -----या or रेलवे परिचय पत्र संलग्न करें railway identity card for identification to be attached.(attached copy)

11. परिवार एवं बिमारी का ब्योरा दिजोए Furnish family particulars & diseases.

क्रम सं. Sr.No.	नाम Name	संबंध Relation	उम्र Age	आश्रितता Dependency	बिमारी व टीप्पणी Disease & remark
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

12. घर का पता Home Address: -----

संपर्क नं. Contact No. \_\_\_\_\_

13. पास नियम के अंतर्गत परिवार /आश्रित की संख्या  
No. of Family Members/Dependents as per Pass Rule \_

आवेदक के हस्ताक्षर Signature of the applicant

दिनांक Date:

**भाग - ख Section - B रेलवे चिकित्सक द्वारा संस्तुति करना Recommendation of Railway Doctor**

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दशायें व्यक्ति के लिए 'हवा पानी' के बदलाव उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है It is certified that the above person/patient recommended for 'Change of Air' is beneficial for his/her health .

रेलवे चिकित्सक के हस्ताक्षर व मोहर  
**Signature of Railway doctor & Seal**

चिकित्सक का नाम Name of Doctor:

चिकित्सक का पदनाम Designation of Railway Doctor :

कार्य स्थल व मोहर Place of working & seal

दिनांक Date:

को अग्रेषित Forwarded to

सचिव - के.क.हि.नि. Secretary - CSBF

एवं &

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (कल्याण) चर्चगेट.

Dy.CPO/W/CCG.

कृपया बुकिंग सुनिश्चित करें एवं निम्न हस्ताक्षरकर्ता व संबंधित कर्मचारी के पते पर सूचना दें। Kindly confirm booking & advise confirmation to undersigned & employee at his/her address.

अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम Signature & Designation of the forwarding Officer  
के लिए For \_\_\_\_\_

संख्या No. \_\_\_\_\_ दिनांक Date \_\_\_\_\_

रेलवेफोन RlyPhone: \_\_\_\_\_ रेलवे फेक्स सं. Rly Fax No. \_\_\_\_\_

(मोबाईल नं. Mobile No.) \_\_\_\_\_ दूरभाष व फेक्स Land line & Fax No. \_\_\_\_\_

**पश्चिम रेलवे कर्मचारी हितनिधि WESTERN RAILWAY - STAFF BENEFIT FUND**

प्राकृतिक आपदा के समय उत्पन्न परिस्थिति में तत्काल राहत के लिए आवेदन

**Application for Immediate Relief in Times of Crises Arising Out Of Natural Calamities****भाग - क Section - A कर्मचारी का विवरण Employee details:**

1. कर्मचारी का नाम : -----  
Name of the employee (in BLOCK LETTERS) -----
2. पदनाम : ----- पीएफ / प्रान सं. -----  
Designation ----- PF/PRAN No -----
3. विभाग : ----- कार्य स्थल / स्टेशन -----  
Department ----- Station of working -----
4. किस के अधीन कार्यरत ----- पे बिल यूनिट सं. -----  
Working under ----- Pay bill Unit No -----
5. पे बिल बनानेवाली यूनिट Pay sheet preparing Unit -----
6. मंडल / यूनिट का नाम Name of Division/Unit -----
7. पे बैंड Pay Band ----- ग्रेड पे Grade Pay ----- मूल वेतन Basic Pay -----
8. माईलेज भत्ता Mileage Allowance ----- (रनींग कर्मचारी के प्रकरण में For running Allowance)
9. जन्म तिथि Date of Birth ----- नियुक्ति की तारीख Date of Appointment -----
10. सेवा निवृत्ति तारीख Date of superannuation -----
11. क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य जाति के हो Whether belongs to SC/ST/OBC/GEN: -----
12. संपर्क नं. Contact No. रेलवे Rly.: ----- (मो. M) ----- (दूरभाष Land line) -----

**भाग - ख Section - B प्राकृतिक आपदा का विवरण Natural Calamity details:**

01. प्राकृतिक आपदा का प्रकार Types of Natural Calamity: -----
02. क्या कर्मचारी सरकार / रेलवे / के.क.हि.नि.समिति द्वारा आपदाग्रस्त घोषित क्षेत्र में रहता है Is employee resides in notified Natural Calamity effected area by Govt./ Railway/ CSBF/ otherwise: -----
03. क्या अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया है Whether applying for financial assistance from any other source: -----  
यदि हा तो विवरण दिजिए if yes give details : -----
04. अनुमानित नुकसान Approximately loss : -----

**घोषणा Declaration:** - मैं एतद द्वारा घोषणा कर रहा हूँ / रही हूँ कि उपरोक्त भरा गया पूर्ण विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है, फिर भी इसमें यदि कोई अनियमितता पाई जाती है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया है तो अनुशासन व अपील नियम तहत कारवाई के लिए पात्र रहूंगा व स्वीकृत एवं प्राप्त राशि पुनः लौटाऊंगा / लौटाऊगी।

I hereby declare that all particulars filled in above by me are true and correct to the best of my knowledge and in the event of any irregularity or concealment of fact, I will render myself liable for DAR action and refund the financial assistance amount, if sanctioned & received.

कर्मचारी के हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान Sign of the employee / thumb impression

भाग - ग - कार्यालय उपयोग के लिए Section - C - for Official Use

1. अनुभाग प्रभारी से अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के लिए for Unit In-charge Forwarding official

प्रमाणित किया जाता है कि, कर्मचारी का विवरण मेरे द्वारा जांचा गया है एवं सही है .

It is certified that all above particulars of the employee are verified by me & found correct.

युनिट प्रभारी के हस्ताक्षर Unit In-charge -----दिनांक Date

युनिट प्रभारी का नाम Unit In-charge -----पदनाम Designation-----

दिनांक Date:

मोहर Seal

2. मुख्यालय को अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के लिए for Forwarding official to Headquarter:

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त इन्द्राज विवरण सही तरीके से जांची गई है एवं सही है । यह कर्मचारी सरकार / रेलवे / के.क.हि.नि. समिति द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदा घोषित क्षेत्र में रहता है Certified that all above particulars/ entries have been checked thoroughly and found correct & employee is resides in notified Natural Calamity effected area by Govt./ Railway/ CSBF/ otherwise .

कर्मचारी राशि रु. -----का पात्र है ।

Employee is eligible for amount Rs. -----.

प्रकरण केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति के निर्णय के लिए अग्रेषित किया जाता है ।

Case forwarded to Central Staff Benefit Fund Committee for decision.

कर्मचारी हितनिधि निरोक्षक / लिपिक के हस्ताक्षर  
Signature of dealing SBF clerk/inspector

कार्मिक / अग्रेषित करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of Personnel / forwarding Officer

नाम Name

नाम Name

पदनाम Designation

पदनाम Designation

मंडल / कारखाना Division/workshop

कार्यालय संपर्क सं. Office contact No.

कार्यालय मोहर Office seal

दिनांक Date:

क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सचिव क.हि.नी.-अध्यक्ष  
SBF Member SBF Member SBF Member SBF Member SBF Secretary Chairman-SBF  
वेरेण्यूWREU वेरेण्यूWREU वेरेमसWRMS वेरेमसWRMS

## पश्चिम रेलवे कर्मचारी हितनिधि WESTERN RAILWAY STAFF BENEFIT FUND

दन्तावली के लिए क.हि.नि. से आर्थिक मदद हेतु आवेदन पत्र (सभी कर्मचारी के लिए)

Application form - financial assistance For DENTURE from SBF (For All employees)

## भाग - क Section - A कर्मचारी का विवरण Employee details:

01. कर्मचारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):-----
02. Name of the employee (in BLOCK LETTERS) -----
03. पदनाम :-----पीएफ /प्रान सं.-----  
Designation -----PF/PRAN No -----
04. विभाग :-----कार्य स्थल /स्टेशन-----  
Department-----Station of working-----
05. किस के अधीन कार्यरत -----पे बिल यूनिट सं.-----  
Working under-----Pay bill Unit No-----
06. पे बिल बनानेवाली यूनिट Pay sheet preparing Unit-----
07. मंडल /यूनिट का नाम Name of Division/Unit-----
08. पे बैंड Pay Band-----ग्रेड पे Grade Pay-----मूल वेतन Basic Pay-----
09. क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य जाति के हो Whether belongs to SC/ST/OBC/GEN:-----
10. इलाज का स्थान Place of treatment:-----
11. आंशिक /आधा /पूरी दन्तावली बिठाई है Partial/Half/full Denture provided:-----
12. दन्तावली की लागत Cost of Denture : -----(सत्यापित बिल प्रस्तुत करें  
Submit Attested bill)
13. मूल बिल क्रमांक Original Bill No.:----- दिनांक Date:-----
14. क्या क.हि.नि. से पूर्व मे मदद मिली है Whether any assistance sought from SBF earlier ( यदि हाँ, कृपया  
विवरण दिजिए If yes, details pl ) :-----
15. आवेदक का स्थाई पत्ता Permanent address of Applicant :-----  
-----
16. संपर्क नं. Contact No. रेलवे Rly.:----- (मो. M) ----- (दूरभाष Land line)-----

स्टेशन Station:-----

दिनांक Date:-----

**घोषणा Declaration :** - मैं एतद द्वारा घोषणा कर रहा हूँ /रही हूँ कि उपरोक्त भरा गया पूर्ण विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है, फिर भी इसमें यदि कोई अनियमितता पाई जाती है अथवा कोई तथ्य छुपाया गया है तो अनुशासन व अपील नियम के तहत कारवाई के लिए पात्र रहूँगा व स्विकृत एवं प्राप्त राशि पुनः लौटाऊँगा । I hereby declare that all particulars filled in above by me are true and correct to the best of my knowledge and in the event of any irregularity or concealment of fact, I will render myself liable for DAR action and refund the financial assistance amount, if sanctioned & received.

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान Signature or thumb impression of the applicant

सलग्न Encl: चालू माह की वेतन पर्ची व चिकित्सक का बिल Current pay slip &amp; doctor's bill

**भाग - ग - कार्यालय उपयोग के लिए Section - C- for Official Use**

**1. अनुभाग प्रभारी से अग्रेषित करनेवाले के लिए for Unit In-charge Forwarding official**

प्रमाणित किया जाता है कि, कर्मचारी का विवरण मेरे द्वारा जांचा गया है एवं सही है ,

It is certified that all above particulars of the employee are verified by me & found correct.

अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर Unit In-charge -----दिनांक Date.....

अनुभाग प्रभारी का नाम Unit In-charge -----पदनाम Designation-----

दिनांक Date

मोहर Seal

**2. स्वीकृत करनेवाले अधिकारी के लिए for Sanctioning official :**

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त ईन्द्राज विवरण सही तरीके से जांची गई है एवं सही है ।

आंशिक / आधा / पूरा दंतावली प्रथमबार ले रहा है ।

Certified that all above particulars/ entries have been checked thoroughly and found correct.

**First time Claim of Partial / Half/ full Denture.**

कर्मचारी हितनिधि के नियमों के अनुसार दावा सही है / सही नहीं है Claim is correct / in correct as per SBF terms & condition.

कर्मचारी हितनिधि लिपिक Dealing clerk SBF

दावा Claim of Rs. \_\_\_\_\_/- का स्वीकृत / अस्वीकृत is approved / Rejected.

क.हि.नी.-सदस्य	क.हि.नी.-सदस्य	क.हि.नी.-सदस्य	क.हि.नी.-सदस्य	क.हि.नी.-सचिव	क.हि.नी.-अध्यक्ष
SBF Member	SBF Member	SBF Member	SBF Member	SBF Secretary	Chairman-SBF
वेरेएयूWREU	वेरेएयूWREU	वेरेमसंWRMS	वेरेमसंWRMS		

वेतन आदेश संख्या Pay order No. \_\_\_\_\_ दिनांक dated

को जारी किया issued to \_\_\_\_\_

**कर्मचारी हितनिधि पश्चिम रेलवे WESTERN RAILWAY STAFF BENEFIT FUND****गुमशुदा कर्मचारी के परिवार को आर्थिक मदद के लिए आवेदन पत्र (तमाम कर्मचारी के लिए)**

Application form - financial assistance to family of Missing employees from SBF (For All employees)

**भाग - अ Section - A कर्मचारी का विवरण Employee details:**

01. आवेदक का नाम :----- रिश्ता -----  
Name of Applicant :----- Relation -----
02. गुमशुदा कर्मचारी का नाम :-----  
Name of the missing employee (in BLOCK LETTERS) -----
03. पदनाम :----- पीएफ / प्रान सं. -----  
Designation ----- PF/PRAN No -----
04. विभाग :----- कार्य स्थल / स्टेशन -----  
Department ----- Station of working -----
05. किस के तहत कार्यरत ----- पे बिल यूनिट सं. -----  
Working under ----- Pay bill Unit No -----
06. पे बिल बनानेवाली यूनिट Pay sheet preparing Unit-----
07. मंडल / यूनिट का नाम Name of Division/Unit-----
08. पे बैंड Pay Band----- ग्रेड पे Grade Pay----- मूल वेतन Basic Pay |
09. क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य जाति के हो Whether belongs to SC/ST/OBC/GEN:-----
10. एफआईआर का स्थान Place of FIR:-----
11. एफआईआर की संख्या एवं दिनांक No. & Date of FIR:----- दिनांक Date:-----
12. क्या क.हि.नि. से पूर्व मे मदद मिली है Whether any assistance sought from SBF earlier  
( यदि हाँ, कृपया विवरण दिजिए If yes, details pl ) :-----
13. आवेदककाकायमी पत्ता Permanent address of Applicant \_\_\_\_\_
14. संपर्क संख्या Contact No. रेलवे Rly.: \_\_\_\_\_ (मो. M) \_\_\_\_\_ (दूरभाष Land line) \_\_\_\_\_

स्टेशन Station: \_\_\_\_\_

दिनांक Date: \_\_\_\_\_

**घोषणा Declaration :** - मैं घोषणा कर रहा हूँ / रहीं हूँ कि उपरोक्त भरा गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है. फिर भी यदि कोई त्रुटी पाई जाती है तो स्वीकृत राशि को निपटारा में से काटने एवं एसबीएफ शीर्ष में पुनः लौटाने की सहमति देता / देती हूँ। मैं घोषणा कर रहा हूँ कि गुमशुदा कर्मचारी आज दिनांक तक लापता है।

I hereby declare that, if any information & undertaking given is found false at any stage or subsequent stage, the grant of maintenance allowance on plea of missing employee is liable to be deducted from settlement dues of missing employee & credited to SBF head. I hereby declare that "Missing employee is still missing & not traceable on day of claim".

**आवेदक के हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान Signature or thumb impression of the applicant**

संलग्न Encl: पे स्लीप व एफआईआरकी प्रति Copy of pay slip &amp; FIR



भाग -ब Section - B अनुभाग प्रभारी से अग्रेषित करनेवाले के लिए

for Unit In-charge Forwarding official

प्रमाणित किया जाता है कि, कर्मचारी का विवरण मेरे द्वारा जांचा गया है एवं सही है -

It is certified that all above particulars of the employee are verified by me & found correct.

प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी गुमशुदा है उनके परिवार ने एफआईआर कराई है एवं प्रशासन को अवगत कराया गया है

It is certified that the above employee is missing & his/her family member had lodged FIR & informed to Administration.

अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर Unit In-charge -----दिनांक Date

अनुभाग प्रभारी का नाम Unit In-charge -----पदनाम Designation-----

दिनांक Date:

मोहर Seal

भाग -क Section - C स्विकृत करनेवाले अधिकारी के लिए for Sanctioning official :

प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी गुमशुदा है उनके परिवार ने एफआईआर कराई है एवं प्रशासन को अवगत कराया गया है

It is certified that the above employee is missing & his/her family member had lodged FIR & informed to Administration.

कर्मचारी हितनिधि के नियमों के अनुसार दावा सही है / सही नहीं है Claim is correct / in correct as per SBF terms & condition.

कर्मचारी हितनिधि लिपिक Dealing clerk SBF

दावा Claim of Rs. \_\_\_\_\_/- का स्वीकृत / अस्वीकृत is approved / Rejected.

क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सदस्य क.हि.नी.-सचिव क.हि.नी.-अध्यक्ष  
SBF Member SBF Member SBF Member SBF Member SBF Secretary Chairman-SBF  
वेरेप्यूWREU वेरेप्यूWREU वेरेमसंWRMS वेरेमसंWRMS

वेतन आदेश संख्या Pay order No. \_\_\_\_\_ दिनांक dated

\_\_\_\_\_ को जारी किया issued to \_\_\_\_\_